खण्ड-256, अंक-3
बुधवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1887
(31 मार्च, 1965 ई0)

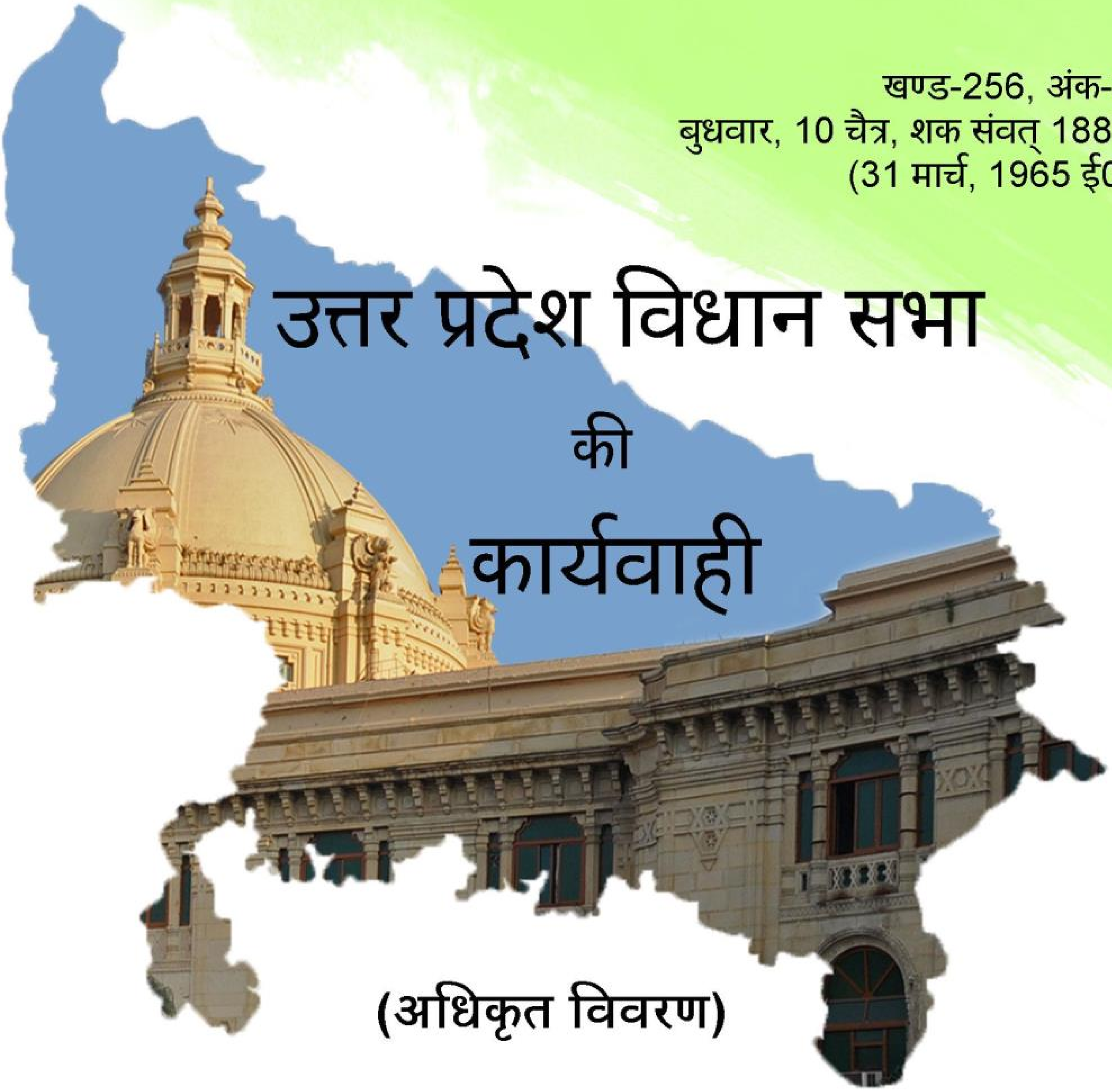

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२२७–२३१
प्रश्नोत्तर	२३१–२५७
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ (मेज पर रखा गया) ..	२५८
विशेषाधिकार समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	२५८
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	२५८–२५९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२५९
१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में अधिक समय की मांग	२५९–२६०
बर्मा से विस्थापित भारतवासियों के पुनर्वास के संबंध में वक्तव्य ..	२६०–२६२
सूचना (जारी)	२६२
१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में संकल्प (जारी)	२६२–३१६
सूचना	३१६
नत्थियां	३१७–३६१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार ३१ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री

सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार ३१ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत आगरा जिले में ऋण न मिलना

**१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको ज्ञात है कि लो इनकम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ ने सैकड़ों व्यक्तियों की जमीनें मारगेज करीब एक साल से अधिक से कर रखी है ? यदि हां, तो ऐसे कौन से कारण हैं कि आज तक उनको मकान बनाने का रुपया नहीं दिया गया ? और, कब तक रुपया मिलने की आशा है ? और, कितने व्यक्ति आगरा जिले के इसके शिकार हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की हाउसिंग शाखा से जिन लोगों को लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में ऋण स्वीकृत हुए उनमें से आगरा जिले के ३१ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जमीनें करीब एक साल अथवा इससे अधिक समय से उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के पास बंधक हैं । इन ३१ व्यक्तियों के अतिरिक्त यदि अन्य लोगों ने भी अपनी जमीन बंधक कर दी है तो उसकी सूचना बैंक के पास जिले से नहीं आई है । इन लोगों को ऋण इस कारण नहीं दिया जा सका क्योंकि रिजर्व बैंक नें बैंक द्वारा इस योजना को चलाने पर आपत्ति की थी । भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

**२—श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या यह सच है कि रुपया न देने का एक कारण यह भी है कि सरकार व कोआपरेटिव बैंक के मध्य ब्याज की दरों की बाबत कुछ झगड़ा है, जो अभी तक तय नहीं हो पाया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं ।

**३—श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या यह सच है कि अब तक रुपया न मिलने से सैकड़ों व्यक्ति लखनऊ के चक्कर लगाते-लगाते निरस हो गये हैं और उनका हजारों रुपया व समय आने-जाने में व्यर्थ ही खर्च हो चुका है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

पिछले साल जबसे इस योजना के अन्तर्गत ऋण देना बन्द किया गया है, तभी से प्रार्थियों को तथा जिला अफसरों को भविष्य में ऋण वितरण की संभावना न होने की सूचना हो गई थी। प्रार्थियों को ऋण न मिलने से निराशा अवश्य हुई होगी परन्तु इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि "करीब १ साल अथवा इससे अधिक समय से उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के पास बंधक है।" बाद में तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि "पिछले साल जब से इस योजना के अन्तर्गत ऋण देना बन्द किया गया है।" तो इन दोनों बातों में से कौन सी सही है ? क्या एक वर्ष से बंधक है अथवा २ या ३ वर्ष से ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

एक से अधिक है।

श्री छत्रपति अम्बेश—

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे डैफिनेट डेट बता दें कि उन्होंने किस तारीख से इसको बंधक किया है ? ज्यादा से ज्यादा कितने समय से बंधक है, अथवा एक वर्ष से अधिक हो चुके हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सूचना तो बैंक से रिकार्ड मंगाकर दी जा सकती है क्योंकि वह तारीख तो बैंक के पास है। जिन ३१ व्यक्तियों के बारे में प्रश्न संख्या १ के उत्तर में कहा गया है उनकी सूचना बैंक द्वारा प्राप्त हुई है जो उत्तर में दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त जो होंगे, वह सूचना बैंक के पास नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश—

पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है करीब "एक साल" और तीसरे में कहा है 'पिछले साल जब से' तो इन दोनों में कौन सही है ?

श्री अध्यक्ष—

जरा वह वाक्य पढ़ दीजिये ?

श्री छत्रपति अम्बेश—

श्रीमन्, प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा गया है 'करीब एक साल अथवा इससे अधिक सालों से' और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 'पिछले साल जब से इस योजना के अन्तर्गत ऋण देना बंद किया गया है तभी से प्रार्थियों को तथा जिला अफसरों को भविष्य में ऋण वितरण की संभावना न होने की सूचना दी गयी थी।' मेरी सूचना यह है कि २–२ वर्षों से ऐसे केसेज हैं जिनकी जमीनें बंधक तो हो गयी हैं पर ऋण नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं और पहले प्रश्न में उन्होंने एक साल बताया है और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है पिछले साल जब से इस योजना के अन्तर्गत ऋण देना बन्द किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक साल से पहले के जो केसेज हैं, उनमें क्या हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिन ऋण आवेदकों ने पहली किस्त ले ली है योजना के बन्द होने के पहले उनकी किस्तों को आज भी दे रहे हैं । जिनको पहली भी किस्त नहीं दी गयी, उनको बन्द करने के आदेश जारी हुए है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दूसरे प्रदेशों में हाउसिंग लोन देने का क्या तरीका है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

दूसरे राज्यों में हाउसिंग बोर्ड्स बने हुये हैं और उनके द्वारा ही ऋण वितरण किया जाता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी वही तरीका यहां पर भी करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

हाउसिंग बोर्ड का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बंधक रखे गये हैं और अभी तक ऋण नहीं दिया जा रहा है तो क्या कोई योजना है कि ऋण दिया जायगा या बंधकों को छूट दी जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, यह ऋण न मिलने के कारण परेशानी उपस्थित हुई है । उनमें से सबसे पहले कबाल टाउन्स की महानगरपालिकाओं को ऋण देने के लिये प्रदेशीय सरकार ने रुपया दे दिया है । इन पांचों महानगरपालिकाओं में अल्प आय वर्ग के लोगों को ऋण दिया जाता है । वहां से वह ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, जैसा कि अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बड़े शहरों में सरकार ने कुछ रुपया मिडिल इनकम वाले लोगों को देने के लिये दिया है तो क्या इन म्युनिसिपैलिटीज में इसी तरह से रुपया देकर जिनको रुपया सैंक्शन कर दिया था और उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया है उनको रुपया मिल जाय, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, यह प्रबन्ध किया गया है कि कुछ नगरपालिकाओं को जिनकी स्थिति ऐसी है उनके जरिये रुपया दिया जायगा और बाकी जगहों पर बैंक को राजी कर रहे हैं कि वे और लोगों को भी ऋण दें जो मकान बनाने के लिये हो । इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बतायेगी कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें ऋण देना स्वीकार किया गया और देना बन्द कर दिया गया और जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उनको हल करने के लिये क्या सरकार हाउसिंग बोर्ड के सुझाव पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

श्रीमन्, रिजर्व बैंक द्वारा कोआपरेटिव बैंक को तीन चार आपत्तियां की गई जिनके कारण ऋण देना बन्द हो गया है । पहली आपत्ति तो यह थी कि दीर्घकालीन ऋण वितरण करना

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

बैंक के रूल के प्रतिकूल है । दूसरी यह कि लोन की वसूली ठीक नहीं हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप बैंक को हानि होगी । तीसरी यह कि हाउसिंग लोन्स का वितरण एक टैक्नीकल काम है, जो बैंक का नहीं है और चौथी यह कि जैसा मैंने पहले कहा कि दूसरे प्रदेशों में हाउसिंग बोर्ड्स के द्वारा ऋण दिया जाता है । यहां पर भी उसको बनाने वाले हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, कुछ पहले, पिछले सैशन में, मंत्री जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ही का रुपया ही कोआपरेटिव बैंक द्वारा बंटता है, उसने कुछ आपत्ति की है जिनको अभी माननीया सभा सचिव ने बताया, तो मंत्री जी ने कहा था कि इन आपत्तियों को रिजर्व बैंक से बातचीत करके दूर करेंगे और पुनः स्कीम चालू करेंगे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की जो आपत्तियां हैं उन्हें दूर करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मैंने यह उत्तर अभी दिया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारा हाउसिंग बोर्ड न बन जाये, उसके द्वारा ऋण देने की पूरी व्यवस्था न हो जाये, तब तक बैंक से व्यवस्था कर लें कि वह ऋण इस तरह से दे कि जो मकान बनाने वाले हैं उनको दिक्कत न हों ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित,, मंत्री जी ने बताया कि ५ नगरमहापालिकाओं में हमने रुपया भेज दिया है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ नगर महापालिकाओं के अलावा छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के लिये आपने कोई प्रबन्ध किया है ? और वह कौन कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष—

बता दीजिये अगर हो ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य का प्रश्न मथुरा के लिये होगा, उसके लिये नहीं है ।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

जिन ३१ लोगों के प्लाट्स कोआपरेटिव बैंक द्वारा बंधक रख लिये गये हैं साल भर से और उनको इसके कारण बंधक हो जाने के कारण और किसी एजेंसी के द्वारा ऋण नहीं मिल पाता है । तो इसे देखते हुये क्या सरकार महापालिका की एजेंसी को रुपया देने का कष्ट करेगी, जिससे इन ३१ लोगों को रुपया मिल जाये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो महानगरपालिका के निवासी हैं और जिनको कोई भी किस्त नहीं प्राप्त हुई है, यदि उनकी भूमि बंधक हो गयी है वे आवेदक अपनी भूमि को रिलीज करा लें और वे संबंधित नगरमहापालिका से ऋण पाने के अधिकारी हो जायेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं द्वारा ही अब वे ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं तो सहारनपुर की नगरपालिका का हाल आपको मालूम ही है तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह सरकार का रुपया व्यर्थ न जाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने उसके साथ यह भी कहा था कि कोआपरेटिव बैंक के जरिये से भी हम प्रबन्ध कर रहे हैं, जब तक हमारा हाउसिंग बोर्ड न बन जाये वह भी देते जायें।

श्री छत्रपति अम्बेश—

जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि वह लोग चाहें तो वह लोग अपना बंधक वापस करा लें, तो ऐसे लोगों का जो रुपया अब तक इस कार्य में खर्च हो चुका है, क्या सरकार उसको वापस करेगी ? और यदि इस स्कीम के अन्तर्गत देने का विचार कर रहे हैं तो कब तक देने का विचार है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य का आखिरी सेन्टेंस में नहीं समझ पायी।

श्री छत्रपति अम्बेश—

पहले का ही उत्तर दे दीजिये, क्या मंत्री जी उनका खर्च वापस करने को राजी है या नहीं, एक वर्ष से अधिक हो चुका है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य ने अपने मुख्य प्रश्न में कहा कि लोगों का खर्च बार-बार लखनऊ आने में व्यय हो रहा है, क्योंकि उन्हें यहां आना पड़ता है, यह खर्च इससे कोई संबंधित नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एपीडेमिक स्टाफ

*१—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एपीडैमिक स्टाफ के कितने लोगों की सर्विस बुक कम्पलीट नहीं है और क्यों ? क्या इससे संबंधित लोगों के पेंशन व रिटायरमेंट में जो दिक्कत होगी उसे दूर करने का सरकार कोई उपाय शीघ्र करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

संबंधित सूचना के संकलन में जितना श्रम और व्यय लगेगा उसके अनुरूप सूचना की उपादेयता संदिग्ध है।

*२—श्री मन्ना लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा व फर्रुखाबाद जालौन जिले के एपीडैमिक स्टाफ के कितने लोगों को इंक्रीमेंट कब से नहीं मिल रहा है तथा क्यों ? क्या अल्मोड़ा के एपीडैमिक स्टाफ की सर्विस बुक का कोई केस अनेक वर्षों से दफ्तर की लापरवाही के कारण फर्रुखाबाद में पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है और कुछ अधिक समय लगने की संभावना है। सम्पूर्ण चना प्राप्त होने पर यह विभाग विधान सभा सचिवालय से स्वयं इन प्रश्नों को एजेंडे में लाने के लिये प्रार्थना करेगा।

*३—श्री मन्ना लाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के भटवारी, जोशीमठ, धारचूला और मुंशियारी ब्लाक में तो एपीडेमिक स्टाफ यात्रा लाइन ड्यूटी में नियुक्त होता है उन लोगों को शत प्रतिशत बार्डर एलाउन्स कब से नहीं मिला है तथा इस विषय में सरकारी आदेश क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उपरोक्त अनुसार ।

श्री मन्नालाल—

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न १ के उत्तर में कहा है कि उत्तर की उपादेयता संदिग्ध है। तो क्या इस संदिग्ध होने की बात का निर्णय करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है या मंत्री जी को ?

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां इस सम्बन्ध में कुछ परम्परायें पड़ गयी हैं और उसमें उपादेयता, श्रम तथा व्यय आदि को देखते हुये कम होगी उस के लिये हमारे यहां तो वैध माना गया है लेकिन वे ऐसा कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस सम्बन्ध में विवाद नहीं उठता ।

श्री मन्ना लाल—

दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो वह कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने स्वयं कहा है कि इसमें अधिक समय लगेगा और वह स्वयं प्रार्थना करेंगे तो इस प्रश्न को सदन के सामने रखा जाय ताकि वह समस्त सूचना सदन को मिल जाय ।

श्री बिपिनविहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या विधान सभा सचिवालय फिर से इस प्रश्न को एजेंडा में रखे इसके लिये माननीय सदस्य इन प्रश्नों को फिर से रखेंगे या मंत्री जी को अधिकार है कि वे ही अपनी प्रार्थना पर एजडे में ले आवें ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां। बिलकुल होगा।

मोहनपुर टाउन एरिया का नाला

*४—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एटा जिले की माहेनपुर टाउन एरिया में जो नाला दोनों तालाबों को मिलाता है उसकी सफाई वर्षों से न कराने के कारण वर्षा में आवागमन बन्द हो जाता ह, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(अ) उक्त नाले की सफाई कब से नहीं कराई गई है ? तथा

(ब) सफाई न कराने का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति)—

जी हां, नाले की सफाई लगभग १० वर्ष से नहीं कराई गई है ।

(ब) नाले का पानी सड़क पर भर जाने से कुछ समय के लिये आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई असुविधा स्थानीय जनता को नहीं होती। नाला टाउन एरिया मोहनपुर का या गांव सभा का है, यह प्रश्न विवादासाद होने से नाले की सफाई नहीं की जा सकी। अब सम्बन्धित विकास खंड एवं टाउन एरिया के माध्यम से आवश्यक सफाई कराने का प्रयत्न जिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

१० वर्ष तक कोई सफाई नहीं हुई इससे जनता को बहुत कष्ट हुआ। तो क्या सरकार अब ऐसी हिदायत अधिकारियों को देगी कि भविष्य में ऐसी गलती न हो ?

श्री राममूर्ति—

यह नाला टाउन एरिया से करीब १ फर्लांग पर है और आगे जहां जाता है वहां गैराबाद गांव है। लिहाजा यह सिद्ध नहीं हो सका कि वह नाला टाउन एरिया का है या गैराबाद गांव का है। इसीलिये सफाई में देरी हुई और जनता को कष्ट हुआ। लेकिन जब से आपका यह प्रश्न आया है तब से जिलाधीश इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम के अन्दर इस को ले आवें। सड़क भी २ फीट ऊपर उठाई जायगी। और साथ-साथ सफाई करने का इंतिजाम किया जायगा, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है।

[३१ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६–७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गणेश शुगर मिल्स, गोरखपुर में श्रमिकों का मंहगाई भत्ता

*३—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गणेश शुगर मिल्स, आनन्द नगर, गोरखपुर के प्रबन्धक मजदूरों को प्राप्त कानूनी सुविधाओं को ठीक से नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि वेतन मण्डल की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम वेतन, ६० रु० और मंहगाई भत्ता २५ रु० मिलना चाहिये वहां अधिकांश मजदूरों को डेढ़ रु० मजदूरी दैनिक दी जाती है और लगभग ५० मजदूरों को ५५ रु० मासिक दिया जाता है, तथा आवश्यकतानुसार मजदूरों को अवकाश नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

शासन को मिली सूचना के अनुसार, प्रबन्धक मजदूरों को प्राप्त कानूनी सुविधाएं ठीक तरह से दे रहे हैं। ६ अपरेन्टिस के अतिरिक्त सभी श्रमिकों को चीनी वेतन मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम वेतन ६० रु० तथा मंहगाई भत्ता २५ रुपये ३५ न० पै० कम से कम दिये जा रहे हैं। श्रमिकों को स्थायी आदेशों के अनुसार अवकाश भी दिया जा रहा है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इनको यह भत्ता २५ रु० ३५ पैसे कब से दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कब से दिया जा रहा है यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मेरी सूचना यह है कि उनको इस वक्त दिया जा रहा है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जब मैंने इस सवाल को माननीय अध्यक्ष के सामने रखा उस के पहले यह २५ रु० ३५ पैसे उनको नहीं दिया जा रहा था ? यदि उस समय नहीं दिया जा रहा था तो क्या इस की जांच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। आप लिख कर भेज दें तो उसकी जांच करा ली जायगी।

*४-६—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[हटा दिये गये।]

मलिहाबाद विकास खण्ड में गबन की जांच

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि बी० डी० ओ० मलिहाबाद, जिला लखनऊ को मुअत्तल कर उनकी जगह पर बी० डी० ओ०, माल, लखनऊ को चार्ज लेने का आदेश हुआ और माल, जिला लखनऊ से चार्ज लेने के लिये बी० डी० ओ० संडीला, हरदोई को आदेश हुआ किन्तु यह सभी ट्रांसफर आर्डर रोक कर उक्त मलिहाबाद के चार्ज लेने के लिये बी० डी० ओ० लहरपुर, जिला सीतापुर को आदेश हुआ और वह सीतापुर से रिलीव होकर मलिहाबाद पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें यहां का चार्ज मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह बात सही है कि अब किसी अन्य व्यक्ति को मलिहाबाद का चार्ज लेने का आदेश हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। क्षेत्र विकास अधिकारी, लहरपुर मुक्त हो कर ७ फरवरी, १९६५ को मलिहाबाद पहुंचे परन्तु उनके अवकाश पर प्रस्थान करने की इच्छा न होने के कारण वहां का कार्यभार न ग्रहण कर सके। हां, अब क्षेत्र विकास अधिकारी, लहरपुर का मलिहाबाद का स्थानान्तरण रद्द कर श्री रमेश चन्द्र क्षेत्र विकास अधिकारी, माल, लखनऊ को मलिहाबाद में पोस्ट किया गया।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बी० डी० ओ० मलिहाबाद, लखनऊ ने अभी तक शासकीय आदेशों के बावजूद भी चार्ज नहीं दिया है, जबकि दूसरा आदमी उनकी जगह पर वहां पहुंच गया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

श्री राम लखन शुक्ल, क्षेत्र विकास अधिकारी, मलिहाबाद ने अपने पद का चार्ज दिनांक १६-२-६५ के पूर्वान्ह में श्री रमेश चन्द्र को दे दिया है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त बी० डी० ओ० के तबादले क्यों किये गये और उन्हें पुनः रोकने के क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

क्षेत्र विकास अधिकारी, मलिहाबाद (लखनऊ) का निलम्बन हो जाने के कारण क्षेत्र विकास अधिकारी (माल लखनऊ) का स्थानान्तरण मलिहाबाद को किया गया और स्वास्थ्य निरीक्षक संडीला (हरदोई) को स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर माल में नियुक्त

किया गया परन्तु जिलाधीश, , लखनऊ के निवेदन पर जन हित में क्षेत्र विकास अधिकारी, माल का स्थानान्तरण पहिले रद्द कर दिया गया और उक्त स्वास्थ्य निरीक्षक की स्थानापन्न नियुक्ति क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर बजाय माल के लहरपुर (सीतापुर) को और क्षेत्र विकास अधिकारी लहरपुर का स्थानान्तरण मलिहाबाद को किया गया परन्तु उनके अवकाश पर प्रस्थान कर जाने के कारण उनका स्थानान्तरण रद्द किया गया और उक्त श्री रमेश चन्द्र को ही मलिहाबाद में नियुक्त किया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि मलिहाबाद में आडिट ने गबन पकड़ा था ? यदि हां, तो उसमें किन-किन व्यक्तियों को मुअत्तल किया गया था और कितना रुपया गबन में पकड़ा था और मुअत्तली के बाद अब क्यों बहाल कर दिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

गबन के कुछ और केसेज की रिपोर्ट मिली तो वहां के कैशियर को भी सस्पेन्ड किया गया। जब उस की रिपोर्ट बी० डी० ओ० ने की कि इस तरह का मामला हुआ है तो उसने बड़ी कोशिश और बड़ी दिलचस्पी के साथ हर तरह की जानकारी करने की कोशिश की। जब यह पता लगा कि यह खुद ही बहुत कोशिश कर रहे हैं तो पहले की रिपोर्ट के आधार पर जो उनको ससपेंड किया गया था, उस को यह समझा गया कि यह ठीक नहीं है। उनको बहाल कर दिया गया लेकिन फिर भी यह माना गया कि उनको वहां न रखा जाय तब उन का ट्रान्सफर सीतापुर किया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या इस बात को देखते हुये कि यह कई जगह से ट्रान्सफर हुये हैं और सीतापुर से आदमी चार्ज लेने के लिये पहुंच गया है किन्तु वहां जो बी० डी० ओ० थ वह अपनी मुअत्तली समाप्त करने के लिये बराबर प्रयास करते रहे और उसी आधार पर अनेक जगह पर ट्रान्सफर हुये और बाद में बिला जांच किये गये वह बहाल कर दिये गये तो इस बात पर मन्त्री जी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे कि इसमें कैशियर ही नहीं बल्कि बी० डी० ओ० भी शामिल हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

बहुत से ट्रान्सफर इस वजह से नहीं हुए लेकिन चूंकि इसकी इन्क्वायरी हो रही है और इंक्वायरी का जैसा फल निकलेगा उसके अनुसार ऐक्शन लिया जायगा।

जहां तक माल के बी० डी० ओ० का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने उत्तर में बताया यह माल (बी) में नाले के ऊपर पुल बना रहे हैं और लखनऊ के जिलाधीश ने कहा था कि इनका ट्रान्सफर रोक दिया जाय, इसलिये रोक दिया गया। फिर जब मुनासिब हुआ तो उन को भेज दिया गया।

श्री ऊदल—

यह जो कैशियर जिम्मेदार पाया गया है गबन के मुकदमे में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे इन्क्वायरी चल रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने रुपये का गबन है, किस-किस मद का रुपया है और कितने अर्स के बाद उसको सस्पेंड किया गया ?

श्री राममूर्ति—

इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं आयीं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह देखते हुए कि प्रश्न में बताया है कि रमेशचन्द्र को जो माल का बी० डी० ओ० है उसको रोक दिया गया, लेकिन मेरा कहना है कि मंत्री जी का उत्तर गलत तथ्यों पर आधारित है? वास्तव में मलिहाबाद के जो रमेशचन्द्र नियुक्त हैं वह इलाहाबाद के हैं और जिन्होंने आ करके चार्ज ले लिया है और जिन्हें माल का बी० डी० ओ० कहा गया है दूसरे हैं वह आज वही काम कर रहे हैं। इस तरह से मामले की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, तो क्या मंत्री जी जांच कराने के बाद कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—

सूचना तो गलत कभी दे नहीं सकते। यह हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो गयी हो, क्योंकि दोनों के नाम रमेशचन्द्र हैं, इस की मैं माननीय सदस्य से माफी चाहता हूं, लेकिन जहां तक इंक्वायरी का तालुक है, इंक्वायरी के बाद जो भी चीज निकलेगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी। जिसने खता की होगी उस को सजा दी जायगी।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या यह सही नहीं है कि मलिहाबाद के बी० डी० ओ० ने स्वयं कैशियर की अनियमितता की तरफ ध्यान आकर्षित किया था और तब उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात सोची गयी?

श्री राममूर्ति—

मेरे पास इत्तला है कि जब कैशियर की रिपोर्ट ऊपर के दफ्तरों में गयी और जब उसके बारे में सस्पेंशन उसका हुआ तो और कागजात बी० डी० ओ० के पास भेजे गये तो उसने बड़ी दिलचस्पी ली और कहा कि वह खुद भी छान-बीन करेगा।

*१०—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[छठे शुक्रवार को प्रश्न संख्या ८९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*११-१२—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

[नवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१३—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१६—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[छठे सोमवार में प्रश्न ८४-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रायबरेली जिले में परिवार नियोजन कर्मचारी

*१७—श्री भगवान दीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि रायबरेली जिले में पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर, परिवार नियोजन किस-किस ब्लाक में कितने-कितने समय से कार्य कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना तालिका (क) में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१७ पर)

*१८—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौन-कौन सोशल वर्कर सरकारी इमारत में कब-कब से रह रहे हैं, और अब तक उन्होंने कितना-कितना किराया सरकार को दिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना तालिका (ख) में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

*१९—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर ने अब तक कितने केस कार्ड भरे और कितने आपरेशन कराये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना तालिका (ग) में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तीसरे ब्लाक में जिन लोगों की नसबन्दी की गयी उनमें कितने की उम्र ४० वर्ष से ज्यादा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उम्र का सवाल तो था नहीं, उसकी तो कोई मालूमात इस समय नहीं है।

हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद में ताला बन्दी

*२०—श्री शिवचरण (जिला आगरा), श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) तथा श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २४ सितम्बर, १९६४ से २५ नवम्बर, १९६४ में हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद में जो गैर कानूनी तालाबन्दी हुई उस पर यू० पी० औद्योगिक विवाद कानून की धारा १४ के अन्तर्गत प्रबन्धकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तालाबन्दी श्रमिकों की अवैधानिक हड़ताल के फलस्वरूप घोषित की गई थी इसलिए प्रबन्धकों के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री शिवचरण —

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों ने क्या अवैधानिक कार्य किया था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

दो बार हड़ताल की गयी। एक तो २४-९-६४ को तथा दूसरी ११-२-६५ को। श्रमिकों ने काम कम करना शुरू कर दिया था। इस पर झगड़ा जब हुआ तो इन्होंने जाना ही बन्द कर दिया। नियम के अनुसार हड़ताल बिना नोटिस दिये नहीं हो सकती, इसलिये यह अवैधानिक हो गयी। ११-२-६५ को इसलिये अवैधानिक है कि सरकार ने मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने भेज दिया है। जब मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने होता है तब कोई भी हड़ताल की जाय वह अवैधानिक होती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जब केस पेंडिंग होता है और उस समय कोई हड़ताल होती है तो वह अवैधानिक होती ह। तो सरकार ने लाक आउट करने की परमिशन क्यों दे दी जब कि हड़ताल अवैधानिक थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

लाक आउट तो उसके पहले था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, लाक आउट सरकार की परमिशन से ही होता है। जब यह मामला अभिनिर्णय में चल रहा था तो आप ने मिल मालिकों को लाक आउट करने की आज्ञा क्यों दे दी ? क्या इसकी जांच भी करायेंगे कि यह लाक आउट अवैधानिक है और अगर अवैधानिक है तो क्या मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अब कौन सी चीज अवैधानिक है--लाक आउट या हड़ताल, यह तो कोर्ट ही तय कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रश्न में ही कहा गया है कि गैरकानूनी तालाबन्दी हुई।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब प्रबन्धकों की गलती नहीं थी तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इससे प्रोडक्शन म कितना नुकसान हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने यह नहीं कहा कि प्रबन्धकों की गलती नहीं थी। मैंने सिर्फ कहा कि हड़ताल अवैधानिक थी।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या सरकार इस सारी घटना की जांच किसी अधिकारी द्वारा करायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा हड़ताल गैरकानूनी थी। एक तो पहले यही मतलब है। दूसरी बात यह ह कि सेकेन्ड टाईम में जब हड़ताल हुई, इन्सीडैन्टली, उसी रोज इन्डस्ट्रियल डिस्पूट ऐक्ट के अन्तर्गत केस भी रेफर कर दिया गया।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस हड़ताल में कितने मेन आवर्स का नुक्सान हुआ? कितने प्रोडक्शन का घाटा हुआ ? क्या इसकी लिस्ट भी आपके पास है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी को समझने की कोशिश की लेकिन उनको मैं समझ नहीं पाया। जब आप कहते है कि तालाबन्दी गैरकानूनी थी, इसलिये हड़ताल भी गैरकानूनी हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप को सूचना है कि एक वैधानिक हड़ताल के लिये कितने दिन की नोटिस की आवश्यकता होती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हड़ताल गैरकानूनी थी, इसलिये झगड़ा हो गया। मजदूर लोग काम करने नहीं गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

महोदय, अगर तालाबन्दी गैरकानूनी है और आप के कहने में उस समय अभिनिर्णय में केस को रेफर कर दिया गया। तो जब कोई मामला पैन्डेन्सी में होता है तो उस समय न कोई मिल मालिक तालाबन्दी कर सकता है और न ही मजदूर हड़ताल ही कर सकते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि क्या हड़ताल गैरकानूनी थी? और, मजदूरों ने कितने दिन का नोटिस दिया था? क्या आप इस पर अपना विवरण देंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आप दो बातों को मिक्स न करें। २४-९-६४ के पहले वहां एक झगड़ा हुआ। जब हड़ताल हो गई तो उसके बाद तालाबन्दी कर दी गई।

श्री अध्यक्ष---

पहिले हड़ताल जो हुई वह बगैर किसी नोटिस के हुई। इसीलिये वह हड़ताल गैरकानूनी हो गई। हड़ताल गैरकानूनी हो गई और मजदूर लोग भी काम पर नहीं आये तो मिल मालिक ने तालाबन्दी कर दी।

श्री ऊदल---

मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जब इस फैक्टरी के विवाद को औद्योगिक विवाद कानून के अन्तर्गत अभिनिर्णय के लिये भेज दिया गया है तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि मालिकान और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलाकर तालाबन्दी को खत्म करायेगी जिससे प्रोडक्शन कम न हो और फिर काम शुरू हो?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस बात के लिये पहले से कोशिश हो रही है। दोनों लोग, मिल मालिक और मजदूर, बड़े हठधर्मी हैं। इसलिये सुलह नहीं हो रही है।

श्री शिवचरण---

श्रीमन्, डेढ़ महीने से भूख हड़ताल चल रही है। मिल मालिक सुनते नहीं हैं। इनको जान बचाने के लिये क्या आप जल्दी फैसला करवाने की कोशिश करवायेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

नियम यह है कि जो भी हड़ताल हो, जिस वक्त ट्रिब्यूनल को रेफर कर दी जाती है उस वक्त गैरकानूनी हो जाती है। जिस तारीख से ट्रिब्यूनल को सुपुर्द कर दी गई है हड़ताल चाहे फिर जिस तरह से की जाय, वह इल्लीगल हो जाती है। उसे कैसे रूल करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, वे कहते हैं कि तालाबन्दी भी गैरकानूनी थी, आप को उसके बारे में कुछ कहना है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जब स्ट्राईक गैरकानूनी है, जब लोग काम करने ही नहीं गये, तो उसका सवाल ही कैसे पैदा होता है?

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की हर हड़ताल गैरकानूनी होती है जहां तक कि मैं समझ पाया हूं, तो उनकी मांगों को पढ़ कर सुना देंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले जो हड़ताल हुई थी उसमें यह था कि उनका वेतन व मंहगाई -भत्ता बढ़ाया जाय, बोनस दिया जाय, ग्रेचुइटी दी जाय। इन तमाम बातों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत दे दिया गया है।

श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि प्रबन्धकों ने ३० मजदूरों को बुलाकर अपने दफ्तर में पीटा?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या इस झगड़े को निबटाने के लिये सहकरिता मंत्री बनारसीदास जी मौके पर गये थे और दोनों पक्षों से बातचीत की थी? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

न तो मंत्री जी को यह सूचना है कि कितने मैन-आवर और उत्पादन की हानि हुई और न यह मालूम है कि क्यों हड़ताल हुई। ऐसी सूरत में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सवाल को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

इस आधार पर स्थगित नहीं हो सकता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और मैं यह समझूं कि यह बहुत ही आवश्यक है, तो उस पर अल्पसूचित प्रश्न हो सकता है। कायदा इसका यह है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

किन कारणों से मजदूरों ने कम काम करना शुरू किया और बाद में उन्हें हड़ताल करनी पड़ी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी पुनः मेरे इस आग्रह पर विचार करेंगे कि दोनों पक्षों से मौके पर या यहां बुलाकर समझौता कराने की कोशिश की जाय और जो पक्ष न माने उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस बात का प्रयास हो रहा है कि हड़ताल खत्म हो।

महिला अस्पताल रुद्रपुर स्थापित न हो सकना

*२१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुद्रपुर, जिला देवरिया में बनने वाले महिला अस्पताल के भवन निर्माण का काम इस साल प्रारम्भ हो जायगा? यदि हां, तो कब से?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रुद्रपुर जिला देवरिया में महिला अस्पताल के लिये भवन निर्माण करने की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर में पहले कभी महिला अस्पताल निर्माण होने की योजना थी और सिर्फ जमीन न मिलने के कारण निर्माण नहीं हो सका ? तो अब जब कि जमीन लेने के लिये सारी कार्यवाही हो चुकी है और टाउन एरिया रुद्रपुर ने जमीन देने का प्रस्ताव भी कर दिया तो योजना पर से विचार क्यों हटा दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसका भवन निर्माण करने की योजना विचाराधीन थी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या पहले कोई योजना थी जो स्थगित हो गई ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पहले यह योजना थी कि वहां अस्पताल स्थापित किया जाय लेकिन चूंकि कोई किराये की इमारत नहीं मिल सकी इसलिये अस्पताल वहां नहीं बन सका ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अगर फिलहाल किराये का मकान उन्हें दिलवा दिया जाय और जमीन दिलाने की भी व्यवस्था की जाय तो महिला अस्पताल बनवाने की माननीय मंत्री जी सोचेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अब तो डायरेक्टर को आदेश जारी कर दिये गये हैं । अगर माननीय सदस्य का इस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो जायगा तो बहुत मुमकिन है कि वहां हम अस्पताल बनवा सकें ।

*२२–२३—श्री चन्द्रबलीसिंह—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र रायबरेली पर व्यय

*२४—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत आई० टी० आई० सेंटर पर सन् १९६२ से आज तक कितना रुपया व्यय हुआ है और कितने रुपये की वहां पर मशीनें लगी हुई हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायबरेली पर सन् १९६२ से जनवरी, १९६५ तक लगभग ६,९१,९५७ रु० हुआ । इस संस्था को अब तक ४,७२,९५० रु० की मशीनें उपलब्ध की जा चुकी हैं ।

*२५—श्री रतीपाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त संस्था में सन् १९६३–६४ में कितने चपरासी रखे गये और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ? यदि हरिजनों का प्रतिशत नहीं किया गया तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उक्त संस्था में सन् १९६३-६४ में ४ चतुर्थ वर्ग कर्मचारी रखे गये जिनमें २ अनुसूचित जाति के थे ।

श्री रतीपाल--

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस आई० टी० आई० कालेज में कितने लड़के शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सूचना चाहिये ।

श्री रतीपाल--

चपरासियों के बारे में मेरे पास यह दरख्वास्त और भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर साहेब उसके चेयरमैन हैं और जो वहां के प्रिन्सिपल साहब हैं उनकी गतिविधि दूसरे ही किस्म की है । हरिजन चपरासी को तो उन्होंने निकाल दिया और जब मेरा सवाल आया तो एक हरिजन चपरासी को रख लिया। क्या एक भूटानी चपरासी उन्होंने रख रखा है जिसकी बीवी को प्रिन्सिपल साहब ने गुम किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बीबी का सवाल तो था नहीं ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि विद्यार्थियों की संख्या हर स्कूल में आगे से बढ़ाई जाय ताकि अधिक टैक्नीकल हेंड्स तैयार हो सकें ?

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि क्या यह सही है कि आई०टी० आई० स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कम वाली तो बात नहीं है, लेकिन बढ़ाने का प्रयास किया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी शिकायत प्रिंसिपल के विरुद्ध आयी कि वहां के हरिजन चपरासी की स्त्री का खून उन्होंने करवाया था ? यदि हां, तो उस पर क्या जांच हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव--

यह देखते हुए कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है और बहुत से ऐसे स्थान हैं कि जहां तादाद बहुत ज्यादा है तो जहां कम हैं वहां छात्रवृत्ति बढ़ाने की कृपा करेंगे जिससे कि ज्यादा तादाद में वह आ सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हर जगह कोशिश यह की जाती है कि जहां विद्यार्थी हों वहां स्थान पर आई० टी० आई० बनाये जांय, यहां पहले स्थान नहीं मिला तो नैनी में चलाया गया, फिर यहां स्थान मिल गया तो यहां लाया गया ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरे कहने का मतलब यह है कि ३३ परसेंट छात्रों को स्टाइपेंड आप देते हैं, तो जहां कम है वहां ज्यादा स्टाइपेंड देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जहां कम संख्या है वहां अधिक स्टाइपेंड देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह ३३ परसेंट ही बहुत ज्यादा है। बहुत से लोगों को तो बिना स्टाइपेंड के ही चलना चाहिये।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि रायबरेली में जो आई० टी० आई० केन्द्र है, छः सात महीने हो जाने के बाद भी अभी तक उनको स्कालरशिप नहीं दी गई है ? यदि हां, तो शीघ्र ही स्कालरशिप उनको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो जरूर दिलाने की कोशिश करेंगे।

क्षेत्र समिति, दातागंज की कार्यवाही

*२६—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला बदायूं में क्षेत्र समिति, दातागंज में वार्षिक प्लान बनने के आदेश थे ? दिनांक २२ जून, १९६४ की क्षेत्र समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या १० में यह निश्चय हुआ था कि योजना अपूर्ण है अतः पास नहीं की सकती ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

२७—खंड विकास अधिकारी दातागंज ने १६ मई, १९६४ की कार्यवाही में दूसरी स्याही से प्रस्ताव नं० १० में लिखा है और प्रस्ताव १० को काटकर बाद में ११ किया है ? इस विषय में जिला नियोजन अधिकारी, बदायूं को पत्र-संख्या १४८४, II, दिनांक २९ जून, १९६४, ५ जुलाई, १९६४ तथा उप विकास आयुक्त द्वारा स्मृति-पत्र भी दिये गये, किन्तु आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या इससे मैं यह समझूं कि ये प्रश्न स्थगित किये गये और दोबारा फिर एजेंडे पर आयेंगे ? यदि हां, तो कितने दिन बाद ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो १५ दिन के बाद यों ही आ जायेंगे।

गाजीपुर जिले में जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कें

*२८—श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं क्या सैदपुर-बहरियाबाद रोड, जिस पर लगभग

बीस हजार रुपये का श्रमदान का कार्य हो चुका है और जो गाजीपुर, आजमगढ़, दो जनपदों को मिलाती है इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे सम्मिलित करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

निम्नलिखित सड़कें प्रस्तावित हैं :—

१—बिहारीगंज-सैदपुर ८ मील

२—खैदपुर—सादात ९ मील

३—औरीहा केराकट ६ मील

जी नहीं। अभी यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि यह सड़क इस योजना में ली जा सकेगी या नहीं।

*२९—श्री राजनाथसिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उक्त जनपद की कौन सी सड़कें जन-बल उपयोग योजना में ली गई हैं और उनके लेने का आधार क्या है ?

श्री राममूर्ति—

इस संबंध में अभी निश्चय रूप से कुछ कहना कठिन है क्योंकि यह योजना केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित होती है।

श्री राजनाथसिंह—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से सिद्धान्त हैं जिनके अधीन जनशक्ति योजना के अन्तर्गत सड़कें प्रस्तावित की जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—

बुनियादी सिद्धान्त गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह रख दिया है कि किसी भी ब्लाक में जो खर्चा हुआ करता है उसके आधे से ज्यादा की सड़कें नहीं बननी चाहिये।

श्री देवदत्त मिश्र—

माननीय मंत्री जी उन्नाव जिले को भी जनशक्ति योजना के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

उन्नाव जिले के साथ हमदर्दी तो बहुत है लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया की नजरों में वह इतना बैकवर्ड जिला नहीं माना जाता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में दूसरे तीसरे और चौथे चरण में क्या एक भी सड़क का निर्माण करा सकें हैं ? क्या इसकी कोई रिपोर्ट उनके पास है ?

श्री राममूर्ति—

गाजीपुर जिले में सैदपुर—सादात सड़क ३ मील बनी जिस पर १ लाख ८० हजार रुपया खर्च हुआ और गांव ऊंचे किये गये, चकिया ड्रेन बनाई गई। दूसरे चरण में सैदपुर सादात सड़क नौ मील बनी सादात ब्लाक में। और गाजीपुर में तृतीय चरण में छितईपारा से समाकरपुर ट्यूबवेल सड़क ३ मील गांव ऊंचा करना (५), कनालगूल २२ मील मरसर जैरामपुर सड़क ३ मील....

श्री अध्यक्ष—

बहुत सी हैं तो रहने दीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, सदन की मेज पर रखवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री राजनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि सैदपुर-बहरियाबाद रोड वाराणसी गाजीपुर, तथा आजमगढ़ इन तीन जनपदों एवं सैदपुर, सादात और जखनियां विकास खंडों को परस्पर जोड़ती है ? तो क्या मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में किसी योजना में उसको शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

हमारे यहां जो प्रोपोजल्स आते हैं, उनकी छानबीन करने के बाद केन्द्रीय सरकार को भेजते हैं और जब मंजूरी हो जाती है तब सड़कें तथा अन्य प्रोग्राम ले लिये जाते हैं ।

*३०—श्री राजनाथसिंह—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३३—श्री गयाप्रसाद—

[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का डिप्लोमा

*३४—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (अनुपस्थित), (जिला सीतापुर) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या यह बात सत्य है कि गत अनेक वर्षों से संचालक, प्रशिक्षण रोजगार (डायरेक्टर आफ ट्रेनीग ऐंड इम्पलायमेंट), उत्तर प्रदेश ने उक्त राज्य के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (इन्डस्ट्रीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के उत्तीर्ण शिक्षणार्थियों को उनके स्थायी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स नहीं दिये हैं और वे लोग उन प्राविधिक डिप्लोमाओं और सर्टीफिकेटों से जो उनको उनकी संस्थाओं के प्राध्यापकों ने दिये थे, अपना काम निकाल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देकर उक्त उत्तीर्ण शिक्षणार्थियों को स्थाई डिप्लोमा और सर्टीफिकेट शीघ्र वितरण कराने की व्यवस्था कब तक करेंगे ? और यदि नहीं, तो न देने का कारण क्या है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

यह ठीक है कि स्थाई डिप्लोमा और सर्टीफिकेट्स सभी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को अभी तक वितरित नहीं किये जा सके हैं । इस दिशा में उचित कार्यवाही की जा रही है, ताकि शेष डिप्लोमा और सर्टीफिकेट्स वितरित किये जा सकें ।

*३५-३६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर जिले में नये अस्पताल

*३७—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के गोला बाजार कस्बे में जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कोई अस्पताल है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक खुलने की योजना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। विकास खंड गोला के मुख्यालय पर अगले वित्तीय वर्ष में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

*३८—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बासगांव तहसील के मीठया डेरवा, और असबनपार गांव में अस्पताल खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है और नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ग्राम मठिया में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित करने तथा बरहलगंज स्थित जिला परिषद् के अस्पताल को ग्राम डेरवा में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर विचाराधीन है। ग्राम असबनपार में अस्पताल खोलने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*३९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया उपरोक्त गांव का सर्वेक्षण क्या इस आधार पर करायेगी कि यहां से सरकारी अस्पताल काफी दूरी पर है और यह स्थान पानी से घिरा रहने के साथ आवागमन से अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण के आधार पर उपरोक्त गांवों में एलोपैथिक व आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसे स्थानों पर जहां से अस्पताल काफी दूरी पर है, अस्पताल खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिला स्तर पर जो अस्पताल स्थानान्तरित करने के लिये या बनाने के लिये सरकार के विचाराधीन हैं, उनमें क्या वह शीघ्रता कराने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हम इस संबंध में जरूर जिला अधिकारियों को लिख देंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

राज्य के अन्तर्गत बहुत से अस्पताल ऐसे हैं, श्रीमन्, जहां डाक्टर नहीं हैं और ऐसा मालूम होता है कि डाक्टरों की कमी है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये जो निरन्तर अस्पताल बनवाने की योजना चल रही है, इस बारे में मंत्री जी ऐसा प्रबंध करेंगे कि जो अस्पताल खुलते जा रहे हैं, उनको बराबर वह डाक्टर देते रहें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक अस्पताल अच्छा कर दीजिये, तब दूसरा खोलिये। उसके ऊपर विचार करेंगे।

सरसों के तेल में मिलावट

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तेल मिलों में जो सरसों का तेल पेरा जाता है उसमें एक भयंकर झार रहती है और यह झार एक सेंट द्वारा तैयार की जाती है जो सेंट साइनाइड ग्रुप का है और स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सरसों के तेल में कुछ झार स्वाभाविक है, पर बनावटी झार की मिलावट के विषय में कोई सूचना नहीं है ।

*४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस मिलावट को खत्म करने के लिये कोई ठोस कदम उठायेंगे और मिलों में छापे डलवा कर इस हानिकारक सेंट को बरामद करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस संबंध में सरकार जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है उसके लिये कदम उठाएगी और छापे के सुझाव पर गौर करेगी ।

*४२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि इस समय बाजार में सरसों के तेल में मूंगफली का तेल और अन्य हानिकारक तेलों का मिश्रण करके दूकानदार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी इस मिलावट को रोकने के लिये कोई सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे जिससे जनता को शुद्ध तेल मिल सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, तेल के अलावा भी हर प्रकार के खाद्य पदार्थों के नमूने बराबर लिये जाते हैं और उनमें मिलावट पायी जाने पर, चालान किये जाते हैं और मुकदमे चलाये जाते हैं । पहली मार्च, १९६५ से प्रिवेन्शन आफ फूड, अडलट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत निर्धारित दन्डों को अधिक कठोर बना दिया गया है, और अब मिलावट करने वालों को पहले ही अपराध पर कम से कम ६ माह की सजा तथा एक हजार रुपया जुर्माना किया जा सकता है । ऐसी सूरत में मिलावट करने की मनोवृत्ति में अत्यन्त कमी होगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी इस बात को जानते हुए कि प्रदेश में मिलावट बहुत हो रही है और प्रत्येक मिल पर जो इन्सपेक्टर नियुक्त हैं, उनसे साठ-गांठ करके, उस मिल के बने हुए माल का असली सैंपिल न लेकर, दूसरा अच्छा सैंपिल रख देते हैं, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस संबंध में माननीय सदस्य अगर मुझको कोई खामोशी के साथ भी सूचना दे देंगे तो मैं यहां से स्पेशल आफीसर भेजकर जांच करा सकता हूं ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

झांसी जिले में बी० डी० ओ०

*४३—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में ब्लाकों पर कितने ऐसे बी० डी० ओ० हैं जिनको प्रत्येक ब्लाक पर ३ साल में अधिक हो चुके हैं ? और जिले में सेवा करते ६ साल से अधिक समय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—

झांसी जिले में कोई ऐसा क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं है जिसको उसके वर्तमान ब्लाक पर कार्य करते हुए ३ साल से अधिक समय हो चुका हो। न ही कोई ऐसा क्षेत्र विकास अधिकारी है जिस को जिले में क्षेत्र विकास अधिकारी का कार्य करते हुये ६ साल से अधिक को चुका हो।

ब्लाकों से वापस ली गई जीपें

*४४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय तक पूरे प्रदेश में कितनी जीपें ब्लाकों से वापिस ले ली गई हैं ?

श्री राममूर्ति—

९१ [५८ द्वितीय सोपानोत्तर खंडों से और ३३ द्वितीय सोपान खंडों से]

*४५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन वापिस ली हुई जीपों को अब किस कार्य में लाया जा रहा है या उनको बेच दिया गया है ? यदि हां, तो उनसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री राममूर्ति—

पुराने विकास खंडों से वापस ली गई जीपें कुछ नये प्रथम सोपान विकास खंडों को (जिनमें अभी तक जीपें नहीं थीं) प्रयोग हेतु दी गई हैं।

*४६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन ब्लाकों से, जिनसे अभी तक जीपें वापिस नहीं ली गईं कब तक जीपें वापिस लेने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

वर्तमान स्थिति में, नये प्रथम सोपान खंडों की (जिनमें अभी तक जीपें नहीं हैं), आवश्यकतानुसार पुराने द्वितीय सोपान अथवा द्वितीय सोपानोत्तर खंडों से धीरे-धीरे वापिस लेकर जीपें उन प्रथम सोपान खंडों को दी जायेंगी।

मजदूरी की दर

*४७—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पूर्वी अंचल के ४ जिले जो पटेल आयोग के अन्तर्गत हैं तथा पहाड़ी जिले और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, हमीरपुर, हरदोई और बरेली जिलों के खेतिहर मजदूरों की प्रतिदिन तथा मासिक मजदूरी व आय क्या है ?

श्री बनारसीदास—

न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत कथित जिलों में निर्धारित की गई वयस्क खेतिहर मजदूरों की मासिक तथा प्रति दिन मजदूरी की दरें इस प्रकार है :

(१) पटेल आयोग के अन्तर्गत चार जिलों जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और गाजीपुर तथा बांदा और हमीरपुर के जिलों में ३२ रुपये ५० पैसे प्रति मास या १ रुपया २५ पैसे प्रति दिन ।

(२) अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के पहाड़ी जिलों में २६ रुपये प्रति मास या १ रुपया प्रति दिन ।

(३) मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, हरदोई और बरेली के जिलों में ३९ रुपये प्रति मास या १ रुपया ५० पैसे प्रति दिन ।

बच्चों की मजदूरी वयस्क श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का २/३ भाग निर्धारित है ।

*४८—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये प्रदेश के प्रत्येक भाग में इतनी मजदूरी दिलाने का प्रयत्न करेगी जिससे उनका भरण-पोषण हो सके और इस पर कोई कानून बनायेगी ?

श्री बनारसीदास—

न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन कर दिया है । उसकी सिफारिशें आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

*४९–५०—श्री पितईराम (जिला रायबरेली)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१–५२—श्री उग्रसेन—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

आई० टी० आई०, इलाहाबाद से निकाला गया कर्मचारी

*५३—श्री रतीपाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आई० टी० आई०, इलाहाबाद में सन् १९६२ के माह सितम्बर में कितने कर्मचारी निकाले गये और उनके निकाले जाने का क्या आधार है ?

श्री बनारसीदास—

केवल एक कर्मचारी निकाला गया क्योंकि उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

जिला सहकारी बैंक, बिजनौर के विरुद्ध जांच

*५४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बिजनौर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बिजनौर के प्रतिष्ठित वकील श्री प्रेम कुमार सोती द्वारा ६ सितम्बर, १९६४ को प्रेषित स्मृति-पत्र मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*५५—क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बिजनौर के एक संचालक श्री राजेन्द्रपाल सिंह का कोई शिकायती-पत्र जिसमें बैंक में जालसाजी किये जाने का आरोप लगाया है, सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

जांच की जा रही है :

महिला हास्पिटल, अलीगंज की इमारत

*५६—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

महिला हास्पिटल, अलीगंज, जिला एटा की बाउन्डरी वाल एवं क्वार्टर बनवाने के लिये जो लगभग ८० हजार रुपया स्वीकृत हो चुका है उसके बनने के सम्बन्ध में क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) रुपया कब स्वीकृत किया गया, (२) अब तक दीवाल एवं क्वार्टर न बन पाने का क्या कारण है तथा (३) दीवाल एवं क्वार्टर कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मार्च १९५९ ई० में ८५,००० रु० की स्वीकृति दी गई ।

जिस भूमि पर इस कार्य का निर्माण होना है, उसको अभी तक अधिग्रहण नहीं किया जा सका है ।

भूमि के अधिग्रहण होते ही यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

*५७–५८—श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी निर्माण परिषद् लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध शिकायत

*५९—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि सहकारी निर्माण परिषद् लिमिटेड, कानपुर में बड़ा गबन है ? क्या सरकार सन् १९६५ की जनवरी तक कुल संख्या की लागत पूंजी क्या है और मुनाफा कितना हुआ है, इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी निर्माण परिषद् लिमिटेड, कानपुर में गबन संबंधी कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है ।

सहकारी संस्थाओं के हिसाबात सहकारी वर्ष (जुलाई से जून तक) के अनुसार बनाये जाते हैं इसलिये जनवरी, १९६५ तक के आंकड़े देना कठिन है ।

३० जून, १९६४ को संस्थाओं की कुल लागत पूंजी २,९५,६४८ रु० ४७ पैसे तथा मुनाफा ६७,२५० रु० ८० पैसा था ।

*६०–६१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा]—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला परिषद्, झांसी के लेखाओं की आडिट रिपोर्ट

*६२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, झांसी के अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक २८ अगस्त, १९६४ को सरकारी आडिट रिपोर्ट में लाखों रुपये की गड़बड़ियों के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप किस-किस प्रकार के भ्रष्टाचार इत्यादि के हैं व सरकार द्वारा अब तक अध्यक्ष के विरुद्ध मामला पुलिस के न दिये जाने तथा अध्यक्ष को मुअत्तल न किये जाने के क्या कारण हैं व सरकार ने आडिट रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद्, झांसी के लेखाओं पर दिनांक २८-८-६४ की आडिट रिपोर्ट अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

*६३-६४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन), श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५—श्री विजयसिंह, श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह—

[हटा दिया गया ।]

*६६—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७—इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८-६९—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के विरुद्ध जांच

*७०—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, उन्नाव कब से सुपरसीडेड है और कब तक रहेगा ? क्या सरकार का इरादा उक्त बैंक का वैधानिक चुनाव निकट भविष्य में कराने का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी बैंक उन्नाव का संचालक मंडल तथा कार्यकारिणी समिति २८-४-६४ से मुअत्तल है और नियमानुसार अगले सालाना जलसे तक मुअत्तल रहेगा। बैंक के मामलों में अभी विभागीय जांच चल रही है और अदालत में भी एक मुकदमा है, अतः ऐसी परिस्थिति में बैंक का चुनाव निकट भविष्य में कराना संस्था के हित में न होगा ।

बस्ती जिले में सिंचाई ऋण

*७१—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में कितने लोगों ने लघु सिंचाई का ऋण सन् १९६३-६४ बजट वर्ष में लिया ? उसमें कितने लोगों ने उसका सदुपयोग नहीं किया ?

श्री राममूर्ति—

वर्ष १९६३–६४ में लघु सिंचाई का ऋण १,०४१ व्यक्तियों ने लिया और उनमें से ५६ ने ऋण का सदुपयोग नहीं किया ।

रजपुरा ब्लाक में हेड क्लर्क का स्थानान्तरण तथा बी० डी० ओ० के विरुद्ध जांच

*७२—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि ब्लाक रजपुरा, जिला बदायूं में तकावी बाबू तथा हेड क्लर्क दोनों सगे भाइयों की नियुक्ति है और यह इसी ब्लाक के ग्राम डुप्टाकलां के रहने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, यह सत्य है ।

*७३—श्री बिशनलाल यादव—

क्या यह सही है कि उक्त हेड क्लर्क के खिलाफ जनता की बहुत शिकायतें है जिनकी जांच डी० पी० ओ०, बदायूं ने कराई और वह सही निकली, फिर भी हेड क्लर्क के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ? इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

हेड क्लर्क के विरुद्ध जांच कराई गई थी, परन्तु सन्तोषजनक प्रमाण न मिल सके । फिर भी स्थानीय होने के कारण उसका स्थानान्तरण रजपुरा से कर दिया गया है ।

*७४—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ में बी० डी० ओ० ब्लाक रजपुरा, जिला बदायूं द्वारा उक्त ब्लाक से कुछ रुपया गबन किया गया ? वह रकम कितनी है तथा इस सम्बन्ध में बी० डी० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

इस विषय में विभागीय जांच जारी है ।

जिला परिषद् कर्मचारियों का वेतन

*७५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के कर्मचारियों के वेतन क्रमोंमें संशोधन के निमित्त वेतन आयोग का गठन किया गया है । यदि नहीं, तो क्यों ? यदि वेतन आयोग का गठन किया गया है, तो वह अपना निर्णय कब तक दे देगा ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं, क्योंकि जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह संशोधित वेतन-क्रमों पर आये हुए अतिरिक्त व्यय भार को वहन कर सकें ।

अतारांकित प्रश्न

सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का वेतन

१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६१ में विकास आयुक्त के आदेशानुसार कुछ सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का वेतन-क्रम ७५–५–१२० से १२०–५–२५० किया गया ? उसके बाद उस आदेशानुसार दूसरे वेतन क्रम को चालू क्यों नहीं किया जा रहा है ।

श्री राममूर्ति—

जी हां। तकनीकी तौर से योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण वर्ष १९६१–६२ में कुछ सहायक विकास अधिकारियों का वेतन क्रम १२०–५–२५० में अस्थायी रूप से उन्नत किया गया था। परन्तु अब पशु चिकित्सक उपलब्ध होने लगे हैं इसलिये पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

हथियाराम ग्राम में औषधालय न खुल सकना

२—श्री राजनार्थसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि गाजीपुर जनपद में हथियाराम में जहां एक लाख की इमारत १८ कमरे वाली देने पर आयुर्वेदीय औषधालय खोलने का आश्वासन गत दो वर्षों से दिया जा चुका है और तत्सम्बन्धी सारी कार्यवाही सम्पादित हो चुकी है अब तक औषधालय न खोलने का कारण क्या है? और उसके कब तक खुल जाने की आशा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सीमित प्राविधान एवं अपेक्षाकृत अन्य स्थानों पर आवश्यकता अधिक होने के कारण ग्राम हथिरयाराम में औषधालय की स्थापना नहीं की जा सकी। चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना का लक्ष्य ४२ से बढ़ाकर ४९ करके सभी स्थानों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं, अतः इस परिस्थिति में हथियाराम में औषधालय खोलने के प्रश्न पर निश्चित तौर पर यह बताना कठिन है कि कब तक वहां औषधालय खोला जा सकेगा।

३—श्री राजनार्थसिंह—

क्या चिकित्सा विभाग के पत्र-संख्या १४५३–ग/५–६६–६३, दिनांक २५ अप्रैल, १९६४ के अनुसार १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में ही हथियाराम में आयुर्वेदीय औषधालय खोलने का प्रस्ताव था?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त पत्र में केवल इतना ही कहा गया था कि इस स्थान का नाम संहत सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६४–६५) में स्थानों का चुनाव करते समय इस ग्राम को भी ध्यान में रखा जायेगा।

४—श्री राजनार्थसिंह—

उक्त पत्र के अनुसार बहरियाबाद में कम्पाउन्डर के अतिरिक्त एक चिकित्साधिकारी (हकीम) की नियुक्ति का भी प्राविधान था, किन्तु अब तक तद्नुकूल कार्य न करने का कारण क्या हैं? बहरियाबाद औषधालय की इमारत बनने का क्या प्रबन्ध किया गया है और उसके कब तक बन जाने की आशा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वहां के चिकित्साधिकारी श्री बरकत उल्ला की ड्यूटी २० जनवरी, १९६५ से माघ मेला इलाहाबाद में लगा दी गई थी, इसलिये वहां कुछ दिन के लिये चिकित्साधिकारी नहीं था। अब मेला समाप्त हो गया है और वे अपना कार्य बदस्तूर कर रहे हैं।

बहरियाबाद औषधालय की इमारत बनवाने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जांच कराने से यह अवश्य पता चला है कि वहां पर भवन निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि नहीं मिल रही है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१९–३६० पर ।)

विशेषाधिकार समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन †

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का १५वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार की दो एक सूचनाएं आई थीं, वह अस्वीकार हो गई हैं उन पर आदेश लिखा हुआ है माननीय सदस्य देख लेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, एक हमने भी सूचना दी थी, ए० डी० एम० जे० और सुपरिन्टेंडेंट जेल के बारे में, माननीय केशव सिंह की गिरफ्तारी के बारे में ।

श्री अध्यक्ष—

केशव सिंह जी को विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

हमको तो है, क्योंकि कोई गैरकानूनी काम होगा तो नोटिस लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये अदालत है । हमसे कोई संबंध नहीं है केशव सिंह का ।

श्री उग्रसेन—

पहले तो आपने नोटिस लिया था ?

---

†छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष—

जब नोटिस लिया था तो आपने शिकायत की थी।

श्री उग्रसेन—

माननीय केशवसिंह की गिरफ्तारी के बारे में आप से बात करूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय उग्रसेन जी ने और माननीय जसराम सिंह जी और माननीय मुमताज मुहम्मद खां ने नलकूप और सिंचाई में जो दिक्कतें हो रही हैं, बस्ती, गोंडा, बभनान में बुलन्दशहर के बारे में शिकायत की है इसको मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। इसी प्रकार से माननीय बांकेलाल, उग्रसेन और श्री कृष्णा तथा चन्द्रबली सिंह की भी सूचनाएं मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। शेष को मैंने अस्वीकार किया है।

१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में अधिक समय की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आज आखिरी दिन है और बोलने वाले भी काफी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि समय की सीमा बांध दी जाय ताकि सभी को विचार रखने का मौका प्राप्त हो सके।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

हर आदमी श्रीमन् बोलना चाहता है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि एक दिन की अवधि बढ़ा दी जाय और दूसरे यह कि बोलने की सीमा निर्धारित कर दी जाय जिससे अधिक से अधिक लोग बोल सकें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह प्रस्ताव सही है। एक दिन की बहस और बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैंने सुन लिया और सदन की जो इच्छा है.....

श्री उग्रसेन—

मैं भी चाहता हूं कि एक-दो दिन का समय बढ़ा दीजिये, मगर बोलने के लिये समय निश्चित कर दें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, मैंने माननीय नवलकिशोर जी से बात कर ली थी और वह सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी असहमत नहीं हूं। मेरी मंशा यह थी कि शाम को सदन के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिएगा। इस समय अभी इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, एजन्डे का नम्बर १२ का मद रह गया है।

श्री अध्यक्ष—

क्षमा कीजिए, माननीय समाज कल्याण मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री उग्रसेन—

समय बढ़ जायगा, तो उसमें आपको कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, ५, १० मिनट का समय सबको दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बांकेलाल जी, जब एक सदस्य खड़े हों तो आपका कर्तव्य है कि आप बैठ जायं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, सभी दलों के सचेतकों की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह पक्ष में बोले अथवा विपक्ष में बोलें । मैं आपसे इस विषय में व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार से पक्ष में बोलने लोग वाले ही अधिक बोल जायेंगे और विपक्ष वाले २–१ ही बोल पायेंगे । मैं इस संबंध में आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस संबंध में सदन के सदस्यों को दो गोल में बांट दें–एक पक्ष और दूसरा विपक्ष ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह बिलकुल ठीक है । आप दो लिस्ट बना लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

हमको इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करना चाहिये कि हम दो गोलों में बंटे हुए हैं । जब हम एक दिन बढ़ा ही रहे हैं तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये ।

बर्मा से विस्थापित भारतवासियों के पुनर्वास के संबंध में वक्तव्य

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

अध्यक्ष महोदय, बर्मा सरकार की नीति के फलस्वरूप जो भारतवासी बर्मा से स्वदेश लौट रहे हैं, उनके लौटने की व्यवस्था भारत सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा हुई है । इनमें से अधिकांश लोग मद्रास, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य के निवासी हैं जिनके लिये भारत सरकार के आदेशानुसार इन प्रदेशों में उनके रहने व सहायता एवं पुनर्वासन के लिये विस्तृत व्यवस्था की गयी है और निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को पोषण-भत्ता देने के लिये सहायता शिविर की स्थापना पर और मकान आदि बनाने पर व्यय की मंजूरी भारत सरकार ने दी है । निश्चय ही इन प्रदेशों में पुनर्वासन योजनाओं का आकार बढ़ा है और वहां व्यय भी अधिक होगा ।

२—उत्तर प्रदेश में भी बर्मा से कुछ परिवार वापस आये हैं । मद्रास, विशाखापट्टनम व महारानी पेठ के जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रदेश के लगभग ५०० व्यक्ति (मय बच्चों के) जो समुद्र के रास्ते आये, उन्हें उत्तर प्रदेश में भेजा गया । मद्रास सरकार से प्रार्थना की गयी थी कि वह इनके आने की सूचना के साथ हमें परिवारों का पूरा विवरण भेजा करें और बताया करें कि यह लोग हमारे प्रदेश के किन जिलों में आ रहे हैं उनकी क्या आर्थिक स्थिति है और वह क्या-क्या सहायता चाहेंगे । परन्तु मद्रास सरकार ने अभी इस

प्रकार की सूचना भेजनी आरम्भ नहीं की है, जिसके कारण हमें यह पता नहीं लग पाता कि कितने परिवार किस जिले में आये। परराष्ट्र मंत्रालय को लिखा गया है कि वह मद्रास सरकार को इस विषय में उचित आदेश भेज दें। साथ ही साथ हमने अपने जिलाधीशों को भी लिख दिया है कि वह अपने जिलों में बर्मा से वापिस आये भारतीयों का विवरण शासन को भेजें।

३—भारत सरकार ने हमें बताया कि बर्मा से आये हुये भारतीय नागरिकों के संबंध इस प्रदेश में जहां के वे रहने वाले थे, किसी न किसी रूप में बने हुये हैं और साधारणतया, बर्मा स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हीं व्यक्तियों को यात्रा के अनुमति-पत्र जारी किये हैं जिन्होंने यह घोषित किया कि उनकी जड़ें पहिले से यहां भूमि अथवा संबंधियों के रूप में मौजूद हैं। इस कारण भारत सरकार ने बर्मा से उत्तर प्रदेश में लौटने वाले भारतीय नागरिकों की सहायता एवं पुनर्वासन के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है और उन्होंने केवल यही सुझाव दिया है कि राज्य सरकार इन लोगों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधा, नौकरियों में विशेष रियायत, मकान व खेती के लिये भूमि आदि देने के संबंध में विचार करें।

४—फिर भी इनमें से नितान्त असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को प्रारम्भिक काल में कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये राज सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि मद्रास, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की भांति इस प्रदेश में भी ऐसे व्यक्तियों को पोषण भत्ता देने की योजना लागू की जाय। भारत सरकार ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली परन्तु पोषण भत्ते की अवधि केवल १५ दिन रखी और कहा कि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि उनकी स्वीकृति लेकर १५ दिन और बढ़ाई जा सकती है। हमने भारत सरकार से अनुरोध कर रखा है कि पोषण भत्ता तब तक जारी रहना चाहिये जब तक कि पोषण भत्ता पाने वाले परिवार पुनर्वासित न हो जावें। भारत सरकार ने पोषण भत्ता निम्नलिखित दर से निर्धारित किया है—

१—एक सदस्य वाला परिवार	..	१ रुपया प्रति दिन
२—दो सदस्य वाला परिवार	..	१.३३ पै० प्रतिदिन
३—तीन सदस्य वाला परिवार	..	१.६७ पै० ,,
४—चार सदस्य वाला परिवार	..	१.९२ पै० ,,
५—पांच सदस्य वाला परिवार	..	२.१७ पै० ,,
६—ऐसे परिवार जिनमें पांच से अधिक सदस्य हों	..	२.३३ पै० ,,

इस प्रदेश में अब तक १९ परिवारों (७३ व्यक्ति) को वाराणसी में और एक एक व्यक्ति को लखनऊ व फैजाबाद में पोषण-भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने बर्मा से लौटे हुये भारतीय नागरिकों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में, उनके बच्चों को दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं। नौकरी में प्राथमिकता देने के लिये रोजगार के दफ्तरों को आदेश दे दिया गया है। मकान के लिये भूमि देने के प्रश्न पर स्थानीय निकायों को आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इसको छपवा कर सब सदस्यों में बंटवा दीजिये। इतनी तेजी से आपने पढ़ा है कि बहुत कम समझ में आया है। इसको पढ़ा हुआ समझा जाय।*

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जब आपने इसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है तो हम लोगों को कुछ प्रश्न भी पूछने थे। इसलिये ये सब पढ़ देते तो ठीक था।

---

*वक्तव्य के अवशिष्ट अंश के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६१ पर।

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये था ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में एक प्रश्न करना था ।.....

श्री अध्यक्ष—

अब बंट जायेगा तो उसके बाद कोई सवाल कर लीजियेगा ।

सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है कि आज सायंकाल साढ़े ५ बजे गैस्ट हाउस में माननीया मुख्य मंत्री आप सब को आमन्त्रित करती हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

किस लिये ?

श्री अध्यक्ष—

चाय के लिये ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री की हैसियत से वह चाय पार्टी पर आमन्त्रित करती हैं या माननीया सुचेता कृपालानी की हैसियत से ?

श्री अध्यक्ष—

वे आपको आमन्त्रित करती हैं, मनुष्य की हैसियत से आपको बुलाती हैं ।

१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में संकल्प

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, कल मैंने निवेदन किया था कि संविधान संघीय शासन में सर्वोच्च माना जाता है और इसलिए हम सभी अपनी शक्ति और अधिकार उसी संविधान से प्राप्त करते हैं, यह भी एक निर्विवाद सत्य है ।

परन्तु श्रीमन्, वह जो कांस्टीट्यूशन है उसका नेचर क्या है, उसको कैसे हम अमेंड कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस के द्वारा, कौन शक्ति उसे बदल सकती है और कांस्टीट्यूशन किसने बनाया, इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा । भारतीय संविधान दो तिहाई के बहुमत से बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही बदला जा सकता है । श्रीमन्, मैंने कल यह भी देखने की कोशिश की कि माननीय मिश्र जी ने कुछ बातों का उल्लेख किया कि हम इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं । हमने धारा ३६८ को भली प्रकार देखा और इस प्रकार की कोई बात हमारी नजर में नहीं आयी । हम तो हर बात में संशोधन करने के लिये यहां से पार्लियामेंट को सिफारिश कर सकते हैं और उसे इस तरह के संशोधन करने की पावर है । मेरा मतलब यह है कि प्रतिनिधि होकर हमारी कोई शक्ति वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिबन्धित नहीं है । संविधान भी तो यहां के नागरिक और जनता के प्रतिनिधि ही बनाते हैं और वही उस को जब बदल सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो शक्ति हम प्राप्त कर रहे हैं वह जनता के द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं, इसलिये जनता संविधान के ऊपर हो सकती है और है, और इसीलिये जनता के प्रतिनिधि भी वास्तव में जहां तक उन के अधिकार हैं या उन के विशेषाधिकार का प्रश्न है वह जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे ऊपर उठेंगे । अन्यथा काम ही करना कठिन हो जायगा ।

एक दलील यहां यह भी दी गई और वह सर्वोच्च न्यायालय के रेफरेंस में भी है कि विधान सभायें गलत काम कर सकती हैं और उसके कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं कि अगर किसी एक स्थान पर, जैसे केरल में मान लो कम्युनिस्ट सरकार बन जाय और वहां उनका बहुमत हो जाय और वह किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करें और ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात करें, इस तरह से गलत विचार धारा चल सकती है, गलत काम हो सकता है । मैं उन तमाम बातों में न जाकर केवल यह कहूंगा कि जनता क प्रतिनिधि अगर गलती कर सकते हैं तो वह सही माने जा सकते हैं क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है और वह जनता की राय से काम कर रहे हैं । मनुष्य का स्वाभाव ही गलती का है अगर वह गलती न करे तो वह भगवान के पद पर बैठ जाय, उससे और कोई बड़ा हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति म अगर जनता के प्रतिनिधि एक गलती कर भी देते हैं तो वह अक्षम्य नहीं है, उसको माना जा सकता है । इसी की क्या गारन्टी है कि न्याय-पालिका के सभी लोग पक्षपात-रहित होत हैं, भावावेश में कभी कोई गलती करते ही नहीं या गलत जजमेन्ट कभी उनसे होता ही नहीं ? मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, मेरा आशय किसी न्यायाधीश को अपमानित करने का नहीं है और न मुझे ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन यह ऐसा अवसर है जब कि एक ओर से हमारे ऊपर लांछन लगाया गया है कि विधान सभायें गलत काम कर सकती हैं, जनता के प्रतिनिधि या जनता गलत काम कर सकती है . . .

श्री अध्यक्ष—

और मेलाफाइडी काम कर सकती है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो मैं कहूंगा कि वह भी पक्षपातपूर्ण और भावावेश में गलत काम कर सकते हैं । हमारे यहां भी एक जज साहब हैं, मुझे याद है कि . . . . .

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मान लीजिये कि हमारी नीयत के संबंध में हाईकोर्ट ने कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी हमारा गौरव इसी में है कि हम उनकी नीयत पर अटैक न करें और केवल इतना ही कहें कि गलती उन से भी हो सकती है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा कहना यह है कि कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है और मेरी निजी जानकारी है कि एक राज्जन ने जज साहब को एक बढ़िया सा शेर सुना दिया और उसी पर जज साहब ने कहा कि आपकी अपील एलाउड । यह मेरे सामने की बात है । मैं उनका नाम नहीं लेता । हम इस रिफरेन्स के फैक्ट्स को देखें ।

(श्री राधेश्याम शर्मा के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप की कमेंटरी क्या चलती ही जायगी ?

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह जो हमारा वादविवाद है इस के पीछे तथ्यों को अगर हम देखें तो २ बजे यह बात तय की गई कि ३ बजे सरकारी वकील आकर इस पर बहस करेंगे, यह तय कर दिया गया। लेकिन करीब ३ बजे, जब कि बात चल रही थी, ठीक ३ बजे उन्होंने आर्डर पास कर दिया, जब कि उसके फौरन ही बाद, ३ बजकर ४ मिनट पर, कपूर साहब वहां पहुंच गये थे।

श्री अध्यक्ष--

हमें यह सूचना मिली है कि वहां जो जूनियर कौंसिल थे उन्होंने अदालत से कहा कि मैंने सीनियर कौंसिल को बुलाया है, तो उन्होंने यह कहा कि यह हमारा तरीका नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, यह भी एक बात है कि जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जुडिशियरी भी बहक सकती है। श्रीमन्, यहां भी आप देख लें कि मिनिस्टर साहब अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह उनका प्रिविलेज है। गवर्नमेंट की प्रिविलेजड पोजीशन होती है। सरकारी वकील जिसके पास बहुत ज्यादा काम होता है अगर वह यह निवेदन करे तो अदालतें उतना रिलैक्सेशन कर देती हैं। इस मामले में देर नहीं हुयी और जहां पर एक छोटा कौंसिल भी मौजूद हो और वह कहे कि अभी बात हो रही है, हम इन्सट्रक्शन ले रहे हैं, हम अनुमति प्राप्त कर रहे हैं तो वह टाला जा सकता था। यह कहना कि चूंकि अवधि निकली जा रही है इसलिये हमने आर्डर पास कर दिया, उचित नहीं है, क्योंकि यह तो केशव सिंह को चाहिये था कि जिस दिन उसको सजा हुयी थी, उस दिन जाकर कोर्ट को कह सकता था और अपनी दरख्वास्त दे सकता था। खाली एक दिन के कारण जिसमें कोई अहित नहीं हो रहा था कन्टेम्प्ट में एक दिन की सादी सजा कटने को रही जा रही थी। उस सजा में बहुत बड़ी बात नहीं होने जा रही थी। यह कहना कि एक दिन रह गया था तो इसलिये हमने आर्डर पास कर दिया यह भी एक मिसाल है कि हम ही नहीं बल्कि और भी बहक सकते हैं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है २८ जजों का एक साथ इकट्ठे बैठ कर एक दम फैसला करने की। यह भी उनकी निष्पक्षता को सन्देह के परे नहीं करता। मेरे कहने की मंशा यह थी कि हमारे ऊपर जो आक्षेप है कि हम गलत कार्यवाहियां कर सकते हैं, या करते हैं तो दूसरे नहीं करते, यह कोई सही दलील नहीं है। दूसरे भी कर सकते हैं, वह हमसे भी ज्यादा करते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि हमारे जो ऐक्शन्स होते हैं, वे जनता में फैल जाते हैं, अखबारों के द्वारा और और दूसरे जरियों से, लेकिन हाई कोर्ट अगर चाहे तो मुल्जिम को लाभ दे सकती है। इसलिए वाह वाह होती है, पब्लिक की सिंपैथी गेन करते हैं और हम यहां बैठते हैं। उसकी पब्लिसिटी तो बहुत जल्दी हो सकती है दूसरे तरीकों से। इसलिए हम उतनी पापुलेरिटी गेन नहीं कर पाते हैं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हमने प्रजातंत्र में विश्वास रखा है और प्रजातंत्र में कांस्टीट्युशन का भी एक उच्च स्थान है तो यह संविधान जनता की भावनाओं के विपरीत नहीं जा सकता। अगर जनता की भावना है तो हम बदल लेंगे। तो ऐसी स्थिति में संविधान का जो स्थान है वह अपने स्थान पर है, पर जनता से नीचे है। जनता के प्रतिनिधि का भी एक विशेष स्थान है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

श्रीमन्, कभी हमारे संघीय शासन की तुलना अमेरिका के संघीय संविधान से की गयी, उनकी मशीनरी से की गयी है। जहां तक मैं जानता हूं हम नाम के फेडरल हैं। वास्तव में जो हमारा ढांचा है उसमें जो इंग्लैंड का प्रजातंत्र है, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी है और अमेरिका

का संघीय संविधान है, इन दोनों का बीच की स्थिति और उसमें भी झुकाव किधर है ? यदि हम कहें कि हम ८० फीसदी इंग्लैंड की पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल हैं और २० फीसदी अमेरिका की संघीय पद्धति के अनुकूल हैं तो मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे प्रेसीडेंट का चुनाव हो, उसकी पावर्स का प्रश्न हो या हमारी यूनिट्स के काम करने के तौर तरीके का प्रश्न या संविधान के अनुसार काम करने के ढंग को देखें, तो श्रीमन्, हम इंग्लैंड की पार्लियामेंटरी पद्धति के करीब हैं।

श्रीमन्, एक बात और यह भी कही गई कि लेजिस्लेचर्स को वही अधिकार नहीं दिये जा सकते जो कि पार्लियामेंट को हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम, चाहे वह नाम मात्र का हो, एक फेडरल संविधान बनाते हैं, उसमें इकाइयों का एक विशेष स्थान है, उनकी सरकार अलग है, विधान सभा अलग है, उनका मंत्रिमंडल अलग है और उनके काम करने के ढंग अलग बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके लिए अलग विषय दिये गये हैं कि उनमें आपको ऐब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन है, उसमें आप काम करेंगे तो उनकी पोजीशन किसी पार्लियामेंट से कम नहीं है। वे अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर पार्लियामेंट की तरह ही काम करते हैं और करना चाहिए और उसके दौरान में कोई ऐसे कार्य करने वाले लोग आ जायं जो उसमें गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करें तो श्रीमन्, उसी प्रकार के अधिकार इस विधान सभा के सदस्यों को और विधान सभा को मिलने चाहिए जो पार्लियामेंट के सदस्यों को और पार्लियामेंट को हैं।

श्रीमन्, मैं आपके सामने स्थिति रखूं। मान लीजिए हम विधान सभा में बैठते हैं। एक आदमी अंदर घुस आता है और घुसने के बाद यहां गाली बकना शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है या इस बीच वाले फर्श के ऊपर नाचना शुरू कर देता है या बैठ ही जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे लिए मुनासिब होगा कि हम उसको आदरपूर्वक बाहर कर दें और यदि वह आदर-पूर्वक बाहर न जाय तो किसी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां जाकर, आप ही चले जाइये या कोई आदमी चला जाय और वह एक मुकदमा फाइल करे। क्या यह इस विधान सभा के लिए या किसी भी विधान सभा के लिए गौरव की बात है ? दूसरी बात यह है कि हम यहां आ कर बैठें और, जनतंत्र प्रणाली जिसको हमने अपनाया है, उसमें बाधा डालने वाले और कार्य करने से रोकने वाले व्यक्ति के प्रति हम क्या कार्यवाही करें ? कोई विशेषाधिकार हम लें या हमें मिलन चाहिए, यह एक बड़ा भारी प्रश्न है। मेरा खयाल यह है कि मैंने पूरी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़ी और माननीय न्यायाधीशों के रेफरेंस को भी पढ़ा और हाई कोर्ट के फैसले को भी पढ़ा। मैंने तो देखा है कि उन्होंने इस बात को माना है कि विशेषाधिकार होने चाहिए और हैं। इसमें किसी की दो रायें नहीं हैं। दोनों बातों को माना है। श्रीमन्, इसलिए माननीय मिश्र का यह कहना कि १९४ को हटा दिया जाय और उनका बस चले तो १९३ को भी हटा देंगे और कोई भी आदमी यहां आकर बैठ जाय और काम करना शुरू कर दे, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं और कोई भी सम्मानित सदस्य इस बात को नहीं मानेगा।

श्रीमन्, प्रश्न अब हाईकोर्ट के निर्णय का हो गया है। उसमें ३-४ जो प्रश्न हैं, बहुत अच्छी तरह से हल कर दिये गये हैं। मैं उस निर्णय की बात नहीं कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्लेक्ट किया है। जो जजमेंट आज बाइंडिंग है, मैं उसी की बात करता हूं। उन्होंने उसमें यह तय किया कि विधान सभा को किसी व्यक्ति को अपनी अवमानना के सम्बन्ध में दंडित करने की शक्ति थी। श्रीमन्, दूसरी बात उन्होंने यह भी तय कर दी कि विधान सभा की जो शक्ति थी वह आर्टिकल २२(२) के अन्तर्गत अवैधानिक नहीं थी। यह भी तय कर दिया कि जो प्रार्थी केशवसिंह हैं उनको दंडित होना चाहिए और वह संविधान की धाराओं २१ और २२ (१) और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं था। और यह भी तय कर दिया कि अधीक्षक, कारागार, लखनऊ को पूरा अधिकार था कि वह हमारे वारण्ट पर उन्हें डिटेन करते। तो इस प्रकार से

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

सारी बातों पर विचार हो जाने पर हमारा वह ऐक्शन मैलाफाईडी नहीं था। श्रीमन्, अब हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित होता है वह यह है कि जनरल वारण्ट या जिसे हम अनस्पीकिंग वारण्ट का नाम देते हैं, जिसमें हम यह नहीं कहते हैं कि कौन से विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी है, तो इसके ऊपर कोर्ट को अधिकार है या नहीं कि वह इन्टरटेन करे उस अप्लीकेशन को और इन्टरटेन करने के बाद डील करे और उसके पश्चात् इन्टेरिम आर्डर भी पास करे।

श्री दीपनारायणसिंह (फतेहपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले इन तमाम बातों पर बहस हो चुकी है, क्या इसका सिलसिला अनन्तकाल तक चलेगा? प्रश्न केवल यह है कि इसका औचित्य क्या है, यह होना चाहिए या नहीं। अब रिपीटीशन में समय नष्ट नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जब यह बहस प्रस्तुत की जा रही थी यहां बहस हुई कि उसकी वैधता है या नहीं, उसके ऊपर विचार हो सकता है या नहीं, उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, ऐसा लगता है मुझे कि जिनको मेरे विचार पसन्द नहीं आ रहे हैं, उनको इसमें कुछ दोहरावट की शिकायत है। फिर भी मैं मान लेता हूं, शायद कहीं कुछ हो गया हो। श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यदि जनरल वारण्ट हो, अनस्पीकिंग वारण्ट हो तो कोर्ट को उसे एन्टरटेन करने का, उसके विरुद्ध कोई अप्लीकेशन लेने का, और उसको डील करने का और उसके ऊपर इन्टरिम आर्डर पास करने का और इन्टेरिम आर्डर भी किस तरह का? जमानत पर रिहा कर देने का अधिकार है या नहीं? श्रीमन्, जहां तक इस केस में अथारिटी कोट की गयी है और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद उसमें मैंने श्रीमन्, देखा कि इस बात के ऊपर काफी मुकदमे हुए हैं, विवाद हुए हैं और विवाद होने के बाद अन्त में यह बात एक तरीके से तय पाई गयी है कि जो जनरल वारण्ट हों, जिनमें कि विशेषाधिकार का प्रश्न विधान सभा न स्वयं अपनी अवहेलना के लिए किया हुआ मान लिया हो, और उसके विरुद्ध सजा मान ली हो और उसका उल्लेख वारण्ट के अन्दर किया हो, तो कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन उसके अन्दर नहीं आता है और वह उसमें इन्टरफियर नहीं करेंगे। जहां तक अप्लीकेशन के इन्टरटेन करने का ताल्लुक है, मेरी बुद्धि से इन्टरटेन करने का अधिकार कोर्ट को है, वह इन्टरटेन कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी किसी के यहां कोई दरख्वास्त दे तो उसे इन्टरटेन करना तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। वह जायेंगे, दरख्वास्त देंगे और दरख्वास्त रखने के बाद उसे पढ़ा भी जायगा, तो इन्टरटेन करने का तो अधिकार है।

दूसरी बात उसे डील करने की रहती है। तो श्रीमन्, मैं जहां तक समझता हूं, अगर इस बात का विश्वास हो जाय—यह अनस्पीकिंग वारण्ट के द्वारा सजा दी गयी है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट्स को फिर उसे डील नहीं करना चाहिए यह मेरा विश्वास है। अब श्रीमन्, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने उस अप्लीकेशन को डील किया तो उन्होंने वास्तव में जो कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए था वह उन्होंने किया, यानी दे वेंट बिआन्ड देअर ज्युरिस्डिक्शन (They went beyond their jurisdiction) जिस कार्य का उन्हें अधिकार नहीं था उन्होंने उसे किया। उसका एन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। श्रीमन्, यह ड्यूटी हमारी थी, आपकी थी, हमारी सरकार की थी कि वह हाईकोर्ट को बताते कि यह अनस्पीकिंग वारण्ट के जरिये से इनको सजा दी गयी है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने जो कुछ किया

उसमें बहुत कुछ हमारे अधिकारियों का भी हाथ रहा। कारण कि जो केशवसिंह जी ने हैबियस कार्पस की दरख्वास्त दी उसमें यह कहीं उल्लेख नहीं था कि मैं अनस्पीकिंग वारण्ट के द्वारा कमिट किया गया हूं। ऐसी स्थिति में निश्चित है कि यह उनका अधिकार था, क्योंकि मैं स्वयं इस मत का हूं कि यदि किसी भी विशेषाधिकार का उल्लेख कर दिया जाय तो कोर्ट्स को उसकी लीगलिटी या इल्लीगैलिटी में जाने का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों ने जो सरकार की तरफ से, बल्कि हमारे मार्शल की तरफ से, जो रिटर्न फाइल होना चाहिए था वह रिटर्न फाइल नहीं हुआ और इसलिए उन माननीय न्यायाधीशों को यह पता नहीं था कि यह सजा अनस्पीकिंग वारण्ट के द्वारा दी गयी है और इस कारण उन्होंने उसके मैरिट्स में जाने की कोशिश की। यदि उन्हें यह पता हो जाता कि यह एक जनरल वारण्ट के द्वारा सजा दी गयी है तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वे उस को डील नहीं करते और वहीं उसको समाप्त कर देते। तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि रिटर्न फाइल करने का निर्णय नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उसका मौका उस वक्त नहीं था, क्योंकि उसी दिन वह सब हुआ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनका एक्जीक्यूशन नहीं किया हमारे आफिसर्स ने, यह भी आजतक एक बड़ा गोल जैसा मामला है। श्रीमन्, आपसे पूछा कि वारन्ट क्यों नहीं सर्व हुआ तो आप कहते रहे कि तैयार रखा है, दस्तखत नहीं हुये हैं और कभी कहा कि दस्तखत हो गया है, वह चला जायगा। (व्यवधान) इसी प्रकार सरकार के आफिसर्स, चाहे डिप्टी कमिश्नर और चाहे दूसरे सब का यह रहा, जब कोई निर्णय हो गया तो वह एक्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ आज यह एक बड़ा भारी प्रश्न है, बड़ा रहस्यमय प्रश्न है जैसा भगवान सहाय जी कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर आपको प्रकाश डालना चाहिये।

श्रीमन्, एक प्रश्न रह जाता है और वह यह है कि एक तो जो हाउस के अन्दर कंटेम्पट होता है हाउस का, उसमें किसको दंडित करें ? और एक श्रीमन्, यह कि कोई बाहर का व्यक्ति हाउस का कंटेम्प्ट करे, हम उस कारण उसको दंडित करें। इन दोनों का क्या प्रोसीजर और क्या तरीका होना चाहिये यह भी एक प्रश्न है। जो बात मैंने अभी कही वह इस प्रकार की थी कि जिसमें कंटेम्प्ट हाउस के सामने हुआ था। मैंने उसको पढ़ा और मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस जिसको हम सब महत्वपूर्ण मानते हैं और माननीय जजों ने भी उसका रिफरेन्स दिया है, उसको देखा है कि बाहर के कंटेम्प्ट में भी उनको दंडित किया जा सकता है, उसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है जैसा कि हाउस के सामने अगर कंटेम्प्ट हो तो हम दे सकते हैं। उसकी जांच हो सकती है और उसके लिये बाद को अनस्पीकिंग वारण्ट में जारी किया जा सकता है। सारी बातें हो सकती हैं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो मार्शल है उसकी पोजीशन बिलकुल सारजेन्ट-एट-आर्म्स जैसी होनी चाहिये। तो सारजेन्ट-एट-आर्म्स की जो पोजीशन है, उसके अनुसार उसे पकड़कर हम यह जो जेल बनी हुई है उसमें बन्द कर दें या जो सरकार के दूसरे जेलखाने हैं, वहां भेज दें। यह बात तो सही है, लेकिन हमारे यहां यह कमी है कि जैसी हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस है वह प्रैक्टिस यह है कि हाउस आफ कामन्स को कोई निर्धारित अवधि में दंड देने का न तो अधिकार है और न कायदा है। हमने ७ दिन की अवधि कर दी. . . .

श्री अध्यक्ष—

अब तो यही प्रश्न है कि १९४ (३) में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए ? अब यह ही बात है हमारे सामने। जब प्रतिवेदन आयेगा तब उस पर विचार कर लेंगे । उस पर विचार अलग से हो जायगा । इसको छोड़ दीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला मथुरा)—

तो श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि इस हाउस और हिन्दुस्तान की तमाम विधान सभाओं और पार्लियामेंट इन सब के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिये यद्यपि १९४ के अन्तर्गत पूरी व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में कोई नया संशोधन करने की संविधान में आवश्यकता नहीं थी, परन्तु आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि १९४ में जितनी नीचे उपधारायें हैं उनको पूर्ण माना है कि इनके द्वारा हमको पूरा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय का किसी प्रकार से एक ऐसा अभिमत हो गया है कि जिससे ऐसा लगता है कि शायद हमको उनके आगे भी जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे वही अधिकार हों जो हाउस आफ कामन्स के हैं तो उतनी हद तक हमको बदल कर देनी चाहिये । आज हम भले ही प्रजातन्त्र का कितना ही राग अलापें, लेकिन प्रजातन्त्र के इस कार्य को पूरा करने के लिये विधान सभा को, विधान सभा के मेम्बरों को आवश्यक शक्ति और विशेषाधिकार उनको अधिक से अधिक कार्य संचालन करने के लिये दिये जायं। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो विधान सभा की क्या इज्जत रहेगी ? आज हमको अधिकार है कि हम यहां आलोचना कर सकते हैं। अगर यह अधिकार न हो तो कल से हम आलोचना करें तो जैसे किसी भी प्लेटफार्म पर कोई बात कहते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा चल सकता है, यहां भी सब के ऊपर मुकदमा चलना शुरू हो जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

इस सदन को विशेषाधिकार न हो, यह किस सुप्रीम कोर्ट ने या हमने मना किया है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह काशीनाथ जी ने मना किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

राधेश्याम जी, अगर आप बोलना चाहें तो बोल लीजियेगा, आप खामोश तो हो जायं। (श्री हरीशकुमार गंगवार से) आप ५ मिनट में खत्म कर दीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जी हां। तो यहां जो इंटरफियरेंस है उसको रोकने के लिये, सुचारुरूप से हमारे कार्य को चलाने के लिये जो विशेषाधिकार हमने बनाये हैं या हमको मिले हुये हैं या जिनको विशेष रूप से हम लेना चाहते हैं वह वास्तव में उसी प्रकार के हैं जैसे किसी व्यक्ति के, किसी आफिसर के, किसी कोर्ट के या किसी मामूली पंचायत को भी अपने कार्य को सुचारुरूप से संचालन करने के लिये प्राप्त होते हैं। सिर्फ कुछ विशेषाधिकार जो हमको सजा देने के हैं, दूसरों को नहीं हैं । वह इसी कारण से हैं कि हम प्रतिनिधि हैं जनता के और उस सभा के सदस्य हैं जो सर्वोच्च मान्य है प्रजातंत्र में। ऐसी सभा में जो लोग पहुंचते हैं उनके लिये विशेषाधिकार होने चाहिये। यह कहने की बात नहीं है कि कन्टेम्प्ट आफ दि हाउस हो और उस पर हम सजा दें तो यह ऐसी बात हो गयी जैसे हम किसी न्यायालय में बैठे हों, यह तो एक मामूली अधिकार है जिसको कि हर एक सम्मान की दृष्टि से देखता है, जानता है और मानता है। इन शब्दों के साथ में यह चाहता हूं कि यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन किया जाय, अन्यथा मेरी राय तो यही थी कि जितना उसमें दिया हुआ है वही काफी है।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि माननीय पीताम्बरदास जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को भी ह्विप से मुक्त कर दिया और सब पार्टियों को राय दी कि सबको ह्विप से मुक्त कर दिया जाय जिससे प्रत्येक सदस्य अपनी राय जाहिर करने में निष्पक्ष रूप से समर्थ हो सके ।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर पहले भी, जब यह विवाद उठा था, इस सदन में बहस हो चुकी है। सीरवाई साहब के जरिये से हमारे बहुत से लोगों ने सलाह दे करके वहां बहस कराई और छापे में आ गयी। जो संकल्प आपने रखा है उसकी भाषा में यह स्पष्ट है कि "वह संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है", मैं इन शब्दों का घोर विरोध करता हूं और इसलिये कर रहा हूं कि आप जनता के प्रतिनिधि होने के कारण इस जिद पर अटल हैं कि आप जनता के अधिकारों, फंडामेन्टल राइट्स से भी ऊपर हैं। आपके द्वारा चुने गये जो राष्ट्रपति हैं वह संविधान में सर्वोपरि हैं, उनको जो अधिकार आर्टिकिल १४३ में दिये गये उन्होंने उनका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट की राय ली। उसको चैलेंज करने के लिये आप आ गये। आज प्रश्न यह है कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, एक कहता है मैं तगड़ा हूं, दूसरा कहता है कि मैं तगड़ा हूं। अब इसको तय करने के लिये मेरी राय से माननीय हरगोविन्द सिंह का डंडा होना चाहिये। पुलिस को इसे तय करना चाहिये। या यह ठीक न हो तो फिर इसको संवैधानिक तरीके से तय करना चाहिये। संविधान में यह है कि अगर कोई वैधानिक असफलता हो जाय तो शासन को पार्लियामेंट को सौंप देना चाहिये। पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि अगर वह २/३ बहुमत से राष्ट्रपति को यह सिफारिश करे कि जजों को निकाल दिया जाय तो उनको निकाला जा सकता है।

न्यायपालिका सरकार का एक अंग होता है। जब तक न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय नहीं होगा, सरकार का काम चलना मुश्किल हो जायेगा। अगर तीनों अंग आपस में टकराते हैं तो देश में खराब परिस्थिति पैदा हो जायेगी। लड़ाई की भी आखिर एक सीमा होती है। आप पावर इसलिये मांगते हैं कि जनता से चुनकर आये हैं। राष्ट्रपति को आपसे ज्यादा पावर्स हैं और उन्होंने जब अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको सुप्रीम कोर्ट को दे दिया राय जानने के लिये तो आप उनकी पावर्स को चैलेंज कर रहे हैं। आप कहते हैं हमसे राय लेनी चाहिये थी। मान्यवर, प्रश्नों को उलझा दिया गया है। कई लाख रुपया इसी में खर्च हो चुका है। जनतंत्र में ५ साल के लिये हम चुन कर आते हैं। हमको याद रखना चाहिये कि अगर हम गलत काम करते हैं तो जनता हमको अगले चुनाव में हटा सकती है। इसलिये हमको यहां भेजने का और हटाने का अधिकार जनता को है। उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुये हैं। हम उनके राइट्स को भी दबाना चाहते हैं अपने राइट्स के मुकाबिले में। आर्टिकिल १९४(३) में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन से विशेषाधिकार होंगे। हाउस आफ कामन्स में भी कई अधिकार फेड आउट कर गये हैं। हमको यह भी पता नहीं कि २६ जनवरी, १९५० को कौन-कौन से विशेषाधिकार वहां थे। इसका निर्णय कौन करेगा? कोई विशेषाधिकार है या नहीं इसका फैसला करने का अधिकार किसका है? कौन इसको तय करेगा? आप कहने लगे कि आपको अधिकार फांसी का है, इसको कौन तय करेगा कि है भी या नहीं? आपकी स्टेट की परिभाषा आर्टिकिल २२६ में है....

श्री अध्यक्ष—

२२६ में 'स्टेट' शब्द का प्रयोग नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—

अब सवाल यह है कि अथारिटी वर्ड है। अथारिटी का उन्होंने .....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

फंडामेंटल राइट्स को इमरजेन्सी में खत्म कर देते हैं तो क्यों खत्म कर देते हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह—

दिस इज ए क्वैश्चन आफ इंटरप्रिटेशन। इस पर कोई एक इंटरप्रेटेशन देता है और दूसरा और ही इंटरप्रिटेशन देता है। आज सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन राष्ट्रपति की सलाह की ओपीनियन हो गई है। इसलिये अगर आप में ताकत होती, जैसा कि आपने प्रस्ताव पास किया कि जजेज को हैंगअप कर दिया जाय, आपका वारेन्ट चला, परन्तु कैरी आउट नहीं हुआ। आपके ऊपर इंजक्शन आर्डर ईश्यू हुआ और तामील हो गया। धारा ३६४ के अनुसार ये मंत्री लोग रिस्पान्सिबुल थे आपके सदन के प्रति, परन्तु उन्होंने आर्डर कैरी आउट नहीं किया। तो आपके उस प्रस्ताव का मखौल हुआ। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा नीचे गिरी। अगर प्रस्ताव पास आप करते हैं और वह कार्यान्वित आप न कर पायें और फिर सुप्रीम कोर्ट की राय राष्ट्रपति द्वारा ली गई और फिर हम कहते हैं कि यह राय सब गलत है या ये सब बातें इतने वाद विवाद के बाद, आपकी बैठकों के होने के बाद, आपके बाम्बे जाने के बाद, आपके सीरवाई को समझाने के बाद, फिर उसके बाद ४०—५० की कमेटी बिठाने के बाद, माननीय हुकुम सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर और नन्दा जी को यह नहीं मालूम हुआ कि संशोधन करना चाहिये। उनकी मर्जी हुई पर कार्य नहीं कराया। धारा ३६४ में तो आपको यह अधिकार नहीं है कि संशोधन करायें। तो फिर आप इनिशियेटिव लेने लगे, यह सही नहीं। मैं एक छोटे डेमोक्रेट की हैसियत से, एक अच्छे वकील की हैसियत से आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप गलत तरीके से, क्योंकि रूल आफ ला इज दि बेसिस आफ डेमोक्रेसी, आपस के झगड़े हम तय न करें। आप तो कहते हैं कि दीपनारायण सिंह को निकाला जाय। छोटे साहब निकाल दिये गये। आपके विशेषाधिकार का प्रयोग हुआ। बहुमत के कारण निकाल दिये गये। जनता ने फिर उनको चुनकर भेज दिया। अगर आप बहुमत में ईमानदार हैं तो महाराष्ट्र की असेम्बली जिनका आप हवाला देते हैं उनको भंग हो जाना चाहिये जिन्होंने उसको निकाला था। लेकिन आपने एक तरफ तो जनतंत्र की दुहाई दी। अगर आपने कोई गलत काम किया, जनता के प्रतिनिधियों ने जल्दी में उसको टाला नन्दा जी ने, तो रूल यह कहता है कि नन्दा जी इस्तीफा दें। इस तरह से यह बेसिस है डेमोक्रेसी जो "विल आफ दि पिपुल" सुप्रीम डेमोक्रेसी में होता है। "कांस्टीट्यूशन इज दि मिरर आफ दि विल आफ दि पिपुल आफ दि कंट्री"। संविधान किसी देश की जनता की इच्छा का दर्पण है। तो कांस्टीट्यूशन के प्रति आपकी यही वफादारी है ? लेकिन आप विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। माफ करियेगा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। जैसे गुप्ता जी ने २११ का उल्लंघन किया क्या ये आर्टिकिल आपकी नियमावली में कवर हो जाते हैं ? तो संविधान के प्रति भी आपने कोई ईमानदारी नहीं बरती। क्या उसकी चाराजोई नहीं थी ? हमारे पास अगर गलत इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मान्टेस्कू का एक सेन्टेन्स है :

"As Rome, Sparta and Carthage have lost their liberty and perished, so the Constitution of England will in time lose its liberty, will perish. It will perish whenever the legislative power shall become more corrupt than the executive."

इतनी बढ़िया बात कही है। अगर व्यवस्थापिका, यानी कानून बनाने वाली संस्था एग्जीक्यूटिव मशीनरी से ज्यादा दूषित हो जाय तो फिर इसकी लिबर्टी भी खत्म हो जायगी और सब चीज खत्म हो जायगी। किसी की लाइफ, किसी की प्रापर्टी नियमों के अनुकूल ही ली जा सकती है, नियमों के अनुकूल ही छीनी जा सकती है। आपने केशवसिंह को तो मौका दिया, लेकिन जजेज

को मौका नहीं दिया, हैंडकफ करके लाने का हुक्म दे दिया। इससे दो-दो मशीनरी डोल गईं। एक तो हाई कोर्ट की मशीनरी डोल गई, और एक आप डोल गए, आपको दौड़ना पड़ा। तो सही तरीका यही था कि राष्ट्रपति दोनों को बचायें। मुख्य मन्त्री जी ने कल सही कहा कि हमें प्रशासिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अंगों में समन्वय, सामंजस्य लाना पड़ेगा। आप के इस सदन में भी जनता ने तीनों के प्रतिनिधि रखे हैं। शासन का डंडा ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी के हाथ में थमाया हुआ है, न्याय का श्री अलीजहीर के हाथ में। वह तो किसी को उठा कर नजरबन्द भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उस नजरबन्दी को देखेगा कौन ? हाई कोर्ट देखेगा। नहीं तो ठाकुर साहब का डंडा मनमाने ढंग से पड़ने लगे। इसलिये ऐसा रखा गया कि आपको इतना ही अधिकार है। इसी तरह व्यवस्थापिका के प्रतिनिधि आप हैं। किसी को भी कह सकते हैं कि बैठ जाइए। हम फलां को बुलवायेंगे, यह आप को अधिकार है। तो तीनों में समन्वय चाहिये और तीनों का समन्वय इस सदन में जनता ने किया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी है कि फीयरलेस जुडिशियरी होनी चाहिए। साथ में यह भी है कि डेमोक्रेसी में विधान सभा भी एक आगस्ट बाडी है, इनका भी एक स्थान है। बदलती हुई क्रान्तिकारी जनता की मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यह करते हैं। मैं नैयर साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि निशानी अंगूठा लगाने वाले यहां आ जाते हैं, अगर यह बात कोई कहे तो शायद बुरा होगा। वह भी हमारे प्रतिनिधि हैं, गलत हों या सही, लेकिन यह कह देना कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसलिये कायदे कानून सब गलत, जिसको चाहें हम हैंग कर दें, जो चाहें करें तो यह भी एक अव्यवस्था ही उत्पन्न करेगा। स्वस्थ जनतंत्र का आप पूरा इतिहास पढ़ जाइए। आस्ट्रेलिया का और दूसरी जगहों का कांस्टीट्यूशन देख जाइये। इंगलैंड में किंग से कोर्ट बनता था। कोर्ट को पावर किंग देता है। आप के यहां राष्ट्रपति, जो आप का चुना हुआ होता है वह उन्हें अप्वाइंट करता है। वह भी जनता के द्वारा ही अप्वाइंटेड और रिमूवेबिल है। हाउस आफ कामन्स को स्ट्रगिल हाउस आफ लार्ड्स से करनी पड़ी जो कि ठाकुर साहब की बिरादरी के थे, जमींदार और राजे-महाराजे थे, वह जनता के प्रतिनिधि और प्रतीक नहीं थे। हाउस आफ कामन्स ने हाउस आफ लार्ड्स से झगड़ा लिया, किंग से झगड़ा लिया। लेकिन कभी भी इतिहास में आप नहीं देखेंगे कि जनता से टकराव लिया हो हाउस आफ कामन्स ने। फंडामेंटल राइट्स में केशव सिंह को अधिकार था कि नरसिंह नारायण पांडेय के कारनामों की चर्चा वह करते, इसका उस को पूरा अधिकार था। उस अधिकार को आप ने विशेषाधिकार से दबाने की कोशिश की। उसके ऊपर निर्णय आप के फेवर में हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन उन को राइट है एन्टरटेन करने का, देखने का। तो ऐसी हालत को जिसमें फंडामेंटल राइट्स और आप के राइट्स में टकराव हो, बचाना जरूरी है और आप के विशेषाधिकार इतने न बढ़ जायं, इस तरीके से आर्बिट्रेरी न हो जायं कि जनतंत्र में.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो वही बात आप बार बार कह रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट का निचोड़ कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

परसनल रिमार्क्स न कीजिए। मैं आप को रोक नहीं रहा हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एक ही बात को बार-बार कहने से बल नहीं आता।

श्री दीपनारायणसिंह—

अमेरिका के संविधान को देखें। सीनेटर्स और रिप्रेजेन्टेटिव्स को बोलने और वोट देने का पूरा हक है। इसी तरह से फ्रांस के चौथे और पांचवें संविधान में जो १९४६ और १९५८

[श्री दीपनारायणसिंह]

के हैं, जापान में भी तथा बर्मा में भी इन दोनों बातों की ऐबसोल्यूट पावर दी गई है। वही चीज हमारे यहां भी है, जो अनुच्छेद १९४ (१) और १९४ (२) में दी हुई है। जो कुछ हम यहां कहेंगे या वोट देंगे, उस पर दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रश्न केवल १९४ (३) का है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि क्या क्या विशेषाधिकार २६ जनवरी, १९५० को हाउस आफ कामन्स के एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने बिल आफ राइट्स में अपने अधिकारों को इन-कारपोरेट किया, कोर्ट आफ रिकर्ड तक की पोजीशन उनकी है। आप को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। तो आप की और उन की पावर्स में बड़ा अन्तर है। तो अगर हम यह पोजीशन एडाप्ट करते हैं कि हम उनके बराबर हैं, यह मेरी राय में ठीक नहीं है क्योंकि आप के विशेषाधिकार एन्यूमरेटेड नहीं हैं। संविधान में लिखा है कि जब तक ला न बन जाय तब तक आपके विशेषाधिकार वही रहेंगे। इन अल्फाज से संविधान बनाने वालों का मंशा यही था कि जल्दी हम अपने विशेषाधिकार नहीं कोडीफाई करेंगे या बनायेंगे, बल्कि धीरे-धीरे बना लेंगे। मेरी राय में विशेषाधिकारों को कोडीफाई न करने का कारण यही है कि गोलमाल में, वाइड पावर्स अपने पास रखें और हर पावर को कहें कि यह हमारा अधिकार है। अब प्रश्न यह है कि आपके विशेषाधिकार की सीमायें क्या क्या हैं, इसकी जांच कौन करेगा? जुडिशियरी ही तो करेगी। हम तो अल्प मत में हैं। इसलिये हाथ उठाकर विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर हम को दंड दे सकते हैं, लेकिन जो बहुमत में हैं, वह गलती भी करते जायं, क्या उन को भी आप ४–५ साल के लिये निकाल देंगे?

जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से इस प्रस्ताव का समर्थन सुनता हूं तो मुझे खतरा लगता है, इसलिये कि वह स्वयं को फांसी पर लटकवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। आप बगैर पार्टी के बात कीजिए।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन, मिसयूज कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष—

तब मैंने आप को नहीं रोका और न माननीय नायर से ही कहा, जब उन्होंने यह कहा कि डेस्पाटिज्म हो सकता है, मैजारिटी पावर्स को मिसयूज कर सकती है, न आप को ही मैं इस बारे में रोक सकता हूं। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इसके अलावा कुछ और बात भी कहें।

श्री दीपनारायणसिंह—

उच्छृंखलता के रूप में पावर का मिसयूज न हो इसके कंट्रोल के लिये ला होना जरूरी है, यही मैं बता रहा हूं। आप की बात मान ली कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रम पैदा कर दिया। तो जब १९४ में आप को अपनी पावर्स कोडीफाई करने का अधिकार है तो आप कर लें या पार्लियामेंट कर दे। हालांकि मैं जानता हूं कि कोडीफाई होने से कोर्ट की पावर्स में वह आ जायगी, फिर भी कोई न कोई मशीनरी तो रखनी ही होगी जो उसको इन्टरप्रेट करे। क्या अमेरिका का विधान इसी तरह का नहीं है? वहां भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। तो क्या वहां जनतंत्र खत्म हो गया? मैं माननीय न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि जुडीशियरी को अधिकार रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वह हमारी आर्बिट्रेरी पावर्स पर कुछ रिस्ट्रेन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला जनता और सदन के बीच का है। इससे जनता में यह बात पैदा होने लगी कि उसके अधिकारों का अपहरण हो सकता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में अगर जनता में ऐसा भ्रम फैलने लगे कि जन प्रतिनिधि अदालत में जो हमको रेमिडी प्राप्त थीं, उसी को खत्म करना चाहते हैं, तो हमारी तथा सदन की पोजीशन इससे खत्म होती है। इस भ्रम को हम अपने ऐक्शन से हटायें। उसमें आप भी शामिल

हों और हम भी शामिल हों और ऐसा विहैव करें ताकि राज्य के तीनों अंगों में समन्वय हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव पावर्स में क्लेश नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष का एक बहुत गलत नतीजा निकला और वह यह कि जुडीशियरी और लेजिस्लेटिव की लड़ाई से एग्जीक्यूटिव की पावर्स बढ़ गईं। हमने रूल आफ लॉ को धक्का पहुंचाया और लेजिस्लेटिव और जुडीशियरी जो डिमाक्रेसी के एसेन्शियल पार्ट्स हैं, वह दोनों एग्जीक्यूटिव के सबार्डिनेट हो गये, क्योंकि दोनों ही ने अपने-अपने नोटिसेज को एग्जीक्यूटिव से ही सर्व कराने का प्रयास किया। इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। हम राष्ट्रपति के ऊपर इसको छोड़ते हैं जैसा वह चाहें करें, अन्यथा इसका कोई हल नहीं निकलना है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय, अब लंच का समय हो गया है, अगर आप इजाजत द, तो या तो चार बजे या कल सुबह मैं इस पर बोल लूं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है। हाउस भी चाहता है कि कल तक इस पर बहस चले, तो कल आप बोल सकते हैं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं भी जानना चाहता हूं कि मुझको समय कब देंगे?

श्री अध्यक्ष—

समय की बात मैं नहीं कहता, जो सामने पड़ जायगा।

श्री भगवानसहाय—

एक बात तो यह तय हो चुकी है कि आप आंख से देखकर तो बुलाते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप यह नहीं कह सकते, बैठ जाइये।

श्री भगवानसहाय—

दो कानून नहीं हो सकते, एक मेरे लिये और एक माननीय न्याय मंत्री के लिये। मुझे आप इसका जवाब दें।

(श्री कमलासिंह यादव का नाम पुकारा गया)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब तक यह परम्परा रही है और आप ने अभी तक इसका पालन भी किया है कि किसी भी गंभीर विषय पर विरोधी पक्ष के विभिन्न पक्षों के एक-एक स्पोक्समेन को पहले राउंड में बुलाते थे, उसके बाद सेकंड राउंड में हर पार्टी की शक्ति के अनुसार। लेकिन इस मामले में आपने मालूम पड़ता है अपवाद कर दिया। यह क्यों किया गया, यह आप ही जानें। इसका नतीजा यह है कि एक पार्टी के ३—३ व्यक्ति बोल चुके हैं और किसी पार्टी का कोई नहीं। पहली परम्परा यह थी कि पहला राउंड सब पार्टियों का पहले हो जाता था, तब पार्टीज की शक्ति के अनुसार आप बुलाते थे।

श्री अध्यक्ष—

मेरा प्रयत्न यह हो रहा है कि यथाशक्ति जो विरोध में बोलने वाले हैं वे भी बोल लें। मुझे यह सूचना मिली थी कि जनसंघ के एक सदस्य को छोड़ कर शेष विरोध में बोलेंगे। इसमें इधर उधर की बात नहीं है, मैं यह सोच रहा था कि एक पक्ष में बोले तो एक विरोध में बोल ले।

श्री झारखण्डेराय—

क्या आपकी यह सूचना है कि माननीय कमला सिंह जी पक्ष में बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वे ज्वाइंट कमेटी के मेंबर रहे हैं इसलिये मेरा अनुमान है कि वे पक्ष में बोलेंगे।

श्री झारखण्डेराय—

अगर आपको यह सूचना थी तो यह सूचना भी होनी चाहिये थी कि माननीय चन्द्रजीत यादव भी पक्ष में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद एक विरोध में बोलेगा तब उनको अवसर मिलेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय न्याय मंत्री जी जैसे ही खड़े हुए कि आपने उनको बुला लिया। कृपा करके उनके पास संदेशा भिजवा दीजिये कि वे आज चार बजे बोल लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे आज बोलने के लिये कहा था लेकिन ऐसा खयाल है कि विवाद कल तक चलेगा। इसलिये वे कल बोलना चाहते हैं। आज बोलने से कोई फायदा न होगा। चार बजे अगर वे बोलेंगे तो उनके बाद किसी को बोलने के लिये मैं न बुला सकूंगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, कमेटी के सदस्यों का प्रतिवेदन तो यह है ही।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन और संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रतिवेदन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों ने जो मत व्यक्त किया है वह अनुच्छेद १९४(३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है। दूसरी चीज यह है कि संविधान के जो निर्माता लोग थे, उन्होंने जो अपना अभिप्राय प्रकट किया था उसके प्रतिकूल इसकी भावना मालूम पड़ती है। इन दो चीजों पर मैं अपना मत व्यक्त करूंगा।

सब से पहली चीज यह है कि जहां तक हमारे संविधान का सवाल है देखा यह जाता है कि इसके तीन मुख्य अंग हैं —१—विधायिका, २—न्यायपालिका, ३—कार्यपालिका। इन तीनों मुख्य अंगों पर इस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिये कि तीनों में संतुलन बना रहे। अगर हम किसी तरह से एक को खत्म कर देते हैं तो सब अनबैलेंस्ड हो जायगा। इसलिये यह आवश्यक है कि तीनों में बैलेंस रहे। इसके साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि संविधान के अन्तर्गत इन तीनों की जो पावर्स हैं वे अलग अलग हैं। जहां तक न्यायपालिका का संबंध है, हम देखते हैं कि उसका काम कानून की व्याख्या करना है और जहां तक विधायिका का सम्बन्ध है, इसका काम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कानून को बनाना और इसी तरह से कार्यपालिका का काम है कानन को एक्जीक्यूट करना। तो मैं इन बातों में अधिक न जा कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे संविधान का सवाल है, इसका आधार ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम पर ही हमारी गवर्नमेंट आधारित है इसलिये ब्रिटिश सिस्टम पर ही यहां का संविधान बनाया गया है। हमारे कुछ वक्तागण ने अमेरिकन कांस्टीट्यूशन की बात कही है। तो जहां तक अमेरिकन सरकार का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अमेरिका में जरूर होता है लेकिन और जो बाकी बातें हैं गवर्नमेंट की वे हमारे यहां से भिन्न हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में यह दिया गया है कि एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिये जिम्मेदार होगी, यही ब्रिटिश सिस्टम है, लेकिन अमेरिकन सरकार में यह नहीं है कि वह जिम्मेदार हो। इसके लिये वह स्वतंत्र है। हम यहां एक्जीक्यूटिव सेपरेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में यह दिया हुआ है कि हम राष्ट्रपति को भी इम्पीच कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। इसी तरह से जजेज को भी पार्लियामेंट इम्पीच कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है। इस तरह से आज हमारी पावर अधिक है बनिस्बत न्यायपालिका के। हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस प्रकार संविधान के अनुसार जो लोग यहां आते हैं वे जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जनता सर्वोपरि है क्योंकि जनता खुद आकर इस काम को नहीं करती है, वह अपने प्रतिनिधियों के द्वारा इस काम को कराती है। इसलिये हम यह कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है।

अब हम इस बात को लेते हैं कि यहां पर बराबर कहा जा रहा है कि हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ऊंचा होना चाहिये, न कि हमारे प्रीविलेज। तो श्रीमन्, इसमें जो ओपीनियन जाहिर की गयी है, उसमें हम यह देखते हैं कि फंडामेंटल राइट को उन्होंने बड़ा बनाया है।

श्रीमन्, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो ओपीनियन है जिसमें यह बतलाया गया है कि अगर हम किसी स्ट्रेंजर को इस सदन द्वारा सजा दें तो वह कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अगर किसी मेम्बर को सजा दें तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह मत उस बेंच का है जिस के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गडकर जैसे आदमी थे। इस को हम मानते हैं कि जज कभी गलती नहीं करता। तो इतने बड़े विद्वान और योग्य आदमी के होते हुये—और भी बहुत से पढ़े-लिखे और योग्य विद्वानों के होते हुये—उनकी यह ओपिनियन है कि अगर कोई स्ट्रेंजर कोई गड़बड़ी करे और उसको इस सदन से सजा मिले तो वह कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सदस्य नहीं जा सकता है। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि सदस्य होने के बाद जो हमारे नागरिक अधिकार हैं उन का खातमा हो जाता है या क्या हो जाता है, क्योंकि अब तक तो मैं यही समझता था कि चाहे हम कहीं भी इस देश म रहें, जब तक कि हम जिन्दा हैं, हमारे नागरिक अधिकार व मौलिक अधिकार हमारे साथ हैं। सिटीज़नशिप का जो राइट है, जब तक हम हिन्दुस्तान में जिन्दा रहते हैं और किसी दूसरे देश के सिटीजन नहीं हो जाते, तब तक हमारा वह राइट कान्टीन्यू करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि हमारे मुख्य न्यायाधीश का जो मत था वह किस आधार पर ऐसा है कि मेम्बर को तो हक नहीं है कि वह अदालत में जा सके, लेकिन एक स्ट्रेंजर को हक है और वह अदालत में जा सकता है। मेरे खयाल में तो चूंकि हम नागरिक हैं इसलिए हमारा मूल अधिकार तो जारी ही रहता है, लेकिन उस के बाद जब हम किसी संसद या राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं तो उस वक्त हमें एक विशेष अधिकार मिलता है और इसीलिए हमारे विशेषाधिकार की बात कही गयी है। साथ ही यह भी सब जानते हैं कि राज्य सभा या विधान मण्डल या संसद खुद कोई काम नहीं करती, बल्कि सारा काम उन के सदस्यों द्वारा ही होता है और जब सदस्यों के द्वारा कोई काम हो तो सदस्यों का विशेषाधिकार हुआ, सदन का विशेषाधिकार होता है और इसीलिए "विशेषाधिकार" शब्द यहां रखा गया है।

[श्री कमलासिंह यादव]

जहां तक विशेषाधिकार का सवाल है उसका सम्बन्ध दो-तीन चीजों से है। पहली चीज है वाक्स्वातन्त्र्य। जब हम यहां कोई बात बोलते हैं तो हम वाक् स्वातन्त्र्य मिलना चाहिये और उस के साथ हमें इतना अधिकार होना चाहिये कि जो बातें हम यहां अपने भाषण में कहें, वह हम वाक्-स्वातन्त्र्य के अनुसार निर्भीकता से कह सकें और उस पर हमारे ऊपर कोई ऐक्शन नहीं होना चाहिय और जिस बात के लिए भी हम वोट दें उस पर भी कोई एंक्शन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिय। मैं आप का ध्यान १९१९ के एक्ट की धारा १० की ओर दिलाना चाहता हूं उस में मेम्बर्स के प्रिविलेजेज दिये हुये हैं, लेकिन उस के बाद यह देखा गया कि वह शुरू का सदन जो १९२१ में आया वह सन् १९१९ के कानून पर आधारित था और उस को अवमान के लिए सजा देने का हक नहीं था। इसलिए जब एक सम्मेलन वहां किया गया तो उस समय हाउस आफ कामन्स के भूतपूर्व सदस्य पैटरिक ह्वाइट आये थे और उन की अध्यक्षता में वह पहला सम्मेलन हुआ था और उन्होंने उस समय यह शब्द कहे थे कि--"भारत में विधान मण्डलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का सम्पूर्ण प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है, प्रश्न यह है कि क्या अवमान के लिए एसी वैध शक्तियां मांगी जायं जिन से विधान मण्डल अवमान के लिए दण्ड दे सके।"

यह सन् १९२१ की बात है और उस के बाद सन् ३३ में फिर अध्यक्ष सम्मेलन हुआ और यह देखा गया कि भारत के जो सचिव थे, उन्होंने एक ज्ञापन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा और वहां पर यह समझा जा रहा था कि सन् ३५ का गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट बन रहा है उस में कोई संशोधन होगा, इसलिए उस में मांग की गयी कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के जो राइट्स हैं, वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हमें दी जायं, यह मांग की गयी और उसके बारे में जो पैरा ४ में लिखा है उस को मैं पढ़ना चाहता हूं "अध्यक्ष सम्मेलन में सर्वसम्मत राय थी कि भविष्य में भारत में दोनों ही अर्थात् केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों को वह विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और शक्तियां अवश्य दी जानी चाहिये जो हाउस आफ कामन्स को प्राप्त हैं। सम्मेलन की धारणा थी कि यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट, १८६७, जिस का आगे चलकर पार्लियामेंट आफ कनाडा ऐक्ट, १८७५ द्वारा संशोधन किया गया, की धारा १८ जैसी एक धारा भारत के संविधान में सम्मिलित की जाय....इन शक्तियों और उन्मुक्तियों के प्रयोग और संरक्षण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों ही विधान मण्डलों को इस एक्ट क उल्लंघन की छान-बीन करने और दण्ड देने के लिए कोर्ट आफ रिकार्ड बनाया जाना चाहिये।"

तो श्रीमन्, २ चीज पर मैं एम्फैसिस कर देना चाहता हूं। पहली तो यह है कि ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्स की कोर्ट आफ रिकार्ड है। हमने मांग यह की है कि कोर्ट आफ रिकार्ड जो है और कोर्ट आफ रिकार्ड की जो पावर है, जो हमारा विधान मंडल है उस को देनी चाहिये।

दूसरे हाउस आफ कामन्स के जो विशेषाधिकार हैं, उन्मुक्तियां हैं या शक्तियां हैं वे भी प्रदान की जायं। यह मांग हमारी थी। पहले १९३३ की मांग इस बात का सबूत है कि हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, उनको यह पावर नहीं थी। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ जब बना तो उसकी धारा २८ और ७१ की तरफ जब-जब हमारा ध्यान जाता है तो देखने में आता है कि जो मांग यह थी वह ठुकरा दी गयी। वह हम नहीं दी गयी। जहां तक धारा २८ का सवाल है, १९३५ का जो ऐक्ट है उसमें यह दिया हुआ है :--

सेक्शन २८ (३)

"Nothing in any existing Indian Act, and, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this section, nothing in this Act, shall be construed as conferring, or empowering the Federal Legislature to confer, on either Chamber or both Chambers sitting together, or on any Committee or Officers of the Legislature, the status of a court, or any punitive or dis-

ciplinary powers other than a power to remove or exclude persons infringing the rules or standing orders, or otherwise behaving in a disorderly manner."

जहां तक १९३५ के गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट का सम्बन्ध है उसमें यह भी दिया हुआ है कि जो हमारी विधान सभाएं हैं उनको उतनी ही पावर थी कि अगर सदन में कोई गड़बड़ी मचाये चाहे सदन का मेम्बर हो, या बाहरी हो, तो उस में जो हमें शक्ति प्रदान की गयी थी वह यह थी कि उस शख्स को सदन के बाहर निकाल दें। इसलिये इस में यह शब्द हैं "to remove or exclude the persons" स्टेट्स आफ कोर्ट कन्फर नहीं किया गया। कोर्ट की पावर हमें नहीं थी। दूसरे हमें किसी को सजा देने की भी पावर नहीं थी। हम केवल रिमूव या एक्सक्लूड कर सकते थे।

इसके बाद जहां तक धारा ४ का सवाल है उस में दिया हुआ है कि :—

"Provision may be made by an Act of the Federal Legislature for the punishment, on conviction before a Court, of persons who refuse to give evidence or produce documents before a Committee of a Chamber when duly required by the Chairman of the Committee so to do."

तो इस तरीके से कमेटी के अन्दर अगर हम किसी को साक्ष्य के लिए बुलाते थे तो अगर वह नहीं आता था तो उसके लिए एक पैरा डाला कि इस आदमी को सजा देने की जरूरत थी, क्योंकि कमेटी का जो आर्डर था उस की कम्प्लायन्स नहीं करता। तो कोर्ट को यह अधिकार दिया गया और जब हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट सजा देती थी।

श्रीमन्, इतना ही नहीं है, अब मैं आप का ध्यान ७१ की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक इसका सवाल है, इस के भी पैरा ४ की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा। इस में दिया हुआ है कि—

"Provision may be made by an Act of the Provincial Legislature for the punishment on conviction before a court, of persons who refuse to give evidence or produce documents before a committee of a Chamber when duly required by the chairman of a Committee so to do."

इस तरह से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट बना उस समय तक यदि कोई साक्ष्य न दे या डाकुमेंट्स न दे तो हमें सजा देने का अधिकार नहीं था। वह पावर कोर्ट को थी। इस तरह की दिक्कत हमारे सामने उस समय थी। तो श्रीमन्, यह पावर कोर्ट को थी और हर बात के लिए यह होता था कि हमें कोर्ट में जाना पड़ता था।

श्रीमन्, इसको देखते हुये, १९३८ में फिर अध्यक्ष सम्मेलन हुआ, और इन बातों की ओर फिर ध्यान दिलाया गया कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट, १९३५ में जो धाराएं २८ और ७१ हैं उन में यह बात नहीं मिलती है। इसलिए कहा गया कि "सम्मेलन का सर्व सम्मत और दृढ़ मत यह था कि भारतीय सरकार से यह प्रार्थना की जाय कि वह भारत सरकार अधिनियम, १९३५ की धारा २८ और ७१ को संशोधित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे ताकि केन्द्रीय, प्रान्तीय विधान मण्डलों और उस के अधिकारियों और सदस्यों को वह ऐसी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हो सकें, जो ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के स्पीकर और सदस्यों को प्राप्त हैं।"

श्रीमन्, हमारे माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो इस आदरणीय सदन के नेता विरोधी दल रह चुके हैं, उन्होंने पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम लेजिस्लेचर को सपोर्ट कर रहे हो? मैंने कहा था कि हमारे विशेषाधिकार तो खत्म हो गये हैं लेकिन हम स्पीकर के विशेषाधिकारों को खत्म करना नहीं चाहते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि स्पीकर और सदस्यों को जो ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स को विशेषाधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं, उन के लिए हमारी लड़ाई जारी है।

[श्री कमलासिंह यादव]

श्रीमन्, १९४७ में भी हमने कोशिश की कि ये पावर्स हमको मिल जायं। लेकिन उस समय यह चर्चा थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिये इसलिये यह कार्यान्वित नहीं हो सका। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि १९४८ में जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय हमारे पार्लियामेंट के सभापति माननीय श्री जी०वी० मावलंकर थे। उन्होंने एक परिवर्तन आदेश यह दिया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की धारा २८ में क्लाज (२) दूसरे तरीके से जोड़ दिया जाय। श्रीमन्, वह क्या था? वह यह था कि "अन्य बातों में डोमिनियन विधान मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार ऐसे होंगे जैसे डोमिनियन विधान मंडल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर परिभाषित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं किये जाते तब तक वे ही होंगे जो डोमिनियन की स्थापना के तुरन्त पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामंस के सदस्यों को प्राप्त थे।"

श्रीमन्, यह पहली बुनियाद है जिस पर हमें यह हक मिले हैं। अब इसके बाद १९५० में फिर अध्यक्ष सम्मेलन हुआ तो उस वक्त, चूंकि हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान बनाते समय, श्रीमन् जहां तक धारा १०५ और १९४, का सवाल है, यह दो धारायें हमारे सामने हमारे संविधान में बहुत ही प्रतिष्ठा का स्थान रखती हैं और वे बहुत ही महत्व पूर्ण हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता। इस वक्त श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने अपने भाव इस पर व्यक्त किये थे जो कि.....

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। समी साहब अपने स्थान पर सो रहे हैं, क्या यहां पर सोना उचित है?

एक सदस्य—

अरे सोने दीजिये, यह तो लंच का समय है, एक और दो के बीच का टाइम है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

सोना है तो लाबी में जाकर सोयें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसको पढ़ने में सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। श्री अल्लादी साहब का १०५ धारा के संबंध में जो भाषण था उसके बाद अम्बेदकर साहब ने १९४ में अपने भाव जो व्यक्त किये और जिसके आधार पर माननीय नवलकिशोर जी ने यह संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। श्रीमन्, यहां पर जो मैंने भाषण सुने, इधर और उधर के माननीय सदस्यों के जो कि पार्टियों के आधार पर व्यक्त किये गये थे, तो एक चीज मेरी उनकी समझ में नहीं आयी, जहां तक मूल अधिकार का सवाल है, इसमें यह कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें कायम रखने चाहिये। माननीय दीपनारायण ने भी यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स कायम रखने चाहिये और १९४ में जो बात कही गयी है उसमें कोडोफिकेशन होना चाहिये हमारे विशेषाधिकारों का। तो हमारे सामने एक सवाल है कि जो हमारा एक्ट है, जो कांस्टीट्यूशन है वह हमारा बनाया हुआ नहीं है, यह कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के द्वारा बनाया हुआ है। तो २ बातें पैरलेल में आती हैं।

अब मैं आपका ध्यान आर्टिकिल १३ की ओर दिलाना चाहता हूं, उसमें दिया हुआ है, मैं हिन्दी में पढ़ दूं ताकि काशीनाथ जी भी समझ जायें।

श्री अध्यक्ष—

श्री काशीनाथ जी तो अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जी हां, कमलासिंह जी से तो ज्यादा ही समझता हूं, लेकिन आपसे कम समझता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं अंग्रेजी में ही पढ़ दूं, १३(१) में दिया हुआ है:—

"All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void."

यानी फंडामेंटल राइट्स जो भाग ३ में दिये हुये हैं, अगर उसके विपरीत या उसके कंट्राडिक्शन में कोई भी कानून बनाये, क्योंकि अब जो कानून बनेगा वह एनऐक्टमेंट कहलायेगा, क्योंकि अब विधान सभा बनायेगी या पार्लियामेंट में बनाया जाये वह एनऐक्टमेंट होगा और पहले के जो कानून बन गये हैं वह ओरिजिनल कानून हैं, जो कांस्टीट्यूएंट असेम्बली द्वारा बनाये गये हैं । १३ के उपखण्ड १ में यह दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर ३ में निर्धारित किये गये हैं, यदि उसके खिलाफ कुछ भी होगा तो वह उस हद तक शून्य होगा जितना कि उसको चेक करता है, या कम करता है । तो इन शक्तियों को जहां तक कम करने का सवाल है, उसमें यह दिया हुआ है, उस मात्रा तक वह शून्य होगा जिस हद तक वे इस भाग के उपबन्ध में असंगत हैं । यह चीज दी हुई है । अब माननीय दीपनारायण जी या अन्य लोग जो इसका विरोध करते हैं वे बराबर यह कह रहे हैं कि कोडीफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है ? मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या कोडीफिकेशन का सवाल आसान है ? अगर हमारे भाषणों में कोई बात हो तो वह आसानी से कोडीफाई हो सकता है लेकिन श्रीमन्, जहां तक यह प्रिविलेजेज यानी शक्तियों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का सवाल है यह कोई नहीं कह सकता कि उनमें से कब किनका इस्तेमाल करना पड़े ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कांस्टीटुयेंट असेंबली में भी बहस थी कि वे डिफाइन नहीं कर सकते और उन्होंने डिफाइन नहीं किया और आप उसको डिफाइन करवाना चाहते हैं । तो जो बात कांस्टीटुयेंट असेंबली नहीं कर पायी वह आप करवाना चाहते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

हम कोडीफाई बिलकुल नहीं कराना चाहते, हम तो आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

जो विद्वान वकील थे उस समय में कांस्टीट्यूयेंट असेंबली के मेम्बर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अइयर, उन्होंने भी कहा था कि प्रिविलेजेज को डिफाइन करना गैर मुमकिन चीज है । एक कमेटी भी बैठाई गई कि इस पर रोशनी पड़े लकिन उसने भी कहा:—

"The committee was not able to give any effective advice to the Constituent Assembly in regard to this matter."

तो इससे भी स्पष्ट है कि जहां तक कोडीफिकेशन का सवाल है वह आसान नहीं था और यह सोचा गया क्योंकि वह बुजुर्ग लोग बड़े विद्वान थे और भविष्य की बातों को भी बहुत ज्यादा समझ सकते थे और इसलिये भी कि जब कोई आदमी कोई कानून बनाता है तो उसके बनाते समय उसका ध्यान कानून की ओर रहता है और वह उस पर अच्छी तरह से सोच सकता है और इसीलिये उन्होंने राय व्यक्त की कि हमें वाइड स्कोप छोड़ना चाहिये । काशीनाथ जी की ओर इशारा करता हूं, ये मुझसे कहते हैं कि तुम बराबर सदन में जब कोई बिल लाया जाता है

[श्री कमलासिंह यादव]

तो कहते हो कि यह सदन की विधायिनी शक्ति के बाहर है इसलिये कानून नहीं बनाया जा सकता, तो हम फिर यहां क्या करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह हर बात में कह दिया करते हैं कि यह नहीं आ सकता तो फिर हम यहां बैठकर करेंगे क्या ? यह मैं इनसे पूछा करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

जब इनकी खुद यह राय है कि इस सभा की ताकत बढ़े तब मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये अपने भाषण में ऐसी बात लाये कि हम सदन की शक्तियों को कम करें। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय काशीनाथ जी का अट्रैक्शन जजेज की तरफ क्यों है ? लेकिन श्रीमन्, कुछ बात है। मैं व्यक्तिगत आक्षेप तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कहना जरूरी हो जाता है। केशव सिंह जी हमारी पार्टी के मेम्बर हैं। लेकिन श्रीमन्, जिस वक्त वह बुलाये गये थे सदन के अन्दर आने का भी वे अवरोध कर रहे थे कि वे नहीं जायेंगे। वे लाये गये, सदन के अन्दर। आप श्रीमन्, यह जानते हैं कि अदालत का व्यवहार क्या होता है। कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट जहां बैठा है उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो तो वह कंटेम्प्ट है—

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवहार का समर्थन तो किसी ने नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे सुन लीजिये। तो उसमें यह हुआ कि उनसे नाम पूछा गया—आपका नाम क्या है ? वह सुनते रहे, वह अक्लमन्दी की बात थी ? चेयर से फिर पूछा गया कि आपका नाम केशव सिंह है, क्या इससे आपको इन्कार है ? तब भी वह नहीं बोले। नतीजा यह हुआ कि उनकी आइ-डेन्टिटी इसी प्रश्न से इस्टैब्लिश हो गयी। जब कहा गया कि आप मुंह इधर करें तो उन्होंने पीठ उधर कर ली। वह इस बात का द्योतक है कि हर तरह का पासिबिल इन्सल्ट चेयर और हाउस का जो हो सकता था वह उन्होंने किया। तो अगर इस माने में सदन के माननीय अध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्य बाहर के लोगों को इस तरह का प्रोत्साहन दें कि वह सदन के अन्दर इस तरह का व्यवहार करें, जहां पर करीब ८ करोड़ के प्रतिनिधि मौजूद हों, कानून बनाते हों, जिस सदन को बहुत ऊंची शक्ति प्राप्त हो और उसका आसन भी बहुत ऊंचा हो, उसमें किसी तरह का खिलवाड़ करने के लिये इजाजत दें तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई अपमान की बात नहीं हो सकती है।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जब से सुप्रीमकोर्ट की ओपीनियन आई है, पैम्फलेटबाजी अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अगर हर पैम्फलैट को देखा जाय तो उसमें इतने अपमान हैं जिनका बयान नहीं किया जा सकता। चाहे श्रीमान् हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, भरे शब्द आते चाहे इधर या उधर के बैठने वाले हों सबकी तरफ पर्चेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और अवमान का प्रश्न इतना बढ़ गया है कि कोई भी किसी आदमी को कोई शब्द कह सकता है, हिचकता नहीं है, क्योंकि इसके लिये जो डर था कि इस सदन के प्रति अगर कोई ऐसे अपमान-जनक शब्द इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर उसी वक्त कार्यवाही होगी, यह डर काफी दूर हो गया है। हालांकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है उसमें भी यह भाव व्यक्त किया गया है कि अवमान के बारे में कोर्ट को इन्टरप्रेट करने का अधिकार होना चाहिये। तो उसके बारे में मैं यह कहता हूं कि २११ का जहां तक संबंध है उसमें यह कहा जाता है कि किसी जज के कंडक्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते। क्या उसमें यह दिया है कि कोई भी जज सदन की, सदन के मेम्बरों की या स्पीकर को कन्टेम्प्ट करता है या ऐसी कार्यवाही करता है जिससे सदन का अवमान होता है उसको डिस्कशन

नहीं कह सकते ? अगर कंडक्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो क्या संविधान को कन्टेम्प्ट के लिये हम उसको सजा दे सकते है या नहीं ? या उसके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न सामने आता है। जहां तक कंटेम्प्ट का प्रश्न है चूंकि कम से कम अधिकार हमारा है, हम उनको तनख्वाह देते हैं जो कार्य प्रणाली है और जिस तरह का कार्य करते हैं उसमें इस चीज पर हमारा अधिकार है। जो कार्य करने का तरीका है और जिस प्रकार से कार्य करते हैं उन बातों को सदन की इजाजत से डिस्कस कर सकते हैं। जहां तक कंडक्ट का सवाल है हम अपने ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं कि किसी जज के कंडेक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कन्टेम्ट का सवाल है चूंकि हर आदमी को मालूम है कि मैजिस्ट्रेट अगर बैठा है और कोई ट्रायल करता हो, वह अगर किसी को गाली देता है तो वह उसकी आफिशियल ड्यूटीज में नहीं होता है । वह उसकी पर्सनल जिम्मेदारी होती है । तो हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि अगर कोई भी आदमी आफिशियल ड्यूटी में रहते हुये ऐसा काम करे जो आफिशियल ड्यूटी में नहीं आता है । तो उस वक्त हम उसको जुडिशल ऐक्ट में जो डिफेंड किया गया है, उसका फायदा नहीं दे सकते। साथ ही साथ यह भी बात है कि जहां तक २११ का सवाल है, कहा जाता है कि जजेज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करना चाहिये । मैं काशीनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि वह बतलायें कि २११ में अगर हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो अध्यक्ष तो जानते नहीं कि फलां सदस्य क्या कहना चाहता है, अगर किसी ने अचानक किसी जज के कंडक्ट को डिस्कस किया तो उस समय पोजिशन क्या होगी ? सवाल यह उठता है कि अगर आपने कैच कर लिया और किसी सदस्य को आपने प्वाइंट आउट किया जज के कंडक्ट की तरफ तो उस वक्त अध्यक्ष महोदय उसको रोक सकते हैं । लेकिन जो हमने डिस्कस किया है उसका क्या होगा, यह एक सवाल है।

इसमें दो तरह की बातें आती हैं । जब हम किसी जज के कंडक्ट को डिस्कस करते हैं तो उसका अधिकार किसको है ? जज हमें सजा देगा या सदन उस पर कार्यवाही करेगा ? मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक बात बतलाना चाहता हूं कि सदन की प्रणाली है कि मेम्बर सदन में आ सकते हैं, नान-मेम्बर्स या स्ट्रेंजर्स नहीं आ सकते हैं और गैलरीज में हमारे पास के जरिये से आदमी एंटर होते हैं । इससे स्पष्ट है कि जो आदमी यहां प्रवेश करेगा उस पर सदन के नियम लागू होंगे और वह उनका पालन करेगा । अगर उनके खिलाफ कोई काम करेगा तो वह खुद लायेबिल होगा और सदन उसे सजा दे सकता है ।

जहां तक २११ का सवाल है, अगर देखा जाय तो १९६ से २१२ तक प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है और २०८ के पहले भी दिया हुआ है । हम अपनी प्रक्रिया नियमावली जो बनाते हैं वह २०८(१) के मातहत बनाते हैं जिसके आधार पर हमारे नियम होते हैं । जब २०८ के अन्तर्गत प्रक्रिया नियमावली के नियम बना लिये और २१२ के एक पैरा में जिक्र है कि कंडक्ट हमारा क्या होगा या किस तरीके पर हम कार्यवाही करें तो हमने दिया है कि हम कंडक्ट जो जजेज का है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जरा टाइम का खयाल जरूर करें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

कोई टाइम लिमिट होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

कल भी तो चलेगा ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

इस तरह से तो कल भी लोग बोल नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ठीक है, लेकिन माननीय राधेश्याम जी बोल लें।

श्री कमलासिंह यादव—

तो जहां तक २११ का सवाल है, २११ पर कंट्रोल स्पीकर का होगा या सदस्यों का हो सकता है; लेकिन बाहर के किसी आदमी को या कोर्ट के लोगों को अगर सजा दी गयी तो यह नहीं हो सकता है। सिर्फ डिसिप्लिनरी ऐक्शन के लिए हमने नियम बनाये हैं जिनमें जजेज के कंडक्ट को डिस्कस करने की मनाही की है। यह हमने अपने ऊपर एक सेल्फ रेस्ट्रेंट या सल्फ प्राहिबीशन लगाया है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी ने किया है तो जो प्रोसीजर होगा वह हमारा हक होगा कि हम उसको सजा दें या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ कर सकें। तो वह पावर्स २११ के अन्तर्गत इस सदन को हैं, न कि कोर्ट को। यह मैंने पहले ही कह दिया कि सदन में कोई प्रवश नहीं कर सकता, यहां तक कि वारंट हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर भी कोई एंटर नहीं हो सकता, उसकी सर्विस नहीं कर सकता। तो डिटेल में मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही इम्प्रेस करना चाहता हूं कि २११ की जो बात कही जाती है, श्रीमन्, वह चीज नहीं है। जुडिशियरी की जो इज्जत है उसको ऊंचा रखने के लिये हमने सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं।

(इस समय २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

१९४-(३) में हमारे प्रिविलेजेज आते हैं। शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर हम कोई इनऐक्टमेंट करते हैं तो वह उस हद तक शून्य होगा जहां तक फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा।

श्रीमन्, कोडीफाई करने की बात कही जाती है। यह चैप्टर थर्ड के अन्तर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स दिय जा चुके हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। इसलिये हम चाहते हैं कि प्रिविलेजेज को कोडीफाई करन की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी पावर्स को कायम रखना चाहते हैं, उनको खत्म नहीं करना चाहत। बराबर यह कहा जाता है कि हमारा रिटिन संविधान है। हमारे यहां सेप्रेशन आफ पावर्स है, इसलिय यह कोडीफाई होना चाहिये। यह मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा हमें दूसरों के तजुर्बे से भी कुछ सीखना चाहिये, अपना तजुर्बा ही काम में नहीं लाना चाहिये। साउथ आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया और विक्टोरिया आदि को भी हमारा जैसा स्टेट्स प्राप्त था। साउथ आस्ट्रेलिया को पहले १८५५ में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वहां भी रिटिन कांस्टीट्यूशन हैं। हालांकि ब्रिटेन में अनरिटिन है। वहां की जो ४९ वीं धारा थी उसी के अनुसार उसी को कापी करके हमारे यहां भी उसको रखा गया। जो हमारे यहां आर्टिकिल १०५ है उसकी कापी भी वहां से की गयी है। हमको यह अधिकार दिया गया है कि जब तक हम कोडीफाई नहीं करते, हमको वही प्रिविलेजेज हासिल होंगे जो हाउस आफ कामंस को है। यह चीज १९४(३) में दी हुई है। साउथ आस्ट्रेलिया में रिटिन कांस्टीट्यूशन है और सेप्रेशन आफ पावर्स वहां भी ह। उन्होंने एक एग्जाम्पिल सेट की, १८५८ में उन्होंने अपने प्रिविलेजज को कोडीफाई किया। कोडीफाई तो कर दिया मगर वे चल नहीं सके। बहुत परेशानी बढ़ती गयी, क्योंकि कोडीफाई होने से एक सीमा बन गयी। नये-नये विशेषाधिकारों का सवाल उठने लगा। नतीजा यह हुआ कि १८७२ में फिर उन्हें उसे रिपील करना पड़ा।

मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जब इतने एडवांस्ड कन्ट्री में, जिसने हमसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की और जिसका कांस्टीट्यूशन भी वैसा ही है जैसा कि हमारा है, जब एक बार कोडीफिकेशन किया गया, उसे भी १८७२ में मजबूर होकर उसे रिपील करना पड़ा, तो हमें क्या जरूरत है उसे देखते हुये कि उस परेशानी को ल ?

अब मैं माननीय सदन को आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि कोडीफिकेशन न होने से फायदा क्या हुआ। फायदा यह हुआ, पहिले तो यह दिया हुआ है कि कोई भी आदमी हो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वे ही सिटीजन्स राइट्स हैं, वे सुरक्षित होने चाहिये। जैसा कि आर्टिकल ३२ में दिये गये फंडामेंटल राइट्स की गारंटी सुप्रीम कोर्ट करती है और इसी तरीक से जब कि गारंटी है और इस संविधान के द्वारा कांस्टीटुएंट असेम्बली ने सुरक्षा दी है, तो उस दशा में हमारे सामने बड़ी दिक्कत आ सकती है। कोडीफाई करेंगे तो नया एनैक्टमेंट होगा। उसके द्वारा काम करने के लिये जो कानून बनायेंगे उनको उस हद तक शून्य समझा जावेगा जिस हद तक वे उन अधिकारों में कमी करते हैं। कोडीफिकेशन न होने से यह फायदा हुआ कि कांस्टीटुएंट असेम्बली से बने हुये फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह पर हैं। १९४ में दिये गये प्रिविलजेज और इम्यूनिटीज के पावर्स अपनी जगह पर हैं। जब ये दोनों चीजें अलग रक्खी हुई हैं तो इन दोनों का संतुलन कैसे होगा ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, लाबी पर भी तो आपका अधिकार है। इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है. पर वहां बातें हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वहां तो बातें कर सकते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

अगर आप यह फैसला करेंगे तो बैठना मुश्किल हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये। आप ही इतनी बात कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, जब फंडामेंटल राइट्स और विशेषाधिकार में कानफ्लिक्ट होता है तो उस वक्त प्रोसीजर क्या होना चाहिये ? श्रीमन्, जजेज ने जो ओपीनियन दी हैं या जो रिसेंट जजमेंट केशवसिंह के खिलाफ है, उसमें दिया हुआ है। जब इस तरह के कंट्राडिक्शंस हों, उसके बारे में यह दिया हुआ है दो चीज हैं। एक तो यह है कि जो कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है उसके नागरिक अधिकार तो अपनी जगह पर रहते हैं। जब सदन में आता है तब उसको विशेषाधिकार मिलता है क्योंकि उसको यहां पर विशेष तरह का काम करना होता है। विशेष काम करने के लिये उसे शक्ति दी हुई है ताकि कोई उल्लंघन न हो सके। अपनी विचारधारा स्पष्ट कर सके और जो काम सदन का हो उसको सुचारु रूप से कर सकें और अपने स्वतंत्र विचारों को भी व्यक्त कर सके। इसीलिये उसे विशेषाधिकार की पावर दी गयी है। जब फंडामेंटल राइट्स का और विशेषाधिकार का कंट्रैडिक्शन होगा तो उस समय क्या होगा या किस तरह का काम होगा ? उसके लिये यह दिया गया है कि ये दोनों सेक्शन, फंडामेंटल राइट्स का और विशेषाधिकार का, कांस्टीटुएंट असेम्बली द्वारा दिये गये हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर विशेषाधिकार का स्थान होगा क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सदस्यों के भी उतने ही हैं जितने एक आर्डिनरी सिटीजन के। सदस्य होते ही शक्ति ज्यादा हो जाती है और इसका नतीजा यह होता है कि १९४ के मातहत फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। यह भी एक कारण है जिसके लिये हमें कोडीफिकेशन नहीं करना चाहिये।

एक बात और है जो कि माननीय काशीनाथ जी ने बहुत बहादुरी से कही और वह यह है कि अब तो हर जगह विशेषाधिकार का प्रश्न हो जायगा। यहां की असेंबली का मध्य प्रदेश के ऊपर या इसी तरह हो जायगा। १९४ में इम्युनिटी हाउस को दी गई है, चाहे संसद हो या किसी स्टेट का कोई हाउस हो, प्रत्येक प्रदेश में सभी विधान मंडलों को ये पावर्स हैं।

[श्री कमलासिंह यादव]

सभी माननीय सदस्यों को फ्रीडम आफ स्पीच है और वे इम्यून हैं कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और विशेषाधिकार का प्रश्न भी उनके ऊपर नहीं उठेगा क्योंकि हर सदन इस माने में स्वतन्त्र है । लेकिन जजों को किसी तरह की इम्युनिटी नहीं मिली है । इम्युनिटी गवर्नर को और राष्ट्रपति को मिली है । जजेज की सहायता के लिये जुडिशल ऐक्ट बना हुआ है जिसके मुताबिक कोई भी जुडिशल ऐक्ट वह करते हैं, अगर वह मैलाफाइडी नहीं है, बोनाफाइडी है, तो उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है । लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि बराबर इस सदन में कहा जा रहा है कि कन्टेम्प्ट के बारे में हमें अपने विशेषाधिकारों का कोडीफिकेशन करना चाहिये । अभी तक मुझे कोई भी कानून ऐसा नहीं मिला जिसके अन्दर कन्टेम्प्ट की परिभाषा दी गयी हो । मैंने आई०पी०सी० भी देखा और जितने कानून इस देश और प्रदेश में हो सकते हैं मुझे किसी में भी कन्टेम्प्ट की परिभाषा नहीं मिली । कंटेम्प्ट की सजा के बारे में २२८ आई०पी०सी० है जिसमें अगर कोई आदमी कंटेम्प्ट करता है तो उसे सजा मिलती है ।

एक चीज पर मैं ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है कोर्ट आफ रेकार्ड की । माननीय सदस्य कह चुके हैं कि यह सदन कोर्ट आफ रेकार्ड नहीं है । हमारे संविधान में दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट आफ रेकार्ड हैं । लेकिन ब्रिटिश हाउस आफ कामंस को पावर्स में दिया है कि वह कोर्ट आफ रेकार्ड है और जब उसके पावर्स हमें मिल गये तो हम भी कोर्ट और रेकार्ड हो गये । इसलिये यह सदन कोर्ट है और कोई भी सजा देने का इसे पूर्ण अधिकार है ।

अब अपील या रिवीजन का सवाल है । इसके लिये लोग कहते हैं कि यह अधिकार कोर्ट को होना चाहिये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हाइयेस्ट कोर्ट है और उसी तरीके पर यह भी, डाइसी वगैरह ने माना है, सदन भी हाइयेस्ट कोर्ट है । सदन की अपील कहीं नहीं होती है । अपनी कन्टेम्प्ट के लिये सुप्रीम कोर्ट सजा देती है और उसकी अपील या रिवीजन कहीं नहीं होती । इसी तरह से अगर हम अपनी कंटेम्प्ट के लिये सजा देते हैं तो हाइयेस्ट कोर्ट होने के नाते उसकी अपील या रिवीजन कहीं नहीं होती है । एक मिसनोमर यह कहा जाता है कि आज जनता के मौलिक अधिकारों की लड़ाई सदन के विशेषाधिकारों से है । यह केवल भ्रम है । जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी को कंटेम्प्ट के लिये सजा देती हुई फंडामेंटल राइट्स का खयाल नहीं करती है वैसे ही हमें खयाल नहीं करना चाहिये और ऐसा करते समय हम कोई गुनाह नहीं करते हैं । हर मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह कानून से एडाइड करेगा लेकिन अगर कोई आदमी कानून को तोड़ता है तो वह यह क्लेम नहीं कर सकता कि सिटीजनशिप के राइट्स भी उसके रहें । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मैंने भी नहीं देखा कि वह अपनी कंटेम्प्ट के लिये सजा देते हुये यह खयाल करते हों कि उस आदमी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है या नहीं । फंडामेंटल राइट्स का बहाना तो एक निराला ढंग है । अभी तक उद्घाटन वगैरह माननीय मंत्री लोग और सदस्यगण करते थे, लेकिन अब माननीय न्यायाधीश भी करने लगे हैं । साथ ही साथ पोलिटिक्स का काम जो केवल पोलिटीशियन्स को ही दिया गया था, जब जुडिशरी भी पोलिटीशियन हो जायगी तो उस समय क्या होगा, भगवान ही जाने । जहां तक जजों और मैजिस्ट्रेटों का सवाल है उन पर यह पाबन्दी होनी चाहिये, इस बात का प्रोहिबीशन होना चाहिये कि वे पब्लिक में जाकर इस तरह की बातें न करें क्योंकि उनसे उन पर इन्फ्लुएंस होगा और हर तरह की दिक्कत होगी और न्याय हमको नहीं मिल सकेगा ।

जब हम किसी को अपने कंटेम्प्ट के लिये सजा देते हैं तो हमारे ऊपर कोई कोर्ट आफ अपील नहीं है, कोई रिवीजन की कोर्ट नहीं है । तो जब हम आडिनरी ला आफ दि लैंड में अपील करते हैं तो अपीलेट कोर्ट उसे बेल पर छोड़ देती है । अगर अपील या रिवीजन खारिज हो जाता है तो वह सरेंडर करता है । यानी जब अपील और रिवीजन की पावर होती है तो उस वक्त एग्जीक्यूशन स्टे हो जाता है और अपीलेट और रिवीजन कोर्ट्स को यह पावर है कि व उसको स्टे कर सकें । फिर जब अपील खारिज हो जाती है तो उस वक्त फिर सरेंडर करके

रिमेंनिग सेंटेंस जो है उसको भोगना पड़ता है । लेकिन श्रीमन्, हमारा जो कानून है वह आर्डिनरी ला से गवर्न नहीं होता है, वह उससे परे है, वह लैक्स पार्लियामेंटाई से गवर्न होता है । पालकी वाला ने जो पैम्फलेट बंटवाया था उसमें मैंने यह पढ़ा था, वह यह कहते थे कि रिजोल्यूशन जो सदन का है वह कानून से बढ़ गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो रिजोल्यूशन इस सदन का होता है, चूंकि इसका कानून दूसरा है, लैक्स पार्लियामेंटाई से हम गवर्न होते हैं, इसलिये हमारा रिजोल्यूशन जो है वह बाहर के कानून से बढ़कर होता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह आज तक कहीं होल्ड नहीं हुआ है ।

श्री कमलासिंह यादव--

यह आप पढ़ियेगा जाकर ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हाई कोर्ट के जजेज ने अपनी राय जाहिर कर दी ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, इस तरह से काम नहीं चलेगा ।(व्यवधान) आपकी राय मानकर तो सदन नहीं चलेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

कल को अगर कोई इनको सलाम नहीं करेगा तो उसको ये जेल भिजवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

काशीनाथ जी, आप शांत रहिये ।

श्री कमलासिंह यादव--

जहां तक लैक्स पार्लियामेंटाई का संबंध है और ला आफ दि लैंड का संबंध है, यह दोनों कस्टम्स पर और ट्रेडीशंस पर बेस्ड होते हैं। इसमें हम यह देखते हैं कि हमारा ला दूसरा है । हमारे ला के अन्दर यह दिया हुआ है, नियमावली का नियम ७६ है श्रीमन्, उसमें आप देखें । दिया हुआ है कि क्या दंड हम दे सकते हैं--भर्त्सना कर सकते हैं, शास्ति कर सकते हैं, सदस्य का निलम्बन, जुरमाना, सदस्य का निष्कासन, कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु सत्रावसान या विघटन के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती और कोई अन्य दंड जिसे सदन अनुच्छेद १९४ के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित और ठीक समझे । तो सत्रावसान से आगे सजा नहीं बढ़ सकती । मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब श्रीमन्, मैं बैठा हुआ था तो वहां पर फुल बेंच के जजेज जो बैठे हुए थे उनमें जस्टिस हिदायतुल्ला के मुंह से बार बार निकल जाया करता था कि यह अंगूठा टेक जो है यह किसी को कह दें कि इसकी नाक काट ली जाय या कान काट लिया जाय तो क्या होगा ? मुझे अफसोस यह है कि बेंच पर बैठकर जो इस मामले के ऊपर निर्णय करने जा रहे थे जजेज और माननीय सदन के सदस्यों के अधिकारों के बारे में, उनके दिमाग में वह चीज हो तो कितने अफसोस की बात है ? हमारी जो सजा देने की शक्ति है वह इसमें निर्धारित है और सबसे बड़ी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना हूं चाहता वह है ७६(६) जिसमें दिया हुआ है कि "कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु सत्रावसान या विघटन के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती ।" तो यह तो इसमें बिलकुल साफ दिया हुआ है कि सत्रावसान या विघटन जब हो जायगा तो उसी के साथ साथ वह सजा भी खत्म हो जायगी । बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि दस साल के लिये सजा हम दें तो क्या पोजीशन होगी ? तो दस साल या बीस साल के लिये जैसा माननीय काशीनाथ

[श्री कमलासिंह यादव]

जी को बहुत डर हो रहा है, मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं और अगर उन्होंने नियमों को पढ़ लिया होता तो वह ऐसी बात न कहते, उनको डरने की जरूरत नहीं है, जिस रोज सदन खत्म होगा उसी रोज वह सजा भी खत्म हो जायगी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है।

मैं बेल के संबंध में कह रहा था कि लेक्स पार्लियामेंटाइ जैसा कि सदन का कानून है, उसके अन्तर्गत जब किसी आदमी को सजा देते हैं, तो सजा देने के बाद, धारा २२६ में दिये हुये कंविक्शन के बाद कोई भी रिट किसी के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती और यह भी कहना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट हमारा अपीलेंट या रिवीजन कोर्ट नहीं है, तो उस वक्त उसको कोई अधिकार नहीं था कि केशव सिंह को जमानत पर रिलीज करता क्योंकि रिलीज करने से...

श्री काशीनाथ मिश्र--

प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। कर तो दिया, आपने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

श्री जे० पी० मिश्र--

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में केवल एक इन्टेलक्चुअल है, उसकी भी बात माननीय काशीनाथ जी नहीं सुनना चाहते।

श्री कमलासिंह यादव--

आई०पी०सी० में जब अदालत द्वारा किसी को सजा दी जाती है, उसकी अपील या रिवीजन होता है, तो उस समय तक जब तक अपील या रिवीजन का फैसला नहीं होता, तब तक इग्जीक्युशन का स्टे हो जाता है। लेकिन हमारे कानून में यह दिया हुआ है कि जब सत्रावसान या विघटन हो जायगा उस समय सजा खत्म हो जायगी। श्री केशव सिंह की सजा ७ दिन की थी। अगर जज ने उसे बेल किया तो इसमें दो चीजें हुईं। पहली तो यह कि बेल पर छोड़ने से यह मतलब हुआ कि वह सजा खत्म हो गई, जो हाईकोर्ट को पावर नहीं थी, कि हमारी दी हुई सजा को खत्म करता। दूसरी चीज यह हुई कि जजेज ने इस बात का खयाल नहीं किया कि सदन उठने ही वाला है और रिमेनिंग सेंटेंस की पूर्ति नहीं होगी। श्री केशव सिंह को जो बाद में गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में मेरी यह राय है कि वह निर्दोष थे, उनकी सजा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सदन विघटित हो चुका था। अब इसके बाद चाहे भले ही फैसला हाईकोर्ट का पेंडिंग रहे, लेकिन सदन के विघटित होने के बाद केशव सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और न उनको कोई जेल भेज सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय नवलकिशोर ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका अक्षरशः हमें समर्थन करना चाहिये और इसलिये भी कि अगर आप चाहते हैं कि सदन के अन्दर गड़बड़ी हो और माननीय काशीनाथ या माननीय चन्द्रबली सिंह को छूट मिले कि जब वह चाहें कह दें कि सदन नहीं चलने देंगे, इससे आप सोच सकते हैं कि यहां की व्यवस्था और गड़बड़ हो जायगी और अध्यक्ष बसज माननीय काशीनाथ वगैरह की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जिसको काशीनाथ प्रेस कर रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिये रोज हमारे स्पीकर या सदस्य अथवा सेक्रेटरी जायं, मैं इसको भी बरदाश्त नहीं कर सकता। ऐसी हरकतें ज्यादा बढ़ रही हैं, जो सदन के मान और प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ातीं हैं, सुप्रीमकोर्ट की ओपीनियन के बाद जो हरकतें देखी जा रहीं हैं, ऐसी हरकतें बराबर बढ़ती जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि उस ओपीनियन के बाद लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिये इन चीजों को बन्द करने के लिये यह जरूरी होता है कि हम ऐसा प्रस्ताव यहां से पास करें। सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है चाहे गलत या सही, लेकिन हमें उनकी प्रतिष्ठा रखनी है; क्योंकि

सुप्रीम कोर्ट एक तरह से लीगल ऐडवाइजर है और अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, तो भी हमारे सामने दिक्कत होती है। अतः उनकी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये हमें चाहिये कि जो उन्होंने ओपीनियन दी है, हालांकि इसके बारे में मेरी राय इसके खिलाफ है, क्योंकि १४१ के अधीन वह ओपीनियन ला आफ दि लैंड नहीं है। हमारे यहां श्री शर्मा का केस सुप्रीम-कोर्ट द्वारा तय किया हुआ मौजूद है, जिसमें सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग है और फैसला देते वक्त सुप्रीम-कोर्ट ऐज कोर्ट बैठता है तथा ओपीनियन देते वक्त ऐज कोर्ट नहीं बैठता है। इसलिये ऐज कोर्ट बैठकर जो सुप्रीमकोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको डिस्टिंग्विश करने की पावर सुप्रीमकोर्ट को ऐडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है और न उसको रिवर्स ही कर सकता है। इसलिये श्री शर्मा के केस में दिया हुआ जजमेंट आज भी स्टैन्ड करता है और वही ला आफ दि लैंड है। इसलिये अगर जजेज की प्रतिष्ठा खत्म होती है तो यह भी अच्छी बात नहीं है। इन सब बातों को ज्ञान में रखते हुये तथा जो विचार माननीय अम्बेदकर तथा माननीय अइयर साहब ने व्यक्त किये हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुये अगर जरूरी समझा जाय, तो संशोधन किया जाय या क्लेरीफिकेशन जरूरी समझा जाय तो वैसा किया जाय जिससे दोनों की मान और प्रतिष्ठा रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये जो कार्यवाही जरूरी हो उसको किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा नाम लिया गया इसलिये हमको मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, आप तो बोल चुके हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटनाचक्र के फलस्वरूप यह स्थितियां हमारे सामने आईं, जिनपर आज और कल हम विचार कर रहे हैं, उनका उदाहरण इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में तो है ही नहीं, बल्कि भारवतर्ष के इतिहास में भी नहीं है। मान्यवर, जो प्रश्न हमारे सामने है वह बड़ा गम्भीर है और जो वाद-विवाद आज हम कर रहे हैं, म ऐसा समझता हूं कि इसकी प्रतिध्वनियां आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों पर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकेंगी। आज का निष्कर्ष हमारा देखा जायगा भावी इतिहासज्ञों द्वारा बड़ी उत्सुकता से। मैं आश्वास-देना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा होते हुये भी मैं अधिक समय सदन का नहीं लूंगा।

मैं ऐसा समझता हूं कि आज का वाद विवाद केन्द्रित हो जाता है केवल एक बात पर कि हमारे संविधान की जो धारा १९४(३) है वह संविधान बनाने वालों की मंशा के अनुकूल है या प्रतिकूल है; और जो फैसला सुप्रीमकोर्ट का हुआ है, उससे जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें हमें क्या करना है। इस बात को देखने के लिये यह आवश्यक है कि हम पहले एक निगाह इस बात पर भी डाल लें कि यह रिफरेंस जो सुप्रीमकोर्ट को प्रेसीडेंट की ओर से किया गया, वह किस धारा के अन्तर्गत किया गया और उसका क्या स्थान है। हमारे संविधान में ही नहीं, वरन् संसार के दूसरे देशों के संविधान में भी ऐसे एनालोगस, समकक्ष प्राविजन्स हैं, जिनमें ऐसी समस्याओं के आने पर वहां के सुप्रीमकोर्ट से उन प्राविजन्स का इन्टरप्रिटेशन जाना जाता है। ऐसे भी देश हैं जहां पर ऐसा कोई प्राविजन नहीं है। यू० एस० ए० में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है। वहां पर अगर इस तरह की कोई समस्या सामने आ जाय तो इस तरह का कोई प्राविजन नहीं है कि उस

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

पर उच्चतम न्यायालय की राय जानी जाय। उनका कहना है कि जब तक पार्टीज सामने नहीं आतीं, तब तक निर्धारित इश्यू सामने नहीं आते। अगर बिना उनके कोई राय दे दी जाती है तो वह हाईपोथेटिकल ही होगी और निश्चित नहीं हो सकती, वह जब इश्यू सामने आयें तब ही सही भी हो सकती है अन्यथा गलत भी हो सकती है। आस्ट्रेलिया में एसा प्राविधान है, लेकिन ऐसा प्राविधान होत हुये भी जब उनके उच्च न्यायालय के सामने ऐसी समस्या आयी तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया इस प्रकार की राय देने से। इसलिये इन्कार कर दिया कि ऐसे विषयों पर अगर हम राय देते हैं तो वह एक एब्सट्रैक्ट एवं हाईपोथिटिकल राय ही होगी।

इसके बाद कैनाडा को देख लीजिये। वहां पर समकक्ष धारा ५५ है। वहां पर जुडीशियल कमेटी है जिसने भी कई बार इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इस प्रकार के इश्यूज पर उच्चतम न्यायलय के लिये यह उचित नहीं है कि वह अपनी कोई राय दे। इंगलैन्ड में भी इसके समकक्ष प्राविधान हैं। वहां पर सेक्शन ४ है। लेकिन वहां की जुडीशियल कमेटी ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं कि इस प्रकार की चीज कोई बहुत उपयोगी नहीं। जापान में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है।

छोड़ दीजिये दूसरे देशों की बात, अपने ही देश में गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट जब हमारे यहां था तब इसके समकक्ष धारा २१३(१) थी। उसके अन्तर्गत भी उच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन उस समय के जस्टिस जफरुल्ला खां ने अपनी राय देने से इन्कार कर दिया। यह तो केवल मैंने आपकी आज्ञा से बाई दि वे, संदर्भ में जिक्र कर दिया कि इस प्रकार के एब्सट्रेक्ट प्रश्नों पर राय देना आवश्यक नहीं है।

अब राय देने में भी दो मत हो सकते हैं कि वह मैन्डेटरी होगी या नहीं और उससे आने वाले समय में जो जटिल समस्याओं का समाधान किया जाना समझा जाता है वे और तो न उलझ जायेंगी। इस मत के लिये काफी गुंजायश है कि अगर यह रिफरेंस सुप्रीम कोर्ट को न दिया जाता, सुप्रीमकोर्ट से राय न ली जाती तो यह उलझन इतनी न बढ़ती और केन्द्रीय न्याय मंत्री के शब्दों में यह लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेन्टरी के अधिकारों पर जो इरोजन हुआ है, वह न होता, जो आशंकायें और भ्रान्तियां उत्पन्न हो गयीं हैं वह कदाचित् न होतीं। किन्तु,मान्यवर, गतं न शोचामि। जो हो गया, हो गया। अब तो हमें यह देखना है कि उससे उत्पन्न परिस्थिति क्या है। यद्यपि वह दूसरे सदस्यों की बात का रिपीटीशन होगा लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय की जो राय है उसकी किसी भी प्रकार से मैन्डेटरी वेल्यू नहीं है। वह आदेश नहीं है। छोटे से छोटा न्यायालय भी इस बात के लिये स्वतंत्र है कि उसको माने या न माने। लेकिन मान्यवर, जो प्रवृत्तियां होती हैं और जो भावनायें होती हैं, अगर हम उन प्रवृत्तियों को सामने रखें तो इसमें संदेह नहीं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बात की संभावना है कि नीचे के न्यायालय उससे प्रभावित होंगे, उससे प्रकाश लेंगे। लेकिन अगर हम इस सिद्धान्त पर चलें कि जो ठीक है, जो उचित है वही होगा, जो उचित होगा, वही न्यायालय करेंगे, तब हम एक दूसरी दिशा में जाते हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा---जहां तक इस रेफरेंस का संबंध है, वह कोई मेंडेटरी वैल्यू नहीं रखता। आज सुप्रीमकोर्ट के जितने फैसले हैं वे इस देश के कानून हैं। संविधान की धाराओं के अन्तर्गत वे कानून हैं और सर्वमान्य हैं। आज अगर हम उसको देखें तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे न्यायालयों के लिये कोई बड़ी भ्रान्तियों का स्थान भी नहीं है। लेकिन मान्यवर, इस सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट में जो मेजारिटी राय है---कल हमारे माननीय मित्र नायर ने बतलाया कि इस संकल्प से भ्रान्तियां होती हैं और वे भ्रान्तियां ये होती हैं कि इसमें जो मैजारिटी जजमेंट है और फिर जस्टिस सरकार का एक मायनारिटी जजमेंट है, इन दोनों में प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया गया है लेकिन दोनों के कारण भिन्न हैं जबकि संकल्प से यह लगता है कि उत्तर भिन्न हैं। चूंकि श्री नायर को मैं बहुत पहले से जानता हूं, वे हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील हैं, मैंने उस कानून को कल रात में बड़े गौर से पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर आया कि जहां सरकार का मायनारिटी जजमेंट है और जो मेजारिटी जजमेंट है, इनमें उत्तर भिन्न दिये गये हैं एक से ही प्रश्नों के जो हमारे संविधान की धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के सामने रखे।

तो जिस भ्रान्ति का आपने आरोप लगाया है कि इस 'सब कमेटी' के प्रतिवेदन से उत्पन्न होती है, मैं समझता हूं कि यह भ्रान्ति उनकी स्वयं की है ।

अब प्रश्न यह होता है कि हमारे यहां अब तक जो फैसले हो चुके हैं और जो कि ला आफ लैंड है, उन पर दृष्टिपात करना पड़ेगा । जब हम उस पर दृष्टिपात करते हैं तो एक शर्मा केस है जिसका जिक्र कल यहां किया गया । वह एक ऐसा केस है जिसमें मेजारिटी जजमेंट में उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें अन्तिम रूप में आ गया है जो कि इस समय हमारे सामने थे या जो कि इस परिस्थिति से उत्पन्न हो गये हैं । इसके अतिरिक्त जितनी फारेन अथारिटीज हैं, जिन अथारिटीज को इस पक्ष या उस पक्ष में रखा गया है, सुप्रीमकोर्ट के सामने, अगर हम उनको देखें तो तब भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया की राय उस पक्ष में ज्यादा है जिस राय के पक्ष में सुप्रीमकोर्ट का मायनारिटी जजमेंट है । मान्यवर. शब्द जजमेंट में गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि यह कहना चाहिये कि जो उत्तर सुप्रीमकोर्ट ने दिया है और इस संबंध में जो कुछ मायनारिटी जज ने कहा है, उसी तरह का निश्चय आज तक अधिकांश न्यायालयों में हुआ है जो उसके अनुकूल प्रतीत होता है । तो प्रश्न यह पैदा होता है कि जब जजमेंट बाइंडिंग नहीं है, जिस जजमेंट के पक्ष में ज्यादा लोग एक राय के हैं और एक आदमी जिसकी दूसरी राय है, उस एक आदमी की राय उचित हो सकती है । तो जहां तक मायनारिटी राय का प्रश्न है, देखना यह चाहिये कि उसकी ओपीनियन में कितना महत्व है, कितना तत्व है और कितना सार है । अगर किन्हीं दस से कोई प्रश्न पूछा जाय जिसका उत्तर वह हां या नहीं में दे दें और उसी प्रश्न का उत्तर दूसरा एक आदमी उत्तर के साथ साथ उसका कारण भी दे दे और संसार में जितनी घटनायें हुई हैं उनका ऐतिहासिक वर्णन भी दे दे तो उस एक आदमी के उत्तर का महत्व ज्यादा होगा । मैं समझता हूं कि अगर कोई इस दृष्टि से तोले तो आने वाले समय में जस्टिस सरकार का जजमेंट माना जाना चाहिये । मेजारिटी जजमेंट में आब्जेक्टिविटी की बड़ी बात कही गई है, ठीक हो सकता है, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं । कहा गया है जब आदमी कोई निश्चय अपने अधिकारी के संबंध में लेता है तो उसको अपने को सामने से हटा देना चाहिये । कमोबेश यही बात श्री नायर ने भी कल कही थी, कि इस सदन में जब हम निश्चय ले रहे हैं तो अपने बारे में क्या हम स्वतन्त्र निर्णय ले सकेंगे ? जो कुछ हम पर लागू होता है वही हर मनुष्य पर लागू हो सकता है, मनुष्य में कमजोरियां होती हैं लेकिन किन्हीं खास मनुष्य में ही वह हों यह मैं नहीं मानता । यदि वह एक स्वाभाविक लक्षण है तो कोई भी वर्ग विशेष उसका अपवाद नहीं हो सकता । तो जिस आब्जेक्टिविटी की घोषणा मेजारिटी ओपीनियन में की गई है और जिस को स्थूल रूप में दोहराया गया है कि अगर उनकी बात ठीक होगी तो उन के पक्ष में हमें कहने में दिक्कत न होगी और यदि इनकी बात ठीक होगी तो हम दूसरे पक्ष में कहने में संकोच नहीं करेंगे । मुझे तो उसको पढ़ने से ऐसा लगा जैसे जो बादल गरजते हैं, वह बरसते नहीं हैं । न्याय का तकाजा तो यह होता है कि जो कुछ करना है वह करो और हम और संसार उन के ऐक्शन की कसौटी पर उसकी परीक्षा करें । केवल शब्दों के प्रयोग से तो उसकी परीक्षा पूरी नहीं हो सकती ।

मैं जस्टिस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कोई दावा आब्जेक्टिविटी का नहीं किया और न उन्होंने अपने जजमेंट में कोई आश्वासन ही दिलाया है कि वह क्या करेंगे या हर बात करने को तैयार हैं; लेकिन उन्होंने वही कहा जो उनकी राय में ठीक था और जो होना चाहिये । मुझे शिकायत है और मैं आप की आज्ञा से बहुत आदरपूर्वक कहूंगा कि मुझे सुप्रीमकोर्ट के फैसले से निराशा हुई । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो एक तरह से जुडीशियरी के उपासक रहे हैं, इस सदन में और बाहर भी । मैंने हमेशा यह मांग की है और आज भी मुझे संकोच नहीं है यह कहने में कि हर तरह से जुडीशियरी की महिमा, मर्यादा और गौरव सुरक्षित रहना चाहिये । अगर जनतन्त्र को पनपना है तो जुडीशियरी का निरादर कर के नहीं पनपाया जा सकता और न उसका संरक्षण ही हो सकता है । जुडीशियरी का मान सुरक्षित रख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहां जुडीशियरी या न्यायपालिका का आदर आवश्यक है वहीं पर विधायिका का भी अपनी जगह पर एक आवश्यक और महत्वपर्ण स्थान है । जो अधिकार उसके संविधान ने

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

विहित किये हैं उसकी भी मर्यादा और आदर होना चाहिये। जहां तक मिसयूज होने की बात है, और १९४(३) में जो विशेषाधिकारों की बात है तो, उसके अनुसार अगर कोई अधिकार सदन के सदस्यों म निहित किये जायं तो उनका मिसयूज हो सकता है और मेजारिटी ओपीनियन में भी इस शंका का प्रतिपादन किया गया है। मुझे यही कहना है कि कोई भी दुनिया का सिद्धान्त इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जो अधिकार किसी को देना उचित है या दिया गया है वह उसको न दिया जाय या छीन लिया जाय केवल इसलिये कि उस का मिसयूज हो सकता है। पहले तो उसके लिये एक केस बनाना होगा। पिछला इतिहास उसके ऊपर आशंका के लिये साक्षी होगा। आज जो इस तरह की शंका करते हैं उनका यह उत्तरदायित्व था कि पिछले ३-४-५ सौ वर्ष में जो कुछ हुआ है उसके पन्ने जरा पलटते, उसको सामने रखते कि कितनी बार इन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है तो हम उसके सामने सिर झुकाते और देखते कि किसी तरह से भी शक्ति के मिसयूज होने की संभावना तो नहीं है। लेकिन मान्यवर, कोई ऐसी मिसाल नहीं दी गयी, कदाचित मिलेगी भी नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाय तो दुःख होगा। कल यह कहा गया कि सुप्रीमेसी हाई कोर्ट की ज्यादा है लेजिस्लेचर से। इसके सन्दर्भ में बड़े उच्च कानून के जानने वाले ने कहा कि लेजिस्लेचर सुप्रीम नहीं है। कल काशीनाथ जी ने कहा था कि जब हमने विधान सभा में यह मामला पेश कर दिया तो वे जब ट्राम में जाते तो लोग कहते थे कि अब जजों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। यह ठीक है, जनता में पहले यही इम्पैक्ट हुआ था जैसा माननीय काशीनाथ जी कह रहे थे लेकिन उसके कारण थे। जनता को ऐसा लगता था कि हर कानून के तय करने का न्यायालय ही अधिकारी है, हर बात को तय करने का अधिकार उन्हें ही है। वे उन नियमों को जो विधान सभा बनाती है अल्ट्रावायरस कर देते हैं। जो कुछ हम पिछले २०-२५ वर्षों से सुनते आ रहे हैं हमारे कान सुनने के आदी हो गये थे। मैं मान सकता हूं कि बसों में चलने वाले व्यक्ति को इस कारण से भ्रांति हो जाय, लेकिन अगर जुडीशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के तजुर्बे रखने वाला व्यक्ति उस भ्रांति का शिकार हो जाय तो विस्मय ही नहीं बल्कि दुःख की बात होती है। इस सदन में अगर कोई कानून बनता है, उसमें अधिकार भी दिये हुये हैं, कि हाई कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। कोई भी आदमी जिसको यह अधिकार दिया हुआ है वह उसकी वैधानिकता को जांच सकता है। तो वे जांचते हैं और इनको अवैध भी घोषित कर देते हैं। यह इस बात का सबूत नहीं कि वे सुप्रीम हैं या हम। अगर इसी बात को कहा जाय तो सुप्रीमकोर्ट किसी बात में भी स्वतंत्र नहीं है। अगर वे चाहें कि अपने प्रोसीजर, अपने रूल्स के अन्तर्गत जो बातें हैं, उसमें परिवर्तन कर लें तो जब तक पार्लियामेंट स्वीकार न करे और उन पर मोहर न लगा दे, वह परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस आधार पर तब यह कहा जा सकता है कि इस वजह से पार्लियामेंट उनके ऊपर सुप्रीम है, लेकिन ये दोनों ही संकुचित दृष्टिकोण हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर सुप्रीम हैं। संविधान में अलग अलग अंगों के कार्य करने का प्राविधान है। अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने से ही जनतंत्र का विकास होगा और इसमें अगर किसी अंग पर चोट लगेगी तो वह जनतंत्र की जड़ों पर चोट लगेगी।

अब मुझे संविधान की धारा १९४(३) पर आना पड़ेगा।

मान्यवर, इस पर आते हुये मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों स निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जितना इतिहास हमें साक्ष्य देता है उसमें यह पता लगता है कि ब्रिटिश हाउस आफ पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेज हैं उनमें आवश्यक अधिकार निहित हैं। प्रश्न यह है कि हमारे संविधान में केवल इतना ही है कि जो हाउस आफ कामंस के प्रिविलेजेज हैं वे उस समय तक हम में निहित रहेंगे जब तक हम उनको विशेष रूप से कोडीफाई न कर दें। इसके माने यह हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने प्रिविलेजेज स्वयं बना सकते हैं। लेकिन हमने जब तक नहीं बनाये तो वही प्रिविलेजेज रहेंगे जो हाउस आफ कामंस के हैं।

मान्यवर, इस पर भी दो तरह के प्रश्न हुये। एक तो यह हुआ कि साहब यह कितनी कमजोरी की बात है कि यह दासता का द्योतक है कि अंग्रेज, जिसके राज्य को हमने हटा दिया,

जिसकी जड़ों को हमने उखाड़ कर फेंक दिया, उसी के हाउस आफ कामंस के जो प्रिविलेजेज हैं, उनको ही अपने कांस्टीट्यूशन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी हमने स्थान दे रखा है। लज्जा से हमारा सिर झुक जाता है। एक आक्षेप यह था। दूसरा यह था कि हाउस आफ कामंस के प्रिविलेजेज को ढूंढ़ने के बजाय क्यों नहीं हम अपने प्रिविलेजेज को कोडीफाई करते। वास्तव में दोनों बड़े गम्भीर प्रश्न हैं। किसी निश्चय पर पहुंचने से पहले हमें अपने मन में इनका उत्तर देना पड़ेगा। जहां तक इसका संबंध है, अंग्रेजी राज्य की बात को हमने दासता का चिन्ह क्यों रख लिया ? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वे सज्जन जिन्होंने यह आरोप लगाया कदाचित् इस बात को भूल गये कि हमने अंग्रेजी राज्य को हटा दिया लेकिन अंग्रेजी राज्य का जो पैटर्न था, जो डेमोक्रेसी के सिद्धान्त थे, उन सबको ग्रहण कर लिया है। हमारा संविधान और राष्ट्र का ढांचा उसी आधार-शिला पर निर्धारित है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिस विषय में इतना लम्बा समय निर्धारित है कि तीन दिन तक माननीय सदस्य बोल सकते हैं तो माननीय सदस्य कृपा कर सकते हैं कि जो बातें उन्हें अच्छी न लगें या बुद्धि से परे भी दिखें तो उनको भी सुनें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बुद्धि के परे बात कह कर बुद्धि का परिचय दिया है, यह आक्षेप ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया है।

श्री बांकेलाल—

उन्होंने कहा है कि कोई बात बुद्धि के परे हो तो क्या यह अनुकूल रूप में है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि जो मतलब माननीय सदस्य ने समझा यदि वह होता तब तो बात दूसरी थी। लेकिन मेरा मतलब यह था कि अगर कोई मेरी बात बुद्धि से परे लगे तब भी उसे सुन लें। मेरी आदत यह नहीं है कि मैं किसी दूसरे सदस्य को बुद्धिहीन कह सकूं। फिर भी मैं उनसे क्षमा चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि हमने इन प्रिविलेजेज को कोडीफाई क्यों नहीं किया जब कि १७ वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त किये हुये हो गये। तो इसके उत्तर के लिये मान्यवर, अगर फिर इतिहास को देखें तो यह पता लगेगा कि दूसरे हमारे जो देश हैं, उनमें १७ वर्ष पहले नहीं आधी शताब्दी पहले और इससे भी ज्यादा पहले इस तरह के प्राविजन बन चुके हैं और इतने समय के बाद ही अनुभव ने यह बताया कि इन प्रिविलेजेज को कोडीफाई करना जनहित में नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है। मान्यवर, कनाडा में १८६६ में इस तरह का प्राविजन हुआ, और भी देशों में हुआ, और साउथ आस्ट्रेलिया का १८५८ में हुआ, और आज हम १९६५ में हैं, अब भी यही है कि उनके प्रिविलेजेज वहीं होंगे जो हाउस आफ कामंस के होंगे। इसको उन्होंने रखना उचित समझा और उसको रखा। सिर्फ साउथ अफ्रीका ने १९५८ में इसे कोडीफाई किया, किन्तु तजुर्बे से इन्होंने सीखा कि यह ठीक नहीं है और १५ वर्ष बाद कोडीफाइड प्रिविलेजेज फिर खत्म किये गये और उस पर निश्चय हुआ कि हमारे वही प्रिविलेजेज होंगे जो हाउस आफ कामन्स के होंगे। किसी देश का यह अनुभव कि कोडीफाई को कोडीफाई करना यह काफी होना चाहिये, हमें यह संकेत करने के लिये कि आज इन प्रिविलेजेज को कोडीफाई करना उचित नहीं है और उसका मान्यवर एक कारण और है। यह जो स्पीकिंग

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

और नान स्पीकिंग वारण्ट्स की बात है, उसके सिद्धान्त पर बात हुई, जब प्रिविलेजेज कोडीफाई होंगे तो कोर्ट में एक अधिकार निहित हो जाता है, उन प्रिविलेजेज के ठीक होने के मापदण्ड को नापने का अधिकार उनके पास पहुंच जाता है। तो सारे उन्नत देशों में, सारे सभ्य देशों में जहां प्रजातन्त्र ने जड़ें पायी हैं, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और इसको माना है कि जो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट हैं उनमें प्रिविलेजेस निहित हैं।

कुछ सदस्यों की तरफ से कहा यह जाता है कि यह जो प्रिविलेजेज की मांग है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह जो मांग है—यह जनता के हितों का अपहरण है, यह लड़ाई पैदा करती है फण्डामेंटल राइट्स में जो आर्टिकिल १९ के अन्तर्गत दिये गये हैं और हमारे विशेषाधिकारों में। मान्यवर, यह मानना ही पड़ेगा उच्चतम न्यायालय की जो राय है वह तीव्र बुद्धि और विचार वालों की राय है, वह उच्च विचार रखते हैं; लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि सारी बात को एक नया रुख दे दिया गया है और जानबूझकर। जो कि उन्होंने यह कह दिया कि आज झगड़ा है जनता के मौलिक अधिकारों का और इन लेजिस्लेचर के मेम्बरों का और पार्लियामेंट के मेम्बरों का, मान्यवर, कौन कल्पना कर सकता है कि जन प्रतिनिधि जनता से जो उनके मालिक हैं, झगड़ा करेंगे। क्या जन प्रतिनिधि इतना भी नहीं जानते कि ५ साल बाद वह जनता द्वारा चुने जाते हैं और उन्हीं की खुशी पर उनका भविष्य निर्भर है? तो वह उन्हीं से झगड़ा करेंगे, उन्हीं के अधिकारों का हनन करने की बात सोचेंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी इतना कम बुद्धि नहीं होगा जो उनके मौलिक अधिकारों से टक्कर लेना चाहेगा जिन्होंने हमको चुना और यहां पर बैठाया। जो जनता के हित के लिये नहीं खुद अपने ही स्वार्थ के लिये कोई ऐसा कदम नहीं उठाता। जो उनके निर्माता हैं उनसे स्ट्रगिल करना कौन चाहेगा। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी ज्यादती इस विषय में यह हुई है, किसी भी दिशा में हुई हो, आल इंडिया बार एसोसियेशन के सदस्य मामले को एक खास दिशा दे रहे हैं। आप अगर किसी उच्चतम न्यायालय के कोर्ट में जाकर देखें तो आप पायेंगे कि जिन्होंने इस विषय पर पैम्फलेट बांटे, उस पर दस्तखत किये, जनता को ऐसी सूचना देने में हाथ आगे बढ़ाया, उनका नाम जजों के कक्ष में फेवर के साथ लिया जाता है। मैं नहीं कहता कि वह जो देश के उच्च कानून जानने वाले लोग हैं, किसी गलत फायदे के लिये या किसी गलत मंशा से ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन मान्यवर, वह चीज जिस तरह से आगे बढ़ी उसमें अगर लोगों को कुछ ऐसी गन्ध आने लगे तो कदाचित् ज्यादा गलत न होगा। मान्यवर, इसलिये आज प्रश्न यह है कि यह रूप देना कि जनप्रतिनिधियों का संघर्ष जनता से है, यह बिलकुल गलत बात है। इसके साथ यह प्रश्न होता है कि अगर प्रिविलेजेज और फंडामेंटल राइट्स कंफ्लिक्ट करें तो फिर दोनों के ऊपर कौन प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकिल है १९ और प्रिविलेजेज हमारे १९४ और पार्लियामेंट के १०५, में हैं। अगर इनके बीच संघर्ष हो जाय तो फिर क्या होगा, यह प्रश्न है।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आर्टिकिल १३ लगेगा। आर्टिकिल १३ में यह है कि अगर कोई कानून संविधान के कमेंसमेंट से पहिले बना हो या कोई स्टेट बनाये और वह संविधान की किसी धारा के विरुद्ध है तो वह नल ऐंड वायड होगा, ठीक बात है लेकिन उसके माने यह कैसे पढ़ लिये गये, कौन से शब्द हैं, जिनसे यह सिद्ध हो सकता है कि संविधान की कोई धारा भी रद्द हो सकती है। मैं तो कानून का ए, बी, सी, डी भी जानने का दावा नहीं करता, लेकिन कानून के जो पंडित हैं उन्होंने आर्टिकिल १३ में कैसे पढ़ लिया कि कांस्टीट्यूशन में जो धारायें हैं उसी को वह खत्म कर देता है। जो अब बोलें उनसे प्रार्थना है कि वे कृपा करके इस बात पर प्रकाश डालें कि कौन सा शब्द इस बात की आज्ञा देता है कि कांस्टीट्यूशन की धारा ही उससे खत्म हो जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी, किन्तु अगर कांस्टीट्यूशन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाय कि धारा १९ के मौलिक अधिकारों और जो विशेषाधिकारों की धारायें हैं उनमें संघर्ष हो तो क्या होगा, उस पर निगाह डालनी है। विशेषाधिकार जैसा कि शब्दार्थ से ही प्रतीत होता है एक विशेष अधिकार है। अगर साधारण अधिकार जो उसमें निहित हैं, उन्हीं के ऊपर यह होंगे विशेषाधिकार, जो संविधान में दिये हैं और वह विशेषाधिकार किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। व्यक्तियों के सामूहिक रूप लेजि-

स्लेचर या पार्लियामेंट को वह विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यह जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की मान मर्यादा के संरक्षणों के लिये जनता के प्रतिनिधियों की यह संस्था बनी है। अगर कोई आता है उससे कहा जाता है कि तुम इधर मुंह करो और वह पीठ करके खड़ा होता है, बातों का जबाव नहीं देता तो उससे स्पीकर साहब की मान मर्यादा की अवहेलना नहीं होती, वह साढ़े ७ करोड़ जनता की अवहेलना है जिसके प्रतिनिधियों के द्वारा स्पीकर महोदय को चुना गया है। तो इन विशेष परिस्थितियों के लिये विशेषाधिकार है। तो ऐसी परिस्थितियों को सोचें कि जिन पर निश्चय लिये गये। मान्यवर, यह कहा गया कि इसमें क्या महिमा और गरिमा घट जायगी अगर तुम्हारे राइट्स पर कोर्ट का अधिकार हो जायगा। इसकी दलील में यह कहा गया कि आखिर कितने अन्याय की बात है कि कोई भी जुल्म तुम करो, किसी को कोई सजा दे दो, उसकी कहीं सुनवाई भी न हो। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि मुकदमे होते हैं, सजा होती है, हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट का फैसला होता है और उसके बाद सुप्रीमकोर्ट में अपील होती है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है, लेकिन अगर फैसला बिलकुल गलत हो जाय तो फिर क्या होगा। कहीं न कहीं तो फाइनलिटी होती है। अगर जानबूझकर नाइन्साफी न करें तो भी सम्भव है कि गलती हो जाय, गलतियां रोज होती हैं। उसके सबूत देखना चाहें तो मान्यवर, एक मिनट में बहुत से गिना सकता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े भारी जस्टिस मुल्ला साहब ने पुलिस के बारे में एक फैसला दिया और उन्होंने उसके बारे में कुछ स्ट्रिक्चर पास किये। वे उनकी राय में ठीक होंगे लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने एक मिनट में उनको बिलकुल इर्रीलिवेन्ट बता कर एक्सपंज कर दिया। इसी तरह से आप जानते हैं कि जब डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट लगा तो उस समय आप देखें कि चीन का आक्रमण सामने था और सारे देश में चिन्ता की लहर व्याप्त थी। तो उस समय डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के मातहत पकड़े हुये लोगों को छोड़ा गया। हाई कोर्ट ने दूसरा निश्चय लिया। इसको भी आप छोड़ें। एक बात और कह दूं जो इसी से सम्बन्धित है कि बम्बई हाई कोर्ट का एक केस था। (वह दासानी वाला बम्बई हाई कोर्ट का कन्टैम्प्ट का केस था। उसमें यह हुआ कि एक न्यायाधीश के सामने सिर्फ इतना कह दिया गया। उसके लफ्ज यें थे कि—

"My only fault is that I cannot conceal anything from the Court while the lawyers do it."

दूसरा वाक्य था:

"Do they necessarily read all that they sign".

इस पर एडवोकेट जनरल ने आपत्ति की। उन्होंने यह समझा कि उससे बार एसोसियेशन पर आक्षेप पड़ता है लेकिन जो न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने उसको अपने ऊपर मान लिया और उस कंटैम्प्ट के कारण उसको ३ महीने की सजा हो गई। उनको मान्यवर, यह मौका नहीं दिया गया कि वह पश्चाताप के बारे में कुछ कह सकें। बाद में उस शख्स ने माफी मांगी कि यदि ऐसा समझा जाय तो उसको माफ किया जाय और उसकी ऐसी हरगिज मन्शा नहीं थी लेकिन फिर भी उसको ३ महीने के लिये भेज दिया गया। बाद में उसने अपील की और ८ दिन की सजा उसके लिये रह गई। तो मान्यवर, यह गलती होती रहती है और यह गलती हो सकती है लेकिन प्रश्न यह है कि उसके ऊपर हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकिल १९ में किसी तरह से जब विशेषाधिकार और मौलिक अधिकारों का कंफ्लिक्ट होगा तो क्या होगा। मैंने कहा विशेषाधिकार किस लिये होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार और मौलिक अधिकारों में यदि कंफ्लिक्ट है तो फिर हमको वही करना चाहिये जिसको दूसरे देशों के उच्च-न्यायाधीश ने बताय है, लार्ड सर हैल्सबरी की राय इस ओर प्रकाश डालती है। भारतवर्ष के हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जो चाहे छापे और जो चाहे लिखे। लोक सभा को यह अधिकार है कि वह अपनी प्रोसीडिंग को जिसको चाहे सुरक्षित रखे और जिसको चाहे उस पर रोक लगा सकती है। यह दोनों अधिकार इस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में माने जाते हैं और इसके बारे में कोई विवाद नहीं है।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट]

जब ऐसा है तो वह Rule of Harmonious Construction सिद्धान्त के आधार पर लिखते हैं कि वे मौलिक अधिकार केवल उस हद तक कि जहां वह विशेषाधिकार के कंफ्लिक्ट में आते हैं, नहीं माने जायंगे और विशेषाधिकार प्रिवेल करेंगे। बाकी जगह मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यह हमारे हाई कोर्ट के कई फैसलों में हुआ है जिनमें से एक का नाम मैंने अभी लिया है। यह माना जा चुका है। प्रिविलेजेज मौलिक अधिकारों के ऊपर हैं, सुप्रीमकोर्ट में माने जा चुके हैं। अगर सारे न्यायाधीशों के फैसलों को हम तालिका बनायें और यह देखें कि शुरू से अब तक जितने सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों के निर्णय हुये हैं इस विषय में उनमें क्या है तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ओपीनियन देने वाले जो ५, ६ जज हैं ये माइनारिटी में रह जायंगे। इसी सुप्रीमकोर्ट के ज्यादातर ऐसे जज हैं जिन्होंने विभिन्न मुकदमों में अपनी राय दी है और वह राय उस पक्ष में जायगी जो जस्टिस सरकार ने दी है।

मान्यवर, मैंने आश्वासन दिया था कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, उसको सामने रखते हुए अब मैं आखिरी बात पर आना चाहता हूं। अब प्रश्न यह है कि क्या होना चाहिये। कानून को बदलना उन स्थितियों में ठीक होता है जब कोई दूसरा उपाय बाकी न रहे, दूसरा मार्ग हमारे सामने न हो। अगर हम इस नतीजे पर आयें और आने वाला समय यह बताये कि जो जजेज इंटरप्रिटेशन करना चाहेंगे समय-समय पर वह इतना भिन्न होगा संविधान के तथ्यों से कि उसका संरक्षण नहीं हो सकेगा, उस शक्ल में हमें संविधान में तब्दीली करने में औचित्य होगा। मगर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि आज कांस्टीट्यूशन के चेंज की आवश्यकता नहीं है। उन संबंधित धाराओं के ऊपर हमारे प्रदेश के जैसे कि हाई कोर्ट्स के, उच्चतम न्यायालय के, दूसरे प्रदेशों के फैसले मौजूद हैं वह सब हमें ठीक दिशा में ले जाते हैं मगर इस रेफरेंस में वह ऐसे नतीजे पर आये हैं जो हमें एक रास्ते से हटाता है तो हम इस बात की आशा करें कि आने वाले समय में न्यायाधीश, जिनसे कि न्याय की अपेक्षा सारा देश करता है, वही करेंगे जो न्याय की मांग है। न्याय की मांग यही हो सकती है कि वही किया जाय जो संविधान के अनुकूल हो, न्यायालयों के फैसलों के अनुकूल हो जो कि ला आफ दि लैन्ड बन चुके हैं या उन फैसलों के अनुकूल हो जो दूसरे देशों के उच्चतम न्यायालय कर चुके हैं। वह न किया जाय कि प्रिवी कौंसिल का जजमेंट आस्ट्रेलिया वाला उसकी बहस हो लेकिन ओपीनियन में जो जवाब आये उसका उसमें जिक्र भी न हो। तो ये जो उच्च न्यायाधीशों के फैसले हैं, जो दूसरे उच्च अधिकारी हुए हैं कानून जानने वाले उनकी जो ओपीनियन है--ऐसा इसमें कहा है कि मे की किताब के ऊपर जाना और उसके बाहर किसी कानूनी आथरिटी को देना समय का अपव्यय करना है। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं एक नाम लार्ड हेल्सबरी का रखता हूं जो लार्ड चांसलर थे, अटरनी जनरल थे, सालिसिटर जनरल थे, आज कोई न्यायाधीश या न्याय के जानने वाले वकील का पुस्तकालय नामुकम्मिल और रुचिपूर्ण नहीं माना जायगा अगर हेल्सबरी काला उसमें न हो। तो ऐसे महान् नीतिज्ञ और महान कानून के जानने वालों के विचारों को यह कह कर छोड़ दें कि मे की जो किताब है वहीं तक सीमित रहें--हो सकता है कि वह हमारा धर्म-ग्रंथ बन गया हो, लेकिन उसके बाहर जो अक्युमुलेटेड विजडम हमारे कानून के जानने वालों की है उसका लाभ न उठाना बड़ी गलत चीज होगी। उन्होंने कहा था कि--

"The Parliament must have that privilege and it is the part of that privilege not to go to any Court."

उसने यह भी कहा था--

"The key stone of all privileges is the privilege of committing a person for contempt."

जो आज अगर हम न्यायालय के इस फैसले को भ्रान्ति से अपने को ऐसे कानून जानने वालों की राय के लाभ से वंचित कर दें तो फिर हम लेजिस्लेटिव असेम्बलीज और पार्लियामेंट को डिफंक्ट कर देंगे। उसके माने यह हो जायंगे कि उनके काम करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। यह मान का सवाल नहीं है, झूठी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। जजमेंट एक शक्ति है, अगर उसका आदर नहीं करेंगे तो कमजोरी महसूस होगी।

एक जज ने गलती की। वह ऊपर जाकर दण्डनीय नहीं मानी गई चूंकि उसको प्रोटेक्शन था, वह जुडीशियल ऐक्ट था जो अपनी जुडीशियल ड्यूटी के फंक्शन में उसने किया था। वैसे यह माना गया कि वहां बड़ा रिप्रिहेंसिबिल कंडक्ट उसका था, लेकिन एक जुरिस्ट ने कहा है कि अगर एक जज जिसने एक गलत काम कर दिया वह काबिले बरदाश्त है, उसको स्वीकार करना जरूरी है, बजाय इसके कि सारे जज जो अपना काम करें वे डीमारेलाइज हो जायं।

मान्यवर, अब प्रश्न यह है कि हमें करना क्या चाहिये? जो संकल्प हमारे सामने हैं वह हमसे क्या बात कहता है? पहले इतना ही स्पष्ट हो जाये कि इस संकल्प से हम क्या समझते हैं और हम क्या कहने जा रहे हैं। क्या आज की परिस्थितियों में संविधान में संशोधन करना आवश्यक है? यदि नहीं है तो हमारी क्या सिफारिश है? मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। इसमें है—"जो मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों ने व्यक्त किया है वह संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है और साथ ही साथ संविधान के निर्माताओं के अभिप्रायों के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः उच्चतम न्यायालय की राय से उत्पन्न भ्रान्तियों के निवारणार्थ यदि आवश्यकता समझी जाय तो संविधान में उचित संशोधन या स्पष्टीकरण करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं यह नहीं समझा कि स्पष्टीकरण किस चीज का करना है? कौन उसे कर सकता है? एक अधिकार अगर किसी को किसी हद तक है तो वह सर्वोच्च न्यायालय को है। इस संकल्प में भ्रान्तियों के निवारणार्थ बात कही गयी है। अब प्रश्न यह है कि भ्रान्ति किसको है, हमें है, इस विधान सभा को है, सरकार को है, आपको है, जजों को है, किसको है? पहले तो इसे तय किया जाय। यहां पर भ्रान्ति से मतलब हमारे क्या हैं और किससे हैं। इस पर कहीं पर हमको पहले स्पष्ट होना पड़ेगा और यह बताना होगा कि भ्रान्ति कहां पर है और क्या है? संकल्प में यह है "यदि आवश्यकता समझी जाय तो संविधान में उचित संशोधन या स्पष्टीकरण किया जाय।" अब यह बात समझाने के लिये कि इसकी आवश्यकता है या नहीं, वहां कौन जायेगा? अगर राष्ट्रपति या पार्लियामेंट हमसे पूछे कि इस संकल्प का क्या मतलब है तो कम से कम मुझ जैसा छोटा आदमी तो उसे समझा नहीं पायेगा, उसके लिये फिर आपको कुछ काबिल आदमियों को भेजना पड़ेगा। इसलिये पहले हमें यह तय करना होगा कि आज की परिस्थितियों में संशोधन करने की आवश्यकता है भी या नहीं। इसके पीछे जो भावनायें हैं मैं उनका पूर्णतया समर्थन करता हूं, किन्तु इस संकल्प की भाषा से मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री भगवान सहाय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मसला कल से यहां चल रहा है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और गम्भीर है। गम्भीर इसलिये है कि हम इसके द्वारा एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। यह बात कहना गलत नहीं है कि इसमें जनता के मौलिक अधिकारों और इस सदन के प्रिविलेजेज के बीच संघर्ष है। और यह कहना गलत है कि यह झगड़ा उच्च न्यायालय और इस सदन का है। इससे भ्रम में डालना है और आज तक जो एप्रोच रही है इस सदन की, उसको भ्रम में डाला गया है इस सदन में सदस्यों को। माननीय सदन के सदस्यों से जनता को उभारा गया है। इस दृष्टि से यह उच्चतम न्यायालय और सदन का सवाल है। यह सवाल है सिर्फ एक बात का और वह यह है कि जनता के मौलिक अधिकार जो उसको भारतीय संविधान में दिये गये हैं और इस माननीय सदन के प्रिविलेजेज, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जिस तरह से मैं आज बोलना चाहता हूं, इसकी प्रेरणा माननीय नायर साहब से मिली है। मैं वकील नहीं और वकील की हैसियत से बोलना भी नहीं चाहता। मैं नायर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस अहम मसले के ऊपर प्रकाश डाला और उसको सही दृष्टिकोण जोड़ दिया और इसकी जो गुत्थियां थीं उनको सुलझाने की कोशिश की और जिसमें वे सफल भी हुये। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कार्य

[श्री भगवान सहाय]

क्षेत्र दूसरा हो सकता है, हमारी जिम्मेदारियां दूसरी हो सकती हैं लेकिन इस बात को मानने को मैं तैयार नहीं कि हमारी अक्ल न्यायाधीशों से कम है । हम कानून बनाते हैं और वे कानून का जुडीशियल रेव्यू करते हैं । कान्स्टीट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है इस बात का कि अगर व समझते हैं कि ह ने भारतीय संविधान की मंशा के खिलाफ किया है तो वे उसको नल एन्ड वायड डिक्लेयर कर दें और आज जो मैं बोलना चाहता हूं वह यह है कि उन्हीं अंगूठा टेक नुमाइन्दों की मंशा से यह संविधान बना है । यह संविधान ४४ करोड़ जनता ने बनाया है । यह असम्भव था । ४४ करोड़ जनता एक जगह कैसे इकट्ठा हो सकती थी । ४४ करोड़ जनता ने ये नुमाइन्दे चुने और उन्होंने फिर यह संविधान दिया । इसलिये मैं अपने विचार उसी दृष्टिकोण से प्रकट करना चाहता हूं कि यह अंगूठा टेक जनता का है । उपाध्यक्ष महोदय, इंग्लैंड के बड़े और इमीनेन्ट जरिस्ट हुये हैं जिन्होंने कहा है कि "रैप्यूट आर बैड फारचुन आफ् ए नेशन डिपेन्ड्स अपान थ्री फैक्टर्स, इट्स कान्स्टीट्यूशन (Repute or bad fortune of a nation depends upon three factors, its constitution)

कुंवर श्रीपालसिंह (जनसंघ)—

मैं एक जरा-सी जानकारी और स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय भगवान सहाय जी अंगठा टेक जनता की भाषा पढ़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये यह तय हो चुका है कि माननीय सदस्य के भाषण के समय कोई और न बोले । भगवानसहाय जी आप बोलिये ।

श्री भगवानसहाय—

अगर कोई इस सदन का माननीय सदस्य अंगूठा टेक है भी तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि वे अक्ल में किसी से कम हैं । मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों और जनसंघी भाइयों से माफी मांगूंगा अगर मैं अंग्रेजी में कानूनी किताबों से कुछ पढ़ कर सदन के सामने रखूं । मसला ऐसा है जिसमें अंग्रेजी की बातें कोट करना आवश्यक है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह मत बोलिये । मैं तो आपकी ही मदद के लिये कह रहा था ।

श्री भगवानसहाय—

मैं आपकी मदद भी नहीं चाहता । मैं आपका बड़ा आभारी हूं, परन्तु आप मुझे अपने विचार प्रकट करने दें । इस मदद के लिये मैं शुक्रगुजार हूं ।

इस गम्भीर विषय में हम जाना चाहते हैं, हमें भारतीय संविधान की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा । यह भारतीय संविधान कहां से आया ? कैसे आया, किन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर यह संविधान बना । उपाध्यक्ष महोदय, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुये हैं चार्ल्स डिकेन्स, उन्होंने एक जगह कहा है—

"We, Englishmen, are very proud of our constitution. Sir, it was bestowed upon us by Providence."

यह एक नजरिया इंग्लैंड के कांस्टीट्यूशन का है । बहरहाल, हम उसको लिटरली न भी मानें तो भी इंग्लैंड का जो कांस्टीट्यूशन है वह सात सौ, आठ सौ वर्ष के निरन्तर झगड़े की उपज है । वह झगड़ा किसमें था ? बादशाह और पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट और न्यायालय में, बादशाह और न्यायालय में और उस सात सौ, आठ सौ साल के निरन्तर झगड़े से यह संविधान बना । अब हम यह देखें कि हमारा संविधान आया कहां से, तो इस संविधान को बनाने में हमारे फाउंडर फादर्स ने दुनिया के तमाम सभ्य देशों के संविधान को अपनी नजर में लिया जिनका कि विश्वास पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट में था । खास तौर से आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स

आफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कैनाडा और स्विटजरलड से प्रेरणा ली । आयरलैंड से डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स लिये, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिये, यनाइटेड किंगडम से रेस्पांसिबिल गवर्नमेंट के उसूल लिये कैनाडा से फेडरल पावर आफ दि गवर्नमेंट लिया और स्विटजरलैंड से आर्टिकल १५ और १९ लिया । इस सविधान की कोई भी मंशा हम अलग से नहीं देख सकते हैं । तो जब भी हम अपने संविधान के मसलों का जिक्र करेंगे तो हमारी नजर खुद ब खुद उन तमाम कांस्टीट्यूशनों की ओर जायगी और इस बात पर जायगी कि उनकी मंशा इसके अन्दर क्या थी ? अमेरिका में जो कांस्टीट्यशन बना, उन्होंने पहले इंगलैंड के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने कहा डिक्लेरेशन आफ इंडिपेंडेंस में कि दुनिया की जनता हमसे पूछ सकती है कि हम क्यों अलग हुये, इसलिये उन्होंने उसके सबब दुनिया की जनता के सामने दिये ।

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are life, liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed...."

तो जब हम अपने मौलिक अधिकारों को देखें और १९४ (३) को देखें तो यह बात कहना गलत है कि हम सिर्फ अपने संविधान को ही देख रहे हैं । नहीं, इस संविधान को प्रेरणा कहां से मिली है । इंग्लैंड का संविधान झगड़े से बना, लगभग ७ सौ, आठ सौ वर्ष में पैदा हुआ और एक कामन इंग्लिशमैन की तरह जैसा कि चार्ल्स डिकेन्स ने कहा है कि "इट हैज बीन गिवेन बाई प्राविडेंस" (It has been given by Providence) । हम यह तो नहीं कहते, लेकिन हमारे संविधान को हमारे फाउंडर फादर्स ने बनाया है और वह कौन थे ? ४४ करोड़ अंगूठा टेक जनता के नुमाइन्दे थे । इसलिये मैं उसी दृष्टिकोण से निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि हम यह देखें कि जो आज अमेंडमेंट आया है वह क्यों आया है, उसकी मन्शा क्या है ? इसमें जाना जरूरी है । यह भी जरूरी है कि जो हिस्टारिकल डेवलपमेंट इन चन्द महीनों में हुये हैं उनको भी देखा जाय । क्योंकि उसका प्रभाव है, इसके ऊपर अहम प्रभाव है और इसलिये, यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने उस चीज को हटाना चाहा था लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं । क्योंकि उसका बहुत संबंध है इन चीजों से । यहां पर केशवसिंह का केस हुआ । माननीय जगदीश शरण का भाषण मैंने सुना और आखिर में जो कहा, उससे एक बात मेरी समझ में आई, जो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह केशवसिंह की तमाम हरकतों से प्रभावित होकर, उससे आबसेस्ड होकर, उन्होंने तमाम मसले को रखा है । मैं केशवसिंह को भूल जाना चाहता हूं । वह मसला खत्म हो गया है । जजेज का भी मसला खत्म हो गया । मैं सुप्रीमकोर्ट की ओपीनियन से या हाईकोर्ट की ओपीनियन से आबसेस्ड नहीं हूं । मैं जनता के दृष्टिकोण को रखना चाहता हूं । जब यह किस्सा हुआ, उस समय एक प्रस्ताव हुआ कि सदन के रिजोल्यूशन को कार्यान्वित करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय और वह कमेटी सुप्रीम कोर्ट को जो प्रेसीडेंट ने रेफरेंस किया है, उसकी पैरवी करे । उसके लिये फंड्स एलाट किये गये, कमेटी बनाई गई । इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि एक दिन मैं अपने यहां से सफर कर रहा था । इस कमेटी के एक बहुत प्रामिनेंट मेम्बर भी आ रहे थे, और एक मिनिस्टर साहब भी बैठे हुये थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मसला सुप्रीमकोर्ट की राय का इन्तजार करना था और मैं उन सदस्य महोदय से यह जरूर कहूंगा कि उनमें अगर मारेल करेज है तो वह उस बात को स्वीकार करें, जिस बात को उन्होंने कहा था । उपाध्यक्ष महोदय, मामला ताजा था, और रेफरेंस की बात मुझको देखते ही आ गई । मैंने कहा उनसे कि अगर सुप्रीमकोर्ट का फैसला आपकी राय के पक्ष में हो, तो मैं पहला आदमी हूं जो आपको खुले आम बधाई दूंगा और आपकी इज्जत करूंगा, दावत करूंगा तथा दस, बीस आदमियों को बुलाऊंगा और तारीफ करूंगा । वह कहने लगे कि यह तो आपको करना ही चाहिये । लेकिन एक बात है, मैंने उनसे कहा कि अगर सुप्रीमकोर्ट की राय मेरे पक्ष में आती है तो कम से कम आप एक काम करें कि सदन में खड़े होकर सदन से माफी

[श्री भगवान सहाय]

मांगें कि आपने सदन को गुमराह किया और बेइज्जत किया। तो उन्होंने कहा कि अगर मत हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीमकोर्ट के जज बेईमान करेंगे। मैंने कहा कि आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, मत पक्ष में आया तो ठीक है और विपक्ष में आया तो जजेज बेईमान हैं, यह मनोभावना है, उस कमेटी के इस सदस्य की। तो मैं इस बैकग्राउन्ड में इस केस को देखना चाहता हूं। ओपीनियन आई और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मेरी राय के पक्ष में आई, जिसको हम चंद आदमी कहते थे, उसके बाद उस समय सदन बैठा हुआ नहीं था, ४-६ महीने तक बुलाया नहीं गया, लेकिन फिर एक लीगल कमेटी बनाई गई। मैं जानना चाहता हूं, लीगल कमेटी के तमाम मेम्बरों से कि दूसरी लीगल कमेटी बनाने की अथारिटी किसने दी? और मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी से चाहूंगा कि जब वह बोलें, तो बतायें कि उस कमेटी में सब एक ही मत के आदमी क्यों रखे गये? और क्या उन्होंने इस का विरोध किया, अपनी राय उठाई जो डिमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ है और उस डिमाक्रेसी के खिलाफ है कि जिसके आधार पर आप हमसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस कमेटी के प्रतिवेदन को देखें। मैं कहना चाहता हूं कि इस कमेटी से जानबूझ कर वह सारे आदमी निकाल दिये गये, जो दूसरी राय के थे, जबकि जनतंत्र का यह पहला उसूल है कि बैठें, बातें करें, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, और तब राय पर वोट करें। लेकिन यह कुछ नहीं हुआ। एक पक्ष के आदमी इस कमेटी के निर्माण में रख लिये गये। मुझे इस कमेटी में तथा क्रामवेल की पार्लियामेंट में कोई फर्क नहीं मालूम होता।

(इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आ गये, वह भी मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा था कि इस कमेटी में और क्रामवेल की पार्लियामेंट की ऐटीट्यूड में कोई फर्क नहीं मालूम होता जिसमें कर्नल प्राइड के फौजी रेजीमेंट को खड़ा करके सारे विरोधियों को निकाल दिया गया और जो पास कराना चाहा पास कर लिया गया। माननीय जगदीश शरण जी ने कहा कि लोग नजीरें बतायें, जहां पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को मिस यूज किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह क्रामवेल की पार्लियामेंट को भूल गये, जब कर्नल प्राइड की रेजीमेंट को खड़ा करके पार्लियामेंट की सिटिंग्स की गईं। तो नजीरें हैं और मैं उसूलन भी समझता हूं कि उन नजीरों का जिक्र यहां करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मान ली जाती हैं, जिनके ऊपर दृष्टान्त देने की आवश्यकता नहीं है। वह कमेटी बनी।

श्री अध्यक्ष—

कमेटी का इस प्रश्न से क्या संबंध है?

श्री भगवानसहाय—

मैं यह बता रहा था कि क्या सरकमस्टांसेज हुये? कैसे-कैसे हिस्टारिकल डेवलपमेंट हुये जिनकी बैकग्राउन्ड में उस कमेटी का निर्माण किया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह बिलकुल असंगत है। प्रश्न केवल इतना है कि १९४ (३) के संबंध में जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं। इसी पर आप कहिये।

श्री भगवानसहाय—

आप ठीक कहते हैं, लेकिन थोड़ी-गुजारिश सुन लें। यह प्रस्ताव उस लीगल कमेटी के प्रतिवेदन के द्वारा आया है और इसलिये जरूरी हो जाता है कि उस लीगल कमेटी के कम्पोजीशन और उसकी अहमियत पर कुछ प्रकाश डाला जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह मैं एलाऊ नहीं करूंगा, यह असंगत है।

श्री भगवानसहाय—

मेरी बदकिस्मती है कि मेरे दृष्टिकोण को आप नहीं आने देते। और यही मैं कह रहा था कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपकी राय जो इस मसले पर है उससे पहिले ही से सहमत नहीं हूं बल्कि घोर विरोध में हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप उसमें नहीं रखे गये, यह मैं मानता हूं, लेकिन उस बात का इस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है। कृपा करके आप प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री भगवानसहाय—

अध्यक्ष महोदय, मेरी भी गुजारिश है कि आप मुझे डिस्टर्ब न करें और शान्तिपूर्वक आप मुझे बोल लेने दें, क्योंकि इसके ऊपर हर एक का मत आ जाना चाहिये, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं नहीं रखा गया इसका कारण जाहिर है। आपकी राय से जो इख्तिलाफ रखते थे वह कोई भी नहीं रखे गये।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं.....

श्री भगवानसहाय—

हम काली हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, और भविष्य पर उसका गहरा असर पड़ेगा। जनता के मौलिक अधिकारों को खत्म करने जा रहे हैं। इतिहास हमारा फैसला करेगा इसलिये यहां पर इन सब बातों का आना जरूरी ही नहीं बल्कि अहम है। इतिहास हमारा फैसला करेगा कि हम इस अमेंडमेंट को काला अमेंडमेंट क्यों कहते हैं। हमको ऐसा कहने में मसर्रत नहीं होती पर कहते हैं। अतः हमें इस बात को बताना होगा कि हम इस प्रस्ताव को काला प्रस्ताव क्यों कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसको काला कहो या गोरा कहो, उसका आधार तो यह होना चाहिये कि जो ओपीनियन सुप्रीमकोर्ट ने दी है वह इन कारणों से सही है। उसके काला, गोरा या बुरा भला कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने प्वाइन्ट पर बोलें। कमेटी के बारे में जो आप कह रहे हैं, उसको मैं रूल आउट करता हूं।

श्री भगवानसहाय—

यह मेरी बदकिस्मती है। लेकिन मेरे कहने से न आप बदल सकते हैं और न आपके कहने से मैं अपनी राय बदल सकता हूं। हमें एक दूसरे से टालरेट करना है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यहां जो व्यवस्था होगी वह आपको माननी होगी।

श्री भगवानसहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहे जो कुछ कहें, मैं आपकी बात से प्रोवोक होने वाला नहीं हूं। आप जो रूल आउट करना चाहें, रूल आउट कर दें और जो एक्सपंज करना चाहें एक्सपंज कर दें। आप यह भले ही महसूस करें कि आपकी बात मेरी रुचि की न हों। तो मैं साफ आदमी हूं और साफ भाषा में बात करता हूं। आपकी राय में भले ही खिलाफ हों।

तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह भी कमेटी की तरफ से जब यह प्रतिवेदन आया है तो मैं इसको सन्देह की दृष्टि से देखता हूं और जब मैं इसको सन्देह की दृष्टि से देखता हूं तो मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं इस सदन को यह बताऊं कि मुझे सन्देह क्यों है।

[श्री भगवान सहाय]

अध्यक्ष महोदय, इस मामले को मैं काफी कह चुका हूं । एक बात और कह देना चाहता हूं। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई ऐस भारी मसले आपकी रूलिंग में आते है तो सारी बातें प्रोसीडिंग्स में नहीं आतीं, उससे गायब हो जाती हैं । मैं तमाम सदन को इसके लिये गवाही में लेना चाहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और प्रोसीडिंग्स में क्या आता है । क्योंकि उससे अक्सर ऐसी चीजें गायब हो जाती हैं । मैं आदरणीय सदन के तमाम सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे ध्यान से सुनें कि मैं क्या कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कह चुका हूं कि हमारे यह मौलिक अधिकार कैसे बने । हमको इन्सपिरेशन यू० एस० ए० और आयरलैंड से मिले । उनसे प्रभावित होकर हमने यह कान्स्टीट्यूशन बनाया । आपके आने से पहले श्रीमन्, मैं यह भी कह चुका हूं कि यह झगड़ा उच्च न्यायालय और सदन का नहीं है । यह संघर्ष जनता के मौलिक अधिकारों और सदन के प्रिविलेजेज का है । लेजिस्लेचर व जुडीशियरी का झगड़ा कह कर इसको गलत रास्ते पर ले जाना गलत है, सदन को धोखा देना है ।

अब हमें यह देखना है कि आखिर जो यह कान्स्टीट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, उसकी सिफारिश किससे करने जा रहे हैं, यह प्रतिवेदन और संकल्प किसके लिये है । किसको हम कह रहे हैं कि इसको चेन्ज कर दिया जाय । रिजोल्यूशन में जो भाषा है और उसमें जो अमेंडमेंट कराने के लिये अपील है वह किस लिये है ? इससे न तो माननीय नवल किशोरजी ने अवगत कराया और न माननीय कमलासिंह जी ने और न दूसरे कमेटी के सदस्यों ने । मैं हैरत में हूं और समझ में नहीं आता कि यह अपील किससे है । प्रस्ताव बहुत ही वेग है समझ में नहीं आता, हैरत आती है, गौर करने पर भी साफ नहीं होता । फिर क्या यह सदन दूसरी संस्था से सिफारिश कर सकता है ? यदि ऐसा है तो किस कानून के आधार पर । यह प्रस्ताव वेग ही नहीं है परन्तु अनियमित भी है । चूंकि आपके दृष्टिकोण का है इसलिये सब सही है । अभी जो मैंने पढ़ा था, उसमें तीन बातें थीं । आप नहीं थे, इसलिये मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है । आप सदन को ऐड्रेस कर रहे हैं, मेरे लिये उसे क्लीयर करना जरूरी नहीं है ।

श्री भगवान सहाय—

उसमें तीन बातें है, कांस्टीट्यूशन, कांस्टीट्यूशन की वर्किंग कैसे होती है और कांस्टीट्यूशन का सम्मान क्या है । जहां तक कांस्टीट्यूशन का वास्ता है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । कांस्टीट्यूशन अच्छा है, बहुत अच्छा है । कांस्टीट्यूशन की वर्किंग कैसी है इस ओर मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अमेरिका में जब कांस्टीट्यूशन बना, आज उसको बने हुये १७८ साल हो गये, लेकिन इन १७८ वर्ष के अन्दर केवल २३ अमेंडमेंट्स हुये हैं, जिनमें १० तो बिल आफ राइट्स के हैं और १३ और हैं । हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि १७ साल में १७–१८ अमेंडमेंट्स हो गये हैं । तो यह इस बात पर रोशनी डालता है कि हम कांस्टीट्यूशन के ऊपर किस तरह से काम करना चाहते हैं । इन सब को दृष्टि में रखते हुये हमें इस प्रस्ताव पर विचार करना पड़ेगा और अपना मत देना पड़ेगा । उसमें ऐसे भी अमेंडमेंट्स हैं जो जनता के मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, तो यह है हमारी वर्किंग । इसी से हम इसकी इज्जत क्या है समझ सकते हैं ।

अब मैं उन बातों पर आता हूं जो कांस्टीट्यूशन ने हमें दी हैं और अधिकारों के रूप में आर्टिकल १८७ (२) को आप देखें :—

"The Legislature of a State may by law regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed, to the Secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State."

लेकिन आज तक सेक्रेटेरियेट में काम करने वालों के लिये सर्विस रूल्स नहीं बने, नहीं बनाये गये क्योंकि मनमानी कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

इसका इससे क्या सम्बन्ध है ? यह तो सेक्रेटेरियेट सर्विसेज के बारे में है । यहां पर यह असंगत है ।

श्री भगवान सहाय—

अब मैं आर्टिकल १८ पर आता हूं ।

"No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State."

लेकिन आज भी भारतरत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, आदि की पदवियां सरकार लोगों को देती है । आखिर यह क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—

यह असंगत बात है । आर्टिकल १८ और १८७ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । आर्टिकल १९४, १०५, २२६, २१२, ३२ से तो इसका सम्बन्ध हो सकता है, लेकिन आर्टिकल १८ से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री भगवान सहाय—

मेरी बदकिस्मती है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि कांस्टीट्यूशन में कितनी अहम बातों की रोज अवहेलना करते हैं और १९४ (३) को बदलना चाहते हैं; बात कुछ कड़वी भले ही मालूम हो पर है सही ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय यह सवाल नहीं है । इस समय प्रश्न यह है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं उसमें हमें क्या करना है । आपके जो भी विचार हों हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे हमारे विरुद्ध हों या मुआफिक हों । लेकिन जो अन्य बातें हैं उनको आप कृपया न कहें ।

श्री भगवान सहाय—

बहरहाल, मैं तो यह नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं । लेकिन इतना मैं कह दूं कि इसकी बेयरिंग हमारे ऊपर है । इसलिये इस प्रस्ताव पर विचार करते हुये और इस प्रस्ताव पर मत देते हुये यह देखना और सोचना है कि हमें आगे क्या करना है. . .

श्री अध्यक्ष—

श्री भगवान सहाय जी, ऐसा हो सकता है कि मेरे विवेक और आप के विचार में भेद हो, लेकिन यह कि सदन किसी एक आदमी के मत से चलता है तो मेरा ऐसा विचार है कि यह असंगत बात है । मेरा निवेदन है कि आप ये सब बातें न कहें ।

श्री भगवान सहाय—

मैं इस बात को कहता हूं कि यह जो प्रतिवेदन के द्वारा प्रस्ताव आया है वह किसी स्वच्छ भावना से नहीं आया है, उस के पीछे छिपा एक राज है और मेरा फर्ज है कि मैं उस राज से आप के द्वारा इस सदन को अवगत कराऊं । यह मेरा पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है चूंकि मैंने संविधान की शपथ खाई है और शपथ कह रही है कि मैं उस राज को खोलूं और उस को मैं यहां आज खोलना चाहता हूं । आप देखें कि संविधान की बराबर अवहेलना किस तरह से हो रही है । आर्टिकल १८ में लिखा है कि किसी को भी टाइटिल नहीं दिये जायेंगे लेकिन वह बराबर दिये जा रहे हैं । प्रधान मंत्री ने. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह सब असंगत बातें हैं, आप कृपा करके टाइटिल और प्रधान मंत्री की बात न करें। आप वहां की बात करें।

श्री भगवान सहाय—

आप आर्टिकल ४४ को लें। उस में भी.....

श्री जे० पी० मिश्र—

वह राज कहां गया, वह विदड्रा हो गया क्या ?

श्री अध्यक्ष—

यह आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं ?

श्री भगवान सहाय—

आर्टिकिल ४४ कहता है कि यूनिफार्म सिविल कोड हो, आज तक नहीं बना, न इस सदन ने ही कोशिश की ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा इस को ठीक करने की।

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्या है ?

श्री भगवानसहाय—

उस में है कि स्टेट सारे भारत के नागरिकों के लिये एक यूनिफार्म सिविल कोड बनाये।

श्री अध्यक्ष—

इस से प्रस्ताव का सम्बन्ध क्या है ? यह इर्रेलिवेंट है। आप जो संगत हो वह कहिये, १९४ (३) के बारे में जो कहना हो वह आप कहें। मैं समझता हूं कि यह असंगत है और मेरा आग्रह-पूर्वक नम्र निवेदन है कि आप कृपया संगत बातों पर ही प्रकाश डालें और इधर-उधर के दूसरे आर्टिकिल्स का हवाला न दें।

श्री भगवानसहाय—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने दिल की ही बात कह सकता हूं। मेरी समझ में यह असंगत नहीं है। आपके दिल की तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि उससे मेरा विरोध है, पहले से ही जब यह मसला पहले उठा था।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप संगत बात पर प्रकाश नहीं डाल सकते तो मैं इजाजत असंगत की नहीं दे सकता।

श्री भगवानसहाय—

मेरी ही यह बदकिस्मती है कि मैं आप को समझा नहीं पाता। यह भी बदकिस्मती है कि मेरी आपकी राय इस मसले पर परस्पर विरोधी हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह ४४ के बारे में जो आप कह रहे हैं वह संगत नहीं है। वह आज के विषय से बिलकुल असंगत है, अतः मैं उस की इजाजत नहीं दे सकता। आप दूसरे विषय पर अब आ जायं।

श्री भगवानसहाय—

इस तरह से तो मेरे बोलने में बड़ी अड़चन हो रही है, मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आर्टिकल ४७ पर आता हूं। यह प्राहिबिशन इस देश के माथे पर है। इसमें जो कुछ हुआ भी था वह भी अब खत्म हो गया। अब प्राहिबिशन जैसी कोई चीज इस देश में नहीं है। यह है अवहेलना इस संविधान की।

श्री अध्यक्ष—

अगर बार-बार कहने पर भी आप असंगत रहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत, मुझे बहुत खेद है कि आप के भाषण को रोकना पड़ेगा।

श्री भगवानसहाय—

वह तो आप को अधिकार है। पता नहीं आप कैसे फोरसी कर लेते हैं, मैं तो फोरसी नहीं कर पाता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब मैं एक चीज बोल लूंगा तभी तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या मंशा है। आप पहले से ही समझ लेंगे कि मैं इर्रलिवेन्ट हूं तो मेरी बदकिस्मती ही है। आपने धारणा बना ली है कि मैं जो कुछ बोलूंगा वह इर्रिलेवेंट होगा। वह आपको अप्रिय हो सकता है पर मेरी समझ में रेलिवेंट है पूरी तरह से।

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर भी आप से प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके विषय पर आइये।

श्री भगवानसहाय—

मैं यही कह रहा था कि इतनी अहम चीजें जिनको संविधान में रखा गया था और जो करना चाहिये थी वह १७ साल में भी पूरी नहीं हुई। इससे मालूम होता है कि आप इस संशोधन को क्यों लाना चाहते हैं। आपका साफ नजरिया इसमें नहीं है। इन चीजों को देखते हुये आर्टिकिल ५० में सेपरेशन आफ जुडीशियरी एन्ड एक्जिक्यूटिव के बारे में है लेकिन आज तक वह नहीं हो सका। मेरी बदकिस्मती है कि यह बात कहे बिना मैं रह नहीं सकता और मेरे लिये यह रिलेवेन्ट है। और इस मसले को हिस्टारिकल पर्सपेक्टिव में देखने को जुडीशियरी व एक्जीक्यूटिव आज तक अलग नहीं हुई विधान की मंशा के होते हुये भी। फिर कैसे मान लें कि इस प्रतिवेदन की सिफारिश में जो रेजोल्यूशन आया है वह अपनी मंशा में पाक व साफ है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय, आपका ध्यान मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९१ की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें दिया है कि :

> "अध्यक्ष ऐसे सदस्य के जो बार-बार असंगत बातें करें या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरुचिकर पुनरावृत्ति करें, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेंगे।"

तो मैं आपसे कह चुका हूं कि आप संगत बात करें। अगर असंगत बातें करेंगे तो मुझे मजबूर होकर आपका भाषण समाप्त करना पड़ेगा।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, मैं पहले से नहीं सोच पाता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं वह रिलेवेन्ट होगा या इर्रेलेवेन्ट। तो मैं यह कह रहा था कि इन सब बातों को दखते हुए मुझे विचार करना होगा।

[श्री भगवानदांस सहाय]

अब मैं फन्डामेंटल राइट्स पर आताहूं और वह है आर्टिकिल १३(१), (२) और (३)। आर्टिकिल १३ में लिखा हुआ है:—

"All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are in consistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void."

यह अहमियत दी हमारे फाउन्डर फादर्स ने जनता के मौलिक अधिकारों को कि जो पुराने कानून हैं फन्डामेंटल राइट्स के विरुद्ध है या उनके कुछ अंश के विरुद्ध हैं कान्स्टीट्यूशन के लागू होते ही नल एंड वायड हो जायेंगे। यह मैनडेट दिया है जनता ने संविधान में भी मौलिक अधिकारों को फन्डामेंटल राइट्स के ऊपर जनता ने यह अहमियत दी है। अगर कान्स्टीट्युशन के प्रिएम्बिल को पढ़ा जाय तो उसमें लिखा हुआ है हम देश में जनता अपने आपको यह कान्स्टीट्यूशन देते हैं। तो जनता कौन हुई? जनता सुप्रीम अथारिटी है। चूंकि ४४ करोड़ राज्य के लोग बैठकर शासन नहीं कर सकते थे इसलिये उसने शासन के ३ अंग बनाये :—

(१) विधायिका,

(२) कार्यपालिका,

(३) न्यायपालिका।

तीनों की पावर्स को अलग-अलग कर दिया है कि ये ये तुम्हारी पावर्स हैं लेकिन जहां तक फन्डामेंटल राइट्स का सवाल है वह उन्होंने अपने लिये रखी है। अगर जरूरत पड़े तो संविधान में भी चेन्ज हो सकता है लेकिन इसका अधिकार विधायिका को नहीं दिया है कि वह कान्स्टीट्यूशन को बदल दें बल्कि अपने आप, और यह शक्ल होती है जब पार्लियामेंट के दोनों सदन दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पास करें और आधी फेडरल यूनिट उसे स्वीकार करे तब फिर जनता का रूप हो जाता है वैसे ही। उस समय वह कांस्टीटुयेंट असेम्बली की शक्ल में आ जाता है। विधायिका को ताकत की हैसियत हो जाती है।

अब, श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २२ को लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय जी, गर्मी तो नहीं लग रही है?

श्री भगवान सहाय—

वह तो हम दोनों को लग रही है। आपको भी लग रही है और मुझको भी लग रही है।

श्रीमन्, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिये कहा है कि—

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by a legal practitioner of his choice."

हमें यह भी देखना है कि नान स्पीकिंग वारंट क्या है। हम बिना बताये किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। हम भारतीय जनता को गिरफ्तार कर लेंगे जिसका हम एक काम करने वाले हैं। अगर, अध्यक्ष महोदय, इस कांस्टीट्यूशन का यह इंटरप्रिटेशन है तो इतिहास यह कहेगा कि इसको इंटरप्रेट करने वाले तो केवल जारशाही और हिटलरशाही वाले ही हो सकते हैं। वही ऐसा कर सकते हैं, विधायिका कभी नहीं कर सकती थी। इसका दूसरा अंग है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर उसको डिफेंड करेगा उसके खिलाफ भी इस सदन ने वारंट इश्यू कर दिया। जैसे हमने सालोमन साहब जिसने केशव सिंह को डिफेंड किया था उसी के खिलाफ वारंट इश्यू कर दिया। तो यह अवहेलना हम करते हैं भारतीय संविधान में दिये हुय मौलिक अधिकारों की।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कांस्टीट्यूशन के आर्टीकिल २२ को देखिये। इसमें हमारे देश की जनता ने जो हमें कार्य करने के लिये आदेश दिया है, उसमें जो जनता के प्रधिकार रखे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि किसी आदमी को बिना वजह बताये हुये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस पक्ष के बोलने वाले और उस पक्ष के बोलने वाले दोनों पक्ष के लोग मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि संविधान के आर्टिकिल २२ के हिसाब से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बिना वजह बताये वह वकील के द्वारा अपनी पैरवी कर सकता है, वकील भी अपनी मर्जी से करे, अब इसके ऊपर हमने अमल कैसे किया? हमारी मांग है इस प्रस्ताव द्वारा कि हमें ताकत दें कि हम किसी को गिरफ्तार भी कर लें और उसको उसका सबब भी न बतायें। अगर कोई लोगल प्रैक्टीशनर उसको डिफेंड करेगा तो हम, अध्यक्ष महोदय, उसके भी खिलाफ वारंट इश्यू कर देंगे। जैसा सालोमन के खिलाफ किया; यह इसका वर्किंग है। इसमें हमें देखना है कि आप जो अमेंडमेंट मांग रहे हैं उसको हम देने के लिये तैयार हैं या नहीं। यही अनस्पोकिंग वारंट के माने हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय जी, आपको करीब पौन घंटा हो चुका है। माननीय न्याय मंत्री भी बोलेंगे।

श्री भगवानसहाय—

वह तो कल बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आज। जल्दी खत्म करने की कृपा करें, थैंक यू। अब कल कहियेगा।

श्री भगवानसहाय—

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था, मैं थोड़ा-सा इस सदन की वर्किंग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय राधाकृष्णन् जो प्रेसीडेन्ट हैं हमारे गणतंत्र के, उनकी ओपीनियन, उनका वक्तव्य उसके ऊपर पढ़कर सुना देना चाहता हूं सदन में। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की सिनेट के सामने दिया है और वाइस प्रेसीडेंट आफ इंडिया की हैसियत से दिया था। उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

आखिर उसे पढ़कर आप उससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं?

श्री भगवानसहाय—

फण्डामेंटल राइट्स के ऊपर उनका मत क्या है और वह क्या अहमियत देते हैं इसको और दुनिया के सामने उसके क्या मानी रखते हैं।

Sarvapalli Radhakrishnan, distinguished scholar and Vice-President of India, addressed the United States Senate in 1954 on a memorable occasion. What he said there has enduring values:

"The end of all governments is to give a status of social equality and provide economic opportunity for the common people. We in our country are now engaged in the enterprise of effecting a social and economic revolution. The word 'revolution' need not scare us. It does not mean barricades and bloodshed. It means only speedy and drastic changes. We are interested not only in our objectives, but in our methods, not only in what we achieve but in how we achieve.

श्री अध्यक्ष—

फण्डामेन्टल राइट्स के बारे में जहां कहा है, वही पढ़िए और कृपा करके इसका सार बता दीजिये—

श्री भगवानसहाय—

वही पढ़ रहा हूं, २ लाइनें और रह गयी हैं; उनको अब पढ़ रहा हूं।

"Both India and the United States reject the philosophy that the end justified the means. The vitality of Civil rights depends as much on respect for procedure as it does on recognition of substantive rights. Legal history shows, I think, that man's struggle to be free is in large degree a struggle to be free of oppressive procedures—the right to be free from torture, the right to know the charge and to have a fair opportunity to defend, the right to have a system of laws that is not a pitfall for the innocent.

यह माननीय राधाकृष्णन् जी ने इन्टरप्रेटेशन अमेरिका की जनता के सामने दिया था। टू श्री फ्री फ्राम टारचर आर टू नो दी चार्ज है। चूंकि आप जल्दी कर रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष—

यह तो सब अच्छी तरह से समझ चुका हूं, अब आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, यहां तो लोग डेढ़ घंटा बोले हैं और मेरा तो एक घंटा भी नहीं हुआ। और आप हमारा समय समाप्त कर रहे हैं। मैंने क्या कुसूर किया है कि मुझे इतना कम समय दिया जा रहा है? मुझे भी अभी बोलने दीजिये। न्याय मंत्री जी कल बोल लेगें। मेरा अधिकार है सदन के अन्दर बोलने का, सदन को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का। जनता ने हमें इसलिये चुनकर भेजा है कि हम जनता की आवाज यहां सदन में रखें। आप हमें, श्रीमन्, रोकें मत। आदरणीय न्याय मंत्री जी के लिये काफी समय है वह कल बोल सकते है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप बोलिये।

श्री भगवानसहाय—

तो, अध्यक्ष महोदय, कल से आज तक जो बहस हुई है, उसमें बहुत से वकील बोल चुके हैं और उन्होंने कहा कि विधायिका सुपीरियर है न्यायपालिका से। अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्यों से और खासकर जो वकील हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं। डाक्ट्रिन आफ जूडिशियल सुप्रिमेसी की बात मान ली गयी है। इसके माने यह हैं कि इन तीन अंगों में से यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में से, न्यायपालिका सुपीरियर है। जहां-जहां भी डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां डाक्ट्रिन आफ जुडीशियल सुप्रिमेसी मान ली गयी है। यू० के० में भी, अमरीका में भी इन्टरप्रेट करने का अधिकार उनका ही है, उसे अवैध करने का अधिकार भी उनका है। मौलिक अधिकार की रक्षा करना भी उनका ही अधिकार है, उसके खिलाफ कानून को नल ऐण्ड वायड करार देना उनका कर्तव्य है। यह भारतीय जनता ने उनको संविधान द्वारा अधिकार दिये हैं। इस प्रस्ताव द्वारा उनके यह अधिकार आप वापस लेना चाहते हैं।

यह डाक्ट्रिन आफ सुप्रिमेसी दुनिया के उन तमाम देशों में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं वह तीनों ही कार्यपालिका, न्याय पालिका और विधायिका को बराबर सुप्रीमेसी मानते हैं। तो यह कहना कि विधायिका से कम है न्याय पालिका, गलत बात है और मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हुं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि

तीनों अंग जिम्मेदार हैं। कार्य में फर्क है, क्षेत्र में फर्क है। यह हमारे यूनियन के प्रेसीडेन्ट भी कहते हैं जो मैं पहिले कह चुका हूं। फिर कहता हूं--

"Legal history shows, I think, that man's struggle to be free is in large degree a struggle to be free of oppressive procedures—the right to be free from torture, the right to know the charge and to have a fair opportunity to defend, the right to have a system of laws that is not a pitfall for the innocent."

यह उद्धरण 'वीद जजेज, बाई जस्टिस विलियम श्री डगलस के पृष्ठ ३० से है ....

श्री अध्यक्ष--

आपको सवा घंटा हो चुके हैं, आप पढ़ें नहीं; कृपा करके सारांश बता दीजिये कि क्या है।

श्री भगवानसहाय--

वह अंग्रेजी में है, उसको मैं कैसे बता दूं मेरा फर्ज है और आपका भी कि उसी भाषा में उसको सुनें और पढ़ें ताकि मतलब साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप हिन्दी में बता दीजिये और आइन्दा भी जो उद्धरण देना हो उनका सारांश हिन्दी में कर दीजिये।

श्री भगवानसहाय--

मैं इंडियन केसेज को लेता हूं। उसमें भी है :--

पृष्ठ ३६ पर डगलस साहब लिखते हैं :--

"But study of the Indian cases shows, as I will illustrate, that a main function of the Indian judiciary is to see that the various departments do not trench on the field of the others and that none trenches on the reserved rights of the people."

हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम यह देखें कि राज्य के जो अन्य स्तम्भ हैं उनमें दूसरे स्तम्भों का टकराव न होने पाये।

आर्टिकिल १९४ (३) में दिया हुआ है कि हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेज हमारे हैं; मैं मानता हूं। लेकिन उसमें यह भी है कि उनको कोडीफाई कर दिया जाय। माननीय जगदीशशरण जी ने इस पर एतराज किया है। उन्होंने कहा है कि आस्ट्रेलिया का तजुर्बा है, न्यूजीलैंड का तजुर्बा है, कैनाडा और साउथ अफ्रीका का तजुर्बा है लेकिन वह तो ब्रिटिश नेशन की संतानें हैं। हम उनकी संतान नहीं है। ब्रिटिश क्राउन की तरफ उनका पैटर्नल लव है, वह हमारा नहीं है। हम ब्रिटिश कांस्टीटयूशन को उस दृष्टि से नहीं देख सकते जिस दृष्टि से आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कैनाडा या अन्य कामनवेल्थ कंट्रीज उसको देखते हैं। हमारा नजरिया वह नजरिया नहीं हो सकता और इस दृष्टिकोण का हमें फायदा उठाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं जब आपको घबड़ाहट में देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिये मैं खत्म करता हूं, सिर्फ एक कोटेशन जो कि "दि लीस्ट डेन्जरस ब्रांच" बाई एलेक्जेन्डर एम० वाइकेल के शुरू में ही पढ़कर खत्म करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

बहुत धन्यवाद

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर वक्ता महोदय को कष्ट न हो तो जो कुछ वे अंग्रेजी मे पढ़ें उसका हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें अब समय लगेगा ।

श्री भगवानसहाय—

अध्यक्ष महोदय, मैं उसके लिये पहले ही जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से माफी मांग चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष—

भगवान सहाय जी, अब कृपा करके समाप्त कर दें ।

श्री भगवान सहाय—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर है और आपकी आज्ञा का पालन करना अपना परम कर्त्तव्य मानता हूं । सिर्फ वह उद्धरण पढ़ता हूं और फिर कुछ शब्द कह कर बैठ जाऊंगा । आपका हुकुम मानना मेरा फर्ज है ।

"Whoever attentively considers the different departments of power must perceive that, in a Government in which they are separated from each other, the Judiciary, from the nature of its functions, will always be the least dangerous to the political rights of the constitution; because it will be least in a capacity to annoy or injure them. The Executive not only dispenses honours, but holds the sword of the Community. The Legislature not only commands the purse ; but prescribes the rules by which the duties and rights of every citizen are to be regulated. The Judiciary, on the contrary, has no influence over either the sword or the purse ; no direction either of the strength or of the wealth of the Society ; and can take no active resolution, whatever. It may truly be said to have neither force nor will, but merely judgment ; and must ultimately depend upon the aid of the Executive arm even for the efficiency of its judgments."

तो यह तीन ब्रान्चेज एक दूसरे से ओवरलैप न करें, फंडामेंटल राइट ओवरलैप न करें । यह सब के लिये एक जरूरी बात है । मैं यह कह रहा था कि आर्टिकिल १९४ (३) में यह दिया हुआ है कि हमारे प्रिविलेजेज वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि वे मौलिक अधिकार, वे प्रिविलेजेज हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर नहीं उठ सकते, जो मैंने अभी जिक्र किया है उसके हिसाब से नहीं उठ सकते । और यही मंशा हमारे संविधान का भी है । और यही अहमियत रिट आफ राइट्स की अमरीका में है जहां से हमने अपने मौलिक अधिकार लिये हैं । मैं इस प्रस्ताव की जोरदार शब्दों में मुखालिफत करता हूं ।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो बहस हाउस में चल रही है इसकी इब्तदा आज से पूरे एक साल पहले इसी सदन में हुई थी । मार्च का महीना था जब यहां पर वह वाक़या हुआ और उसके बाद वह मामला कुछ आगे बढ़ा जिसको सब माननीय सदस्य जानते हैं । मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं । उस वक्त से बराबर इस मसले पर अखबारों में, अदालतों में और जगह-जगह पर बार एसोसियेशन वगैरह में, तमाम जगहों पर बहस हो रही ह । जो बहस इस सदन में हुई उससे भी यह साफ जाहिर है कि यह एक इतना उलझा हुआ मामला है कि उसके ऊपर

निहायत ईमानदारी के साथ दो राय हो सकती हैं और वे दो राय जो होती हैं उनमें दोनों फरीक यह यक़ीन करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह ठीक है। बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन जब भी इस किस्म का इख़्तलाफ या राय में मतभेद होता है उस को तय करने का इन्सानी अक्ल एक तरीका सोच लेती है और जब वह मामला उस तरह से तय हो जाता है तो उसकी फायनलिटी होती है कि हर शख्स उसके ऊपर अमल-दरामद करने के लिए पाबन्द हो जाता है। वरना जाहिर है कि हमारे इसी सदन में एक राय मैजारिटी पार्टी की होती है, एक माइनारिटी पार्टी की होती है, आपस में इख़्तलाफ होता है। लेकिन यह नहीं है कि माइनारिटी पार्टी की राय हमेशा गलत हो और मैजारिटी हमेशा सही हो। लेकिन यह तरीका बना लिया गया है कि अगर मतभेद किसी न किसी तरह से ख़त्म करना है---क्योंकि जब भेद-भाव खत्म होंगे तभी लोग सोचेंगे कि क्या करें, क्या न करें, तो जब एक फैसला हो जाता है तो मैजारिटी और माइनारिटी के ऊपर उस की पाबन्दी लाजिमी हो जाती है। अदालतें इसीलिये बनायी गयीं कि आपस में मुख़्तलिफ़ मामलात के ऊपर लोगों में इख़्तलाफ़ होता है वह कैसे तय हो। या तो लाठी से, फौजदारी से तय किया जाय या फिर अदालत में जायं और उसका फैसला लिया जाय। जाहिर है कि फैसला जिस किसी के खिलाफ होता है यकीनन उसके दिल में यह भ्रम हो जाता है कि मेरे साथ अन्याय किया गया और मुमकिन है कि ऐसे भी वाकयात होते हों जैसा कि आज माननीय सदस्यों ने बयान किया कि फलां जज ने इस बात पर तय कर दिया कि किसी वकील ने कोई शेर पढ़ा तो जज उसके मुआफिक हो गया। लेकिन ह्यूमन इंजीनुइटी इसका भी रास्ता निकाल लेती है, आखिर में यही होता है कि जो फैसला हो गया है उसको हमें मानना है। यह और बात है कि उस को मानने के बाद फिर आइंदा का क़दम हम सोचें कि आगे हमें क्या करना है।

हमारा झगड़ा यहीं शुरू हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। वह आगे बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रपति को दखल देना पड़ा, गवर्नमेंट आफ इंडिया बीच में पड़ी और यह समझ कर कि यह उलझन का मामला है, उस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दिया। मंशा यह था और गालिबन हर शख्स यह समझता था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा हर शख्स उसको मानेगा, क्योंकि हमारे संविधान में और हमारे देश में सब से बड़ी अदालत जो है वह सुप्रीम कोर्ट है और उनसे उन्होंने इसलिये सलाह ली। इस पर १३–१४ दिन तक बहस हुई और फैसला वहां से सादिर हुआ। हमारे माननीय नवल किशोर ने यह फरमाया कि वह फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है क्योंकि दो डिसीजन्स हैं। एक ६ जजों का है और एक, एक जज का है, मालूम नहीं कौन-सा फैसला ठीक है। आम तौर से यह समझा जाता है कि जो मैजारिटी जजमेंट है वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं इस बहस को अलग करते हुए कहता हूं कि माइनारटी जजमेंट को ही देखिये कि उसमें क्या कहा गया है। अगर उसे आप सही समझते हैं तो उस पर अमल कीजिये। बहरहाल, अगर आप कुछ भी अपनी अदालतों की इज्जत रखना चाहते हैं तो ऐसा करना चाहिये।

उन्होंने खुले दिल के साथ यह तसलीम किया कि आप को अधिकार है, आप की एक शान है, आप की एक जगह है विधान में और वह जगह आपके पास रहनी चाहिए।

आप को मैं हवाला दूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस में उन्होंने सफा १३–१४ के ऊपर इस बात का जिक्र किया है—सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसके पृष्ठ १३–१४ पर यह है :

".....In coming to the conclusion that the content of Article 194(3) must ultimately be determined by Courts and not by the Legislatures, we are not unmindful of the grandeur and majority of the task which has been assigned to the Legislatures under the Constitution. Speaking broadly, all the legislative chambers in our country to-day are playing a significant role in the pursuit of the ideal of Welfare State which has been placed by the Constitution before our country, and that naturally gives the legislative chambers a high place in the making of history to-day. The High Courts

[श्री सैयद अली जहीर]

also have to play an equally significant role in the development of the rule of law and there can be little doubt that the successful working of the rule of law is the basic foundation of the democratic way of life. In this connexion it is necessary to remember that the status, dignity and importance of these two respective institutions, the Legislatures and the Judicature, are derived primarily from the status, dignity and importance of the respective causes that are assigned to their charge by the Constitution. These two august bodies as well as the Executive which is another important constituent of a democratic State, must function not in antinomy nor in a spirit of hostility, but rationally, harmoniously and in a spirit of understanding within their respective spheres, for such harmonious working of the three constituents of the democratic State alone will help the peaceful development, growth and stabilization of the democratic way of life in this country.

But when, as in the present case, a controversy arises between the House and the High Court, we must deal with the problem objectively and impersonally. There is no occasion to import heat into the debate or discussion, and no justification for the use of strong language. The problem presented to us by the pressent reference is one of construing the relevant provisions of the Constitution and, though its consideration may present some difficult aspects, we must attempt to find the answers as best as we can. In dealing with a dispute like the present which concerns the jurisdiction, the dignity and the independence of two august bodies in a State, we must remember that the objectivity of our approach itself may incidentally be on trial. It is, therefore, in a spirit of detached objective enquiry which is the distinguishing feature of judicial process that we propose to find solutions to the questions framed for our advisory opinion....."

तो मुझे यह अर्ज करना है कि जो तजवीज सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसकी तारीफ़ इस देश में ही नहीं हुई है बल्कि इंगलिस्तान तथा दूसरी जगह भी हुई है। बड़े-बड़े जूरिस्ट्स ने इन जजों को मुबारकबाद दिया है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस प्रश्न को हल किया है। (व्यवधान) मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम उस तजवीज को मान भी लें तो उसका मतलब यही नहीं है कि हमारे सामने और रास्ते बन्द हो गये। अगर हम उस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक की और रक्षा हो, तो उसके दूसरे रास्ते हो सकते हैं, दूसरी तरह से हम यह कह सकते हैं कि हमारे हुकूक की रक्षा होनी चाहिये। अगर सिर्फ़ अपने हुकूक की हिफाजत के लिये आप कहते तो उससे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की डिगनिटी भी रह जाती और आप का असली मकसद भी पूरा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

यह तजवीज कहां है ? यह तो ऐडवाइस है ।

श्री सैयद अली जहीर--

यह ओपीनियन है। उन्होंने जो यह ओपीनियन दी है, इस पर आर्डर तो प्रेसीडेंट का होगा। यह ठीक है कि यह कोर्ट का आर्डर नहीं है लेकिन यकीनन यह फैसला है। इन्होंने राय दी है और वह प्रेसीडैन्ट को दी है। वे शायद बाद को आर्डर्स पास करेंगे। माननीय सदस्य शायद जानते हों। एक जमाना था, जब मुकदमें में प्रिवी कौन्सिल जाते थे, उसके कुछ जजेज थे। श्रीमन्, उसका कोई फैसला उठा कर देख लीजिये। वह हमेशा एक ही तरह होता था। "लार्ड शिप्स आफ दि प्रिवी कौन्सिल बैग टु एडवाइज हिज मैजेस्टी दि किंग एक्कार्डिंगली (The Lordships of the Privy Council beg to advise His Majesty the King accordingly)

उसमें यह लफ्ज हुआ करते थे। सिर्फ एडवाइज के तौर पर हुआ करते थे और उसी को हम सब मानते थे। इसके अलावा और सालों में और रेफरेन्सेज भी हो चुके हैं। वे ला रिपोर्ट्स में छपे हुए हैं और उनको बहैसियत अथारिटी हर अदालत मानती है। उनकी जो रिस्पैक्ट होनी चाहिये, वह अपनी जगह पर है और वह अपनी जगह पर रहेगी। मुझे यह कहना था कि यह सवाल उलझन और पेच का है। सवाल यह रहता है कि इस मामले में हमको क्या करना है।

आपने १९४ (३) का हवाला दिया है। वह यह कहता है कि जो इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेज या राइट्स हाउस आफ कामन्स के मेम्बर्स और उन की कमेटीज को मिले हुये हैं वही सब यहां हाउस के मेम्बर्स को भी मिलेंगे। आप इस मसले पर गौर करें। इस दफ़ा में एक कूज्जे में दरिया भर दिया है, यानी एक सुराही में पूरा समुन्दर। ७०० वर्ष की तवारीख़ जिनमें उनके कन्वैन्शन्स बने वही राइट्स ऐंड प्रिविलेजेज आप के होंगे। उन्होंने एक जुमला लिख कर आप पर जिम्मेदारी डाल दी कि आप उनका पता लगायें कि क्या प्रिविलेजेज होंगे।

अब सवाल यह होता है कि वहां भी इस क़िस्म के कानफ्लिक्ट्स हुए या नहीं हुए; अगर हुए तो उन्होंने उनको किस तरह से तय किया। मेरा खयाल है कि यह मामला रेलेवेन्ट है। वहां भी जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में कान्फ्लिक्ट हुई। इस सदन में १५०–२०० वर्षों के इन्स्टान्सेज मेम्बरों ने कोट किये हैं। उनमें किसी की कोई राय थी और किसी की कोई राय और इस फैसलें में भी उन सब को देख कर ही राय दी गई। मगर सवाल यह है कि उन्होंने इसे हल कैसे किया।

श्री नेकराम शर्मा—

लेटेस्ट केसेज १९५५ के हैं। उसके बाद आप की क्या राय है, आप बतलायें।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं गालिबन उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितने माननीय सदस्य पढ़े लिखे हैं। लेटेस्ट केसेज वे ही मुझे बतलायेंगे। लेकिन मुझे यही कहना है कि केसेज की बुनियाद पर आप इस हाउस में फैसला नहीं कर सकते। आप को तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जो ऐसा हो जिस पर आप अदालतों को अपने साथ ले कर के चल सकें और जो कि सब के लिये काबिले कबूल हों। इन्गलिस्तान में भी इस किस्म की कान्ट्रोवर्सी उठीं। जैसा कि मैंने कहा, उनका सात सौ वर्ष का इतिहास है; वहां पर भी ७०० वर्ष से जुडीशियरी और लेजिस्लेचर में कान्फ्लिक्ट्स रहे हैं। वहां पर जुडीशियरी जो थी उनको किंग एप्वाइंट करता था। हाउस आफ कामन्स पब्लिक की नुमाइन्दा जमायत होती थी। हाउस आफ लार्ड्स की कोर्ट्स की हैसियत थी। हाउस आफ लार्ड्स और जजेज किंग के साथ समझे जाते थे। ऐसी सूरत में स्वाभाविक था कि कान्फ्लिक्ट्स रहते। हमारे यहां कोई इस कान्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं कि खामख्वाह ऐसे कानफ्लिक्ट को पैदा करें। हमारे यहां ऐसी जरूरत नहीं मगर क्योंकि हमारे यहां कान्स्टीट्यूशन ने बताया है कि वही हमारे राइट्स और प्रिविलेजेज हैं जो कि हाउस आफ कामन्स के मेम्बर्स के हैं, तो इस वजह से हम को यह देखना चाहिये कि आखिर इस कंट्रोवर्सी को हाउस आफ कामन्स ने कैसे तय किया।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

आप इस नजरिये से देखें यानी कि यह जनतंत्र पर आघात है या नहीं।

श्री सैयद अली जहीर—

आप देखेंगे कि इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सफ़े २५ पर यह कहा है। वहां एक तरफ पार्लियामेंट थी। साथ ही यह भी याद रखिये कि उन की पार्लियामेंट के अधिकार अपनी पार्लियामेंट के अधिकारों से बहुत ज्यादा थे, मसलन् उनका बनाया कोई क़ानून कोई

[श्री सैयद अली जहीर]

अदालत वहां की नाजायज करार नहीं दे सकती। यहां के कानून अगर संविधान के खिलाफ़ हैं तो यहां अदालतें नाजायज क़रार देती हैं। लेकिन वहां भी कोर्ट्स के अलग पावर्स थे और पार्लियामेंट के अलग पावर्स थे। उन्होंने कहा है कि—

"As regards punishment for contempt, a similar process of give and take by convention has been in operation and gradually a large area of agreement has, in practice, been evolved. Theoritically, the House of Commons claims that its admitted right to adjudicate on breaches of privilege implies in theory the right to determine the existence and extent of the privileges themselves. It has never expressly abandoned this claim. On the other hand, the courts regard the privileges of Parliament as part of the law of the land, of which they are bound to take judicial notice. They consider it their duty to decide any question of privilege arising directly or indirectly in a case which falls within their jurisdiction, and to decide it according to their own interpretation of the laws. Naturally, as a result of this dualism the decisions of the courts are not accepted as binding by the House in matters of privilege, nor the decisions of the House by the courts; and, as May points out, on the theoretical plane, the old dualism remains unresolved. In practice, however, "there is much more agreement on the nature and principles of privilege than the deadlock on the question of jurisdiction would lead one to expect" and May described these general conclusions in the following words :

श्री अध्यक्ष—

यह सब का पढ़ा हुआ है, इसलिये इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

लेकिन यह न्याय मंत्री हैं। इनसे हम लोग जानना चाहते हैं। वह २५ किताबें पढ़ें तो पढ़ने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मेरा मतलब है कि जो चीज हम पढ़ चुके हैं उस का सारांश बता दें।

श्री उग्रसेन—

वह जिस संदर्भ में पढ़ रहे हैं पढ़ने दें ताकि सब को मालूम हो।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ़ क़रीब १५ लाइन इसमें से और पढ़ूंगा। उनमें मेन प्रिंसीपिल्स हैं। बजाय इसके कि मैं उसे मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में पढ़ूं, मैं यहां से पढ़ रहा हूं :—

"(1) It seems to be recognised that, for the purpose of adjudicating on questions of privilege, neither House is by itself entitled to claim the supremacy over the ordinary courts of justice which was enjoyed by the undivided High Court of Parliament. The supremacy of Parliament, consisting of King and the two Houses, is a legislative supremacy which has nothing to do with the privilege jurisdiction of either House acting singly.

(2) It is admitted by Both Houses that, since neither House can by itself add to the law, neither House can by its own declaration create a new privilege This implies that privilege is objective and its extent ascertainable, and reinforces the doctrine that it is known by the courts."

अब उसके बाद इसमें सुलह कैसे हुई ? यह तो दो प्रिंसिपुल्स हो गये ।

"On the other hand, the courts admit:

(3) That the control of each House over its internal proceedings is absolute and cannot be interfered with by the courts.

(4) That a committal for contempt by either House is in practice within its exclusive jurisdiction, since the facts constituting the alleged contempt need not be stated on the warrant of committal."

वह जनरल वारन्ट हो जायगा । तो एक तरह तो कोर्टस नें कंसीड कर दिया और दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने कंसीड कर दिया कि यह चीज तय करना कि यह प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है या नहीं, यह रंकग्नाइज्ड प्रिविलेज है या नहीं, यह तो जूरिस्डिक्शन कोर्ट का रहेगा लेकिन यह चीज कि कन्टैम्प्ट हुआ कैसे, और उसमें क्या सजा हुई, यह जो अख्तियारात है, यह पार्यिलामेंट के रहेंगे ।

"It is a tribute to the remarkable English genius for finding progmatic and *ad hoc* solution to problems which appear to be irreconciliable by adopting the conventional method of give and take."

तो दोनों ने एक दूसरे के राइट्स को रिकग्नाइज्ड कर लिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ ?

"The result of this process has been, in the words of May, that the House of Commons has not for a hundred years refused to submit its privileges to the decision of the courts and so, it may be said to have given practical recognition to the jurisdiction of the courts over the existence and extent of its privileges. On the other hand, the courts have always at any rate in the last resort refused to interfere in the application by the House of any of its recognised privileges. That broadly stated, is the position of powers and privileges claimed by the House of Commons."

अब आप इस पर गौर करें कि यह क्या है और आप के यहां जो हुआ वह क्या हुआ ? आपके यहां सुप्रीम कोर्ट में मामला गया । सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन दी । उसके बाद केशव सिंह का जो हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में वह वहां सुना गया। उसमें हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया ? इन्हीं सब एथारिटीज के ऊपर उसने फैसला किया कि आप को बावजूद सुप्रीम कोर्ट की राय के कम्प्लीन्ट जुरिस्डिक्शन है । जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की राय हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है । यह हाई कोर्ट के लिये गैरमुमकिन था कि सुप्रीम कोर्ट की राय यह होती कि हाउस को राइट्स नहीं है तब भी हाई कोर्ट यह फैसला कर देता कि हाउस को राइट है । तो हाई कोर्ट के जजेज ने उसको इन्टरप्रीट किया और यह होल्ड किया कि आपके राइट्स ऐब्सोल्यूट हैं और चुनांचे रिट एप्लीकेशन खारिज कर दी गई । आप खुद देखें कि यह सूरत होते हुये यह कहना कि कोई गलत फैसला हुआ या हमारे राइटस छीन लिये गये या हमारे राइट्स खतरे में पड़ गये, मेरे खयाल से यह दुरस्त नहीं है । जैसा मैंने कहा, इंग्लिस्तान में भी यह डयूएलिज्म चल रहा है, बराबर रहा है और अब भी है। मगर उन्होंने अपने को ऐडजस्ट कर लिया । इस वहज से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले में भी हम इसी नुक्तेनिगाह से अप्रोच करें कि हम इस मामले को किस तरह से सुलझा सकते हैं और सहूलियत से तय करा सकते हैं । यह जो मैंने आपके सामने पढ़ा, यही चीज मैं ने अपनी किताब में १७३ और १७४ पेज पर लिखी है—

"Since the House of Commons has not for a hundred years refused to submit its privileges to the decision of the courts, it may be said to have given practical recognition to the jurisdiction of the courts over the existence and extent of its privileges. On the other hand, the courts have always, at any rate in the last resort, refused to interfere in the application by the House of any of its recognized privileges."

[श्री सैयद अली जहीर]

तो यह सूरत होते हुए मेरी यही गुजारिश है कि यह जो रिजोल्यूशन है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट की नुक्ताचीनी की गई है, अच्छी नहीं मालूम देती। यह ठीक है, बिलकुल सही है कि आप यह कहें कि हम यह समझते हैं कि जितनी सफाई से, जितनी क्लेरिटी से, हमारे प्रिविलेज एस्टैब्लिश होने चाहिये, उतनी सफाई नहीं है, तो इसकी वजह से कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाय, यह बिलकुल आपके विदिन दि राइट्स होगा। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, यहां असेम्बली में बैठकर नुक्ताचीनी करेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि जो हाई पोजीशन इस डेमोक्रेटिक कान्स्टीट्यूशन में आपने कोर्टस् को दी है, वह आप कायम नहीं रख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है। लेकिन हमने कहा है कि इट अपीयर्स। जो रिजोल्यूशन है, उसमें इसी वजह से मैंने खासतौर पर शब्द इन्ट्रोड्यूस किये हैं कि "ऐसा मालूम होता है कि यह डिफिनिटली नहीं है, कहीं भी कि वह गलत है। सिर्फ यही है कि इट अपीयर्स ऐज इफ इट इज इनकंसिस्टेंट "It appears as if it is inconsistent".

श्री उग्रसेन--

इसी को हटाने के लिये माननीय काशीनाथ जी ने कल संशोधन किया था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, आपको माननीय काशीनाथ जी का संशोधन स्वीकार है ?

श्री उग्रसेन--

जी हां।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, हमको स्वीकार नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर--

वैसे तो माननीय सदस्यों को अधिकार है, जो मुनासिब समझें रिजोलूशन पास करें, लेकिन अल्फाज से यह जाहिर होता है कि हमारी राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कंस्टीट्यूशन का सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। यह मानना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

हमारा खयाल यह है।

श्री सैयद अली जहीर--

और यह हाउस का खयाल है। तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं चाहता था कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने हमारी डिगनिटी को अपहोल्ड किया है और जिक्र किया है कि लेजिस्लेचर एक आगस्ट बाडी है, उसी तरह से हम भी कुछ ऐसे अल्फाज रखते जिससे उनके राइट्स को रिकगनाइज करते हुये हम फिर कहते कि हमारी राय में यह चीज इस तरह से हो जाय तो अच्छा है, तो यह बेहतर होता। बहरहाल, मैंने अपने खयालात का इजहार किया, आगे आप जानिये।

एक और मामला है, जिस पर बहस हुई और यह कहा गया कि यह क्लैश जो है, यह हमारे और फन्डामेंटल राइट्स जो पब्लिक के हैं, उनका नहीं है, बल्कि हम खुद पब्लिक के फंडामेन्टल राइट्स के गार्जियन्स हैं और हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और करेंगे। माननीय नवल किशोर जी ने कहा और गालिबन रिजोलूशन में भी देखना यह है कि कांस्टी-

ट्यूशन हमारे सामने है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का किस को अधिकार दिया गया है। वह अधिकार इस हाउस को नहीं है, बल्कि कोर्टस् को है। अगर आप आर्टिकिल ३२ को देखेंगे, जो पार्ट ३ में है, तो उसमें लिखा हुआ है:—

"32. (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have the power to issue directions or order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part."

मेरा कहना यह है कि यह बहस करना कि हम फंडामेंटल राइट्स पर हमला नहीं कर रहे हैं, यह बहस सही नहीं है क्योंकि अगर आप कोर्टस् को डिबार कर देंगे कि वह उस नागरिक के मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के बारे में कोई पिटीशन इंटरटेन नहीं कर सकते, जिन अधिकारों पर हमला हुआ है, और वह आदमी किसी भी हालत में कतई कोर्ट नहीं जा सकता, तो मेरी गुजारिश है कि दिस बिल एमाउन्ट टु ऐन इनवैजन आन दि फंडामेंटल राइट्स आफ दि कामन मैन (This will amount to an invasion on the fundamental rights of the common man) और यह कह देना कि हम खुद इसके गार्जियन हैं, और खुद प्रोटेक्ट करेंगे, यह बहस कुछ बहुत ज्यादा काबिले कबूल नहीं है। वैसे तो इक्जीक्यूटिव क्या है? वह भी हाउस के प्रति जिम्मेदार है। लेकिन जिस तरह से इजीक्यूटिव्स के आर्डर्स के खिलाफ कामन मैन को रेमडी मिली हुई है और वह अधिकार कंस्टीट्यूशन में गारन्टीड है, उसी तरह से मेरी गुजारिश है कि फंडामेंटल राइटस पर कोई भी अटैक करें तो अदालतें उसको प्रोटेक्शन देंगी और यह कहना कि हम खुद कर रहे हैं सही नहीं होगा। यह मैं समझता हूं कि जहां तक आप अपनी प्रिविलेजज को जो रिकगनाइज्ड हैं, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है और जिसको इस कैस में अपहोल्ड किया गया है, उसको अगर आप इक्सरसाइज करेंगे, तो वह ऐसे राइट्स हैं, जिनके बारे में कोई भी कोर्ट आफ ला क्वैश्चन नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप सवा पांच बजे तक खत्म कर दीजियेगा?

श्री काशीनाथ मिश्र—

कल चलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से नहीं पूछ रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

हम कह सकते हैं, सदन के मेम्बर होने के नाते।

श्री सैयद अली जहीर—

अगर बहस आज खत्म हो रही है, तो मैं खत्म करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर कल भी बहस होने को है, तो मुझे कल के लिये इजाजत दे दीजिये।

श्री बलवानसिंह—

किसने वैलकम किया है, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को?

श्री उग्रसेन—

अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े-बड़े अखबारों ने सम्पादकीय लिखे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, कल बहस जारी रहेगी, तो इसका प्रस्ताव ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव का क्या सवाल है ? कल यह बहस जारी रहेगी और जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक जारी रहेगी ।

सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय सदस्यों को दे दूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने आप सब को गेस्ट हाउस में साढ़े पांच बजे आमन्त्रित किया है ।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
३१ मार्च, १९६५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७–१९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४०–२४१ पर।)

तालिका 'क'

क्रम संख्या	पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर का नाम		परिवार नियोजन केन्द्र का नाम	ब्लाक का नाम	किस तिथि से कार्य ग्रहण किया
१	श्री राम सूरत पांडे	..	बछरावा	बछरावा	२५–६–६३
२	श्रीमती शकुन्तला सक्सेना	..	बछरावा	बछरावा	१७–२–६४
३	श्री कृष्णकान्त द्विवेदी	..	डलमऊ	डलमऊ	५–५–६२
४	श्रीमती सुषमा खरे	..	डलमऊ	डलमऊ	११–७–६४
५	श्री वीर बहादुर सिंह	..	डीह	डीह	११–१–६५
६	श्री अमरबहादुर सिंह	..	हरचन्दपुर	हरचन्दपुर	९–११–६३
७	श्री ग्रीशचन्द्र बाजपेई	..	जगतपुर	जगतपुर	२३–४–६३
८	श्री कृष्णदत्त मिश्रा	..	खीरी	खीरी	२१–३–६४
९	श्री आर० सी० पान्डे	..	लालगंज	लालगंज	५–८–६४
१०	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	..	महाराजगंज	महाराजगंज	२४–३–६२
११	श्रीमती कृष्णाकान्ती मिश्रा	..	महाराजगंज	महाराजगंज	८–६४
१२	श्री अब्दुल रहीम	..	जायस	नसीराबाद	१–११–६२
१३	श्रीमती रामप्यारी सिंह	..	जायस	नसीराबाद	२३–५–६३
१४	श्री विनोद शंकर श्रीवास्तव	..	फुरसतगंज	नसीराबाद	२४–१२–६३
१५	श्रीमती निर्मला देवी सिनहा	..	फुरसतगंज	नसीराबाद	३–८–६३
१६	कुमारी स्वर्ण कौर	..	राही	राही	१७–१२–६२
१७	श्री के० के० निगम	..	राही	राही	१६–९–६४
१८	श्री मोहनसिंह यादव	..	सताव	सताव	२३–१२–६४
१९	श्री ताराचन्द्र त्रिपाठी	..	अहरवाभवानी	सिहपुर	७–१२–६२
२०	श्री हरीराम	..	सरेनी	सरेनी	२८–६–६४
२१	स्थान रिक्त है	..	सलोन	सलोन	८–१–६५ से एक अंशकालीन (पार्ट टाईम) लेडी सोशल वर्कर की नियुक्ति की गयी है।
२२	श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा	..	तिलोई	तिलोई	१२–४–६२
२३	श्री बच्चूलाल	..	ऊंचाहार	ऊंचाहार	२६–११–६३

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	सोशल वर्कर का नाम	परिवार नियोजन केन्द्र का नाम (सरकारी)	कब से कब तक का किराया सरकार को दिया गया	कुल कितना रुपया जमा हुआ	विशेष
१	कुमारी सुरजीत कौर ..	हरचन्दपुर	नवम्बर ६२ से मई ६३ तक।	५८–१०	वेतन के १० प्रतिशत की दर से।
२	श्रीमती विजयलक्ष्मी ..	हरचन्दपुर	जून ६३ से सितम्बर ६३ तक	२८–५०	,,
३	अमरबहादुरसिंह ..	हरचन्दपुर	नवम्बर ६३ से फरवरी ६५ तक	२११–५०	,,
४	श्रीमती निर्मला देवी सिनहा	फुरसतगंज	जनवरी ६५ से फरवरी ६५ तक	१९–२०	,,
	कुल योग			३१७–३०	

तालिका 'ग'

पुरुष तथा महिला सोशल वर्कर ने अभी तक ८४९८ केस कार्ड भरे है। और अब तक इस जिले में कुल १८२५ नसबन्दी आपरेशन हो चुके हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५८ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है।)

धाराओं का क्रम

अध्याय १

प्रारम्भिक

पृष्ठ

१—संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ १

अध्याय २

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ की धारा १ का संशोधन .. १
३—धारा २—क—का संशोधन १
४—धारा ३ का संशोधन १
५—धारा ११७ और ११७—क के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन और धारा १२८ का संशोधन .. .. .. २—४
६—धारा १२७—ख के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .. ५
७—धारा १३७ का संशोधन ५
८—धारा १३९ का संशोधन ५
९—धारा १६१ का संशोधन ५
१०—धारा २२५—क के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .. ५
११—धारा २२९—ख का संशोधन ६
१२—धारा २३० का संशोधन ६
१३—नयी धारा २७४—क का बढ़ाया जाना ६
१४—धारा २७९ का संशोधन ६
१५—धारा २८१ का संशोधन ७
१६—धारा २८२ का संशोधन ७
१७—धारा २८३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .. ७
१८—धारा २८४ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .. ७
१९—नयी धारा २८४—क का बढ़ाया जाना ८
२०—धारा २८५ का निकाला जाना ८
२१—धारा २८६ का संशोधन ८
२२—नयी धारा २८६—क का बढ़ाया जाना ८
२३—धारा २८९ से २९१ तक का निकाला जाना ९

२४—धारा २९२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .. ९
२५—धारा २९४ का संशोधन ९
२६—धारा ३४१ का संशोधन ९
२७—अनुसूची २ का संशोधन १०
२८—अपवाद तथा वैधीकरण १०

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, का संशोधन

२९—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७, की धारा १ का संशोधन .. १०
३०—धारा २ का संशोधन १०
३१—धारा ६५ का संशोधन ११
३२—अनुसूची का संशोधन ११

अध्याय ४

कुमायूं तथा उत्तरा खन्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, का संशोधन

३३—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० की धारा १ का संशोधन .. ११
३४—धारा २ का संशोधन ११
३५—धारा ३ का संशोधन ११
३६—धारा १९ का संशोधन १२
३७—धारा ४८ का संशोधन १२

अध्याय ५

जौनसार-बाबर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, का संशोधन

३८—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५६ की धारा २ का संशोधन .. १२

अध्याय ६

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, का संशोधन

३९—यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ४ का संशोधन .. १३
४०—धारा १४६ का संशोधन १३
४१—धारा १६२ का संशोधन १३
४२—नयी धारा १८२—क का बढ़ाया जाना १३
४३—धारा २३४ का संशोधन १४

अध्याय ७

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, का संशोधन

४४—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई०, की धारा ३ का संशोधन .. १५
४५—धारा ५ का संशोधन १५
४६—धारा २३ का संशोधन १६
४७—धारा २७ का संशोधन १६
४८—धारा ४९ का संशोधन १६
४९—धारा ५२ का संशोधन १६
५०—धारा ५४ का संशोधन १६

अध्याय ८

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, को संशोधित करने वाली अधिनियमितियों में संक्रमण कालीन उपबन्धों का संशोधन

५१—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८, १९५८ ई०, की धारा ४९ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन १७
५२—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९६३, की धारा ४७ का संशोधन .. १७

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट, १९०१, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ तथा अन्त में उल्लिखित अधिनियम को संशोधन करने वाली कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन अधिनियम, १९६५, कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) अध्याय ३, १२ मार्च, १९५७ से प्रचलित हुआ समझा जायगा, धारा ४४, ४५, ४७ से ४९ तक और ५१, ८ मार्च, १९६३ से प्रचलित हुई समझी जायेंगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रचलित होंगे ।

अध्याय २

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, का संशोधन

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि रामपुर म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानों अंक तथा शब्द "७ जुलाई, १९४९ ई०" के स्थान पर उसमें अंक तथा शब्द "३१ जुलाई, १९४९ ई०" रख दिये गये हों।"

धारा २-क का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) यदि किसी नदी की क्रिया से या अन्य प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।"

धारा ३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) खण्ड (१४) में शब्द तथा अंक "धारा १४३ और १४४ को छोड़कर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १०९, १४३ और १४४ तथा अध्याय, को छोड़कर" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

(२) खण्ड (२८) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय, खण्ड (२९) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन और शब्द "और" रख दिये जायं और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय:—

"(३०) किसी अधिनियमिति का कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियमित का अभिदेश और, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की दशा में, उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा १२२ के अधीन समय-समय पर किये गये अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए, उक्त कोड का अभिदेश समझा जायगा।"

धारा ११७ तथा ११७-क के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

५—(१) मूल अधिनियम की धारा ११७ और ११७-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और मूल अधिनियम की, जैसा कि वह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था, उक्त धाराओं के अधीन की गयी किसी कार्यवाही अथवा जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नयी धाराओं के उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही अथवा जारी की गयी विज्ञप्ति है, मानो यह धारा सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित थी :—

"११७—(१) धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से निम्नलिखित सभी या कोई वस्तु, अर्थात्—

कुछ भूमि आदि का गांव सभाओं तथा अन्य स्थानिक अधिकारिकी में निहित होना

(१) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,

(२) जंगल,

(३) जोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर, अन्य सभी पेड़,

(४) मीनाशय,

(५) ऐसी भूमि पर, जिन पर धारा १८ की उपधारा (१) के खण्ड (क) से (ग) के उपबन्ध लागू होते हों अथवा धारा ९ में उल्लिखित स्थलों तथा क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले, और

(६) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल-प्रणालियां (water-channels) रास्ते और आबादी के स्थल (abad-sites), जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस सम्पूर्ण गांव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित गांव सभा या किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी में, अथवा अंशतः एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है) और अंशतः दूसरे में निहित हो जायेंगे :

किन्तु राज्य सरकार के लिए पूर्वोक्त प्रख्यापन ऐसे अपवादों तथा प्रतिबन्धों के अधीन करना वैध होगा जिन्हें विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय।

(२) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय, उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के पश्चात् किसी गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी में, या तो इस अधिनियम के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५६, की धारा १२६ के अधीन निहित कर दिये गये हों, ऐसे सम्पूर्ण गांव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है) में निहित हो जायेंगे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(३) यदि उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को किसी गांव सभा में निहित करने के लिए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई प्रख्यापन किया गया हो, और ऐसे गांव या गांव का भाग, जिसमें वह वस्तु स्थित हो, गांव सभा के मण्डल के बाहर हो, तो ऐसी गांव सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति, उस वस्तु के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २६, १९४७ ।

अथवा यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो मानो वह गांव या गांव का भाग भी उस मण्डल के अन्दर स्थित हो ।

(४) यदि उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को गांव सभा से भिन्न किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित करने के लिए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई प्रख्यापन किया गया हो और ऐसा गांव अथवा गांव का भाग जिसमें वह वस्तु स्थित हो ऐसे स्थानिक अधिकारिकी की सीमाओं के बाहर हो, अथवा यदि उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी प्रख्यापन के हो जाने के पश्चात् वह वस्तु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १२६ के अधीन नगर महापालिका में निहित हो जाय, अथवा यथास्थिति, निहित हो चुकी हो, तो ऐसा स्थानिक अधिकारिकी उस वस्तु के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम अथवा यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ द्वारा या उनके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २६, १९४७

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्थानिक अधिकारिकी इस उपधारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

(५) यदि उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु गांव सभा से भिन्न किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित हो जाय तो धारा १२६ तथा १२७ के उपबन्ध ऐसे किन्हीं अपवादों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे, ऐसे स्थानिक अधिकारिकी पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(६) राज्य सरकार किसी भी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्वोक्त किसी वस्तु के सम्बन्ध में, या तो सामान्यतया अथवा किसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी के सम्बन्ध में, किये गये किसी प्रख्यापन अथवा किसी विज्ञप्ति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है, और ऐसी वस्तु को वापस ले सकती है, और जब कभी राज्य सरकार कोई ऐसी वस्तु इस प्रकार वापस ले ले तो, यथास्थिति गांव सभा या स्थानिक अधिकारिकी उस वस्तु में अथवा उस वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास कार्य ही के कारण, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसको उसीके लिए प्रतिकर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार वापस लेने के पश्चात्, वापस ली गयी वस्तु को उसी या किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है) में निहित करने के लिए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन नया प्रख्यापन कर सकती है, और यथास्थिति, उपधारा (३), (४) और (५) के उपबन्ध ऐसे प्रख्यापन पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

११७—क—(१) यदि—

गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी द्वारा राज्य-क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त उपबन्ध

(क) किसी गांव सभा के मण्डल के भीतर स्थित कोई गांव अथवा गांव का कोई भाग ७ जुलाई, १९४९, के पश्चात् किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जो गांव सभा न हो) की सीमाओं में सम्मिलित हो जाता है: या

(ख) किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जो गांव सभा न हो) की सीमाओं के भीतर स्थित कोई गांव अथवा गांव का भाग ७ जुलाई, १९४९, के पश्चात् किसी गांव सभा के मण्डल में सम्मिलित हो जाता है; या

(ग) धारा ११७ की उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु उक्त धारा के अधीन किसी ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी में, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न हो, निहित कर दी जाय,

तो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी ऐसे गांव या उसके भाग के भीतर जोत के क्षेत्र के सम्बन्ध में अथवा खण्ड (ग) की दशा में ऐसे गांव या उसके भाग के शेष के भीतर, जिसके सम्बन्ध में उक्त खण्ड में अभिदिष्ट वस्तु हो, ऐसी गांव सभा या उस की भूमि प्रबन्धक समिति अथवा अन्य स्थानिक अधिकारिकी, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे किन्हीं अपवादों, प्रतिबन्धों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम या यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, द्वारा या उसके अधीन किसी गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित, उसे आरोपित या प्रदत्त हों। यू० पी० ऐक्ट, संख्या २६, १९४७

(२) कोई गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, १९५६, के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांक को उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी क्षेत्र या वस्तु के सम्बन्ध में उक्त उपधारा में अभिदिष्ट प्रकार के कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन या अधिकारों का प्रयोग कर रही हो, तब तक ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उक्त उपधारा के अधीन विज्ञप्ति द्वारा उसमें कोई परिष्कार या अभिशून्यन (Annulment) न कर दिया जाय।

(३) इस धारा के उपबन्ध, धारा ११७ की उपधारा (३) से (६) तक में दी गयी किसी बात के अतिरिक्त होंगे और न कि उसके अल्पीकरण में।"

धारा १२८ का संशोधन

(२) मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) के खण्ड (कक) में शब्द तथा अंक "धारा ११७ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबंधात्मक खंड" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ११७ की उपधारा (६)" रख दिये जायं।

धारा १२७—ख के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा १२७—ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात:—

पैनल के वकील

"१२७—ख—(१) राज्य सरकार, एसी शर्तों पर आश्रित और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, या तो सामान्यतया अथवा किसी मामले में या मामलों के किसी निर्दिष्ट वर्ग के लिए, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों की गांव सभाओं के सम्बन्ध में जो निर्दिष्ट की जायं, एक या अधिक वकील नियुक्त कर सकती है जो पैनल के वकील कहलायगे।

(२) पैनल का वकील, उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बिना किसी लिखित प्राधिकार के ऐसे क्षेत्र के किसी गांव सभा की ओर से जिसके लिये वह नियुक्त किया जाय, किसी न्यायालय के समक्ष गांव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद अथवा अन्य मामले में जो उसे सौंपा गया हो, उपस्थित हो सकता है और वकालत तथा कार्यवाही कर सकता है।

(३) किसी न्यायालय में पैनल का वकील उस क्षेत्र के गांव सभाओं का, जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसे गांव सभाओं के विरुद्ध जारी किये गये प्रसरों को लेने के लिए अभिकर्ता होगा।

(४) पेनल का कोई वकील भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी गांव सभा की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अभिदेश में न तो कोई अनुबन्ध या समझौता करेगा और न उसे वापस लेगा।"

धारा १३७ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १३७ में—

(क) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "धारा १३४" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १३४ की उपधारा (१)" रख दिये जायें, और

(ख) उपधारा (२-क) में शब्द तथा अंक "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १३४ की उपधारा (१)" रख दिये जायें। और

धारा १३९ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १३९ का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

धारा १६१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १६१ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द, अंक तथा अक्षर "अथवा ११७-क" निकाल दिये जायें।

धारा २२५-क के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

१०—मूल अधिनियम की धारा २२५-क के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जायं, अर्थात—

"२२५—क—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गांव सभा या किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी में निहित किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगान, सायर या अन्य देयों की बकाया पूर्णतः या अंशतः ऐसी परिस्थितियों में जो नियत की जायें, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी द्वारा तदर्थ संकल्प पारित करके न वसूल होने योग्य बकाया के रूप में बट्टे-खाते में डाली जा सकती है:

वसूल न होने योग्य लगान, सायर या अन्य देयों को बट्टे-खाते में डालने का अधिकार

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कलेक्टर उसकी पुष्टि न कर दे।"

धारा २२९-ख का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा २२९-ख की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थातः—

किसी जोत अथवा उसके भाग का असामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक वाद

(१) किसी जोत अथवा उसके भाग का अकेला अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से असामी होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी जोत या भाग में असामी के रूप में अपने अधिकारों के प्रख्यापन के लिए खातेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है।

धारा २३० का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा २३० की उपधारा (२) के खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात:—

"(ट) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों में, तथा इस अध्याय को लागू करने से सम्बद्ध सामान्यतया सभी विषयों में न्यायालयों तथा अधिकारियों का पथ-प्रदर्शन; और"

नयी धारा २७४-क का बढ़ाया जाना

१३—मूल अधिनियम की धारा २७४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:—

पांच पैसे के गुणित में पूर्णांकन

"२७४—क—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा मालगुजारी या उसकी किसी किस्त के मद्धे देय धनराशि में पांच पैसे का कोई भाग ग्रस्त हो तो ऐसी भिन्नांक धनराशि पांच पैसे के निकटतम गुणित तक पूर्णांक कर ली जायगी।

धारा २७९ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २७९ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और :—

(१) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (१) में—

(क) खण्ड (ङ) में शब्द "का विक्रय करके" के स्थान पर शब्द "को पट्टे पर दे कर या उसका विक्रय करके" रख दिये जायें,

(ख) खण्ड (च) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कामा तथा शब्द "और" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(छ) बाकीदार की चल या अचल किसी सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके", और

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात—

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भी प्रसर का व्यय मालगुजारी की बकाया में जोड़ लिया जायगा और वह उक्त बकाया की वसूली करने की रीति से वसूल किया जायगा"।

धारा २८१ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा २८१ में शब्द "गिरफ्तारी और निरोधन का व्यय, यदि कोई हो," के स्थान पर शब्द तथा अंक "बकाया, जिसके अन्तर्गत धारा २७९ की उपधारा (२) के अधीन वसूल किये जाने योग्य व्यय, यदि कोई हो, भी है," रख दिये जायें।

धारा २८२ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २८२ में—

(१) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "धारा ६० के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ६० की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (४) और (५) निकाल दी जायें।

धारा २८३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

१७—मूल अधिनियम की धारा २८३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वसूली की कार्यवाहियां

"२८३—यदि भूमि प्रबन्धक समिति को धारा २७६ के अधीन मालगुजारी वसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो राज्य सरकार, गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित करके, समिति को धारा २७९ की उपधारा (१) के खण्ड (क), (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रसरों से बकाया की वसूली करने का अधिकार दे सकती है, और इस प्रकार अधिकृत हो जाने पर समिति वसूली करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।"

धारा २८४ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

१८—मूल अधिनियम की धारा २८४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

जोत की कुर्की, उसे पट्टे पर देना या बेचना

"२८४—(१) कलेक्टर, पूर्वनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रसरों के अतिरिक्त अथवा उनके बजाय, स्वतः अथवा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसे जोत की कुर्की कर सकता है जिसके सम्बन्ध में बकाया हो।

(२) जब किसी जोत की इस प्रकार कुर्की की जाय तो कलेक्टर इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, आगामी अनुवर्ती जुलाई के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले दस वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, जोत को, बाकीदार से भिन्न किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है, जो जोत के सम्बन्ध में देय समस्त बकाये का भुगतान करे और पट्टे की अवधि में मालगुजारी की उसी धनराशि का भुगतान करने को सहमत हो जो जोत की कुर्की किये जाने के ठीक पूर्व बाकीदार द्वारा उस जोत के सम्बन्ध में देय थी।

(३) यदि पट्टे की अवधि में पट्टेदार पट्टे के अधीन देय मालगुजारी का भुगतान करने में चूक करे तो उससे बकाया धारा २७९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) से (ग), (च) तथा (छ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रसरों द्वारा वसूल की जा सकती है और उसका पट्टा भी समाप्त किया जा सकेगा।

(४) पट्टे की अवधि समाप्त हो जने पर जोत के सम्बन्ध में मालगुजारी की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार के बिना किसी दावे के जोत सम्बद्ध खातेदार को वापस दे दी जायगी।

(५) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि कोई उपयुक्त व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन भूमि को पट्टे पर लेने को तैयार नहीं है तो इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, वह जोत को समस्त भारों से मुक्त, ऐसी रीति से बेच सकता है जो नियत की जाय और आय को बकाया के भुगतान में लगा सकता है, तथा यदि कुछ बचे तो उसे बाकीदार को लौटा देगा।

(६) कलेक्टर उपधारा (५) के अधीन किये गये किसी विक्रय की प्रसूचना (Report) राजस्व बोर्ड को देगा।"

१९—मूल अधिनियम में यथा प्रतिस्थापित धारा २८४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— नयी धारा २८४-क का बढ़ाया जाना

"२८४-क—यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल कब्जा कर ले अथवा अपना कब्जा बनाये रखे, तो वह—

कुर्क भूमि पर आगम के बिना काबिज व्यक्तियों की बेदखली

(क) धारा २८४ के अधीन भूमि के पट्टे पर दिये जाने या बेचे जाने की दशा में, यथास्थिति, पट्टेदार या खरीदार के वाद पर, और

(ख) किसी अन्य दशा में, कलेक्टर द्वारा कुर्की की जाने पर कलेक्टर के वाद पर तथा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा कुर्की की जाने पर समिति के वाद पर,

बेदखल किया जा सकेगा और क्षतिमूल्य का देनदार होगा।"

२०—मूल अधिनियम की धारा २८५ निकाल दी जाय। धारा २८५ का निकाला जाना

२१—मूल अधिनियम की धारा २८६ में— धारा २८६ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "बाकीदार के स्वत्व से" के स्थान पर शब्द "बाकीदार के स्वत्व की कुर्की करके तथा उसे बेच कर" रख दिये जायें, और कामा तथा शब्द "मानो उक्त बकाया ऐसी दूसरी सम्पत्ति पर निर्धारित मालगुजारी की बकाया हो और उसी के सम्बन्ध में देय हों" निकाल दिये जायें।

(२) उपधारा (२) में शब्द "सम्पत्ति से" और शब्द "वसूल" के बीच में शब्द "प्रसर द्वारा" बढ़ा दिये जायें।

२२—मूल अधिनियम की धारा २८६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— नयी धारा २८६-क का बढ़ाया जाना

"२८६-क—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब मालगुजारी की बकाया देय हो तो, कलेक्टर पूर्व निर्दिष्ट किसी भी प्रसर के अतिरिक्त अथवा उसके बजाय, आदेश द्वारा—

रिसीवर की नियुक्ति

(क) ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, बाकीदार की किसी चल या अचल सम्पत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है;

(ख) किसी सम्पत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकता है;

(ग) उसे (सम्पत्ति को) रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है;

(घ) वादों को संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने तथा सम्पत्ति की वसूली उसका प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसके किराये और लाभों की वसूली, ऐसे किरायों और लाभों का उपयोग और निस्तारण करने तथा लेखों का निष्पादन करने के सम्बन्ध में, रिसीवर को समस्त ऐसे अधिकार दे सकता है जो बाकीदार को प्राप्त हों, अथवा उनमें से ऐसे अधिकारों को दे सकता है जो कलेक्टर उचित समझे।

(२) इस धारा की किसी बात से कलेक्टर को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का सम्पत्ति पर से कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार बाकीदार को नहीं है।

(३) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की अवधि को बढ़ा सकता है।

(४) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये रिसीवर के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८, के प्रथम शिड्यूल में दिये गये आर्डर ४० के नियम २ से ४ तक के उपबन्ध उनमें आये हुए कोर्ट के अभिदेश कलेक्टर के अभिदेश से प्रतिस्थापित होकर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त कोड के अधीन नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में लागू होते,"

धारा २८९ से २९१ तक का निकाला जाना

२३—मूल अधिनियम की धारायें २८९ से २९१ तक निकाल दी जायं।

धारा २९२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

२४—मूल अधिनियम की धारा २९२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"२९२—इस अध्याय के अधीन किसी भूमि के कुर्क होने के पश्चात् उसके असामी या कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के निमित्त कलेक्टर से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को की गयी अदायगी वैध परिशोध (discharge) न होगी।"

कुर्क भूमि के सम्बन्ध में लगान अथवा अन्य देयों की अदायगी

धारा २९४ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) के वर्तमान खण्ड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(ङङ) धारा २७९ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्रसरों के सम्बन्ध में वसूल किया जाने वाला व्यय;"

धारा ३४१ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा ३४१ में शब्द तथा अंक "इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३" रख दिये जायं।

२७—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, प्रविष्टि संख्या ४२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात:— अनुसूची २ का संशोधन

१	२	३	४	५	६
४३	२८४-क	कुर्क भूमि पर आगम के बिना काबिज व्यक्तियों की बेदखली के लिये और क्षति-मूल्य के लिये वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड

२८—मूल अधिनियम की धारा २७९, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व थी में उल्लिखित किसी प्रसर के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व शुल्क या तलबाना के रूप में वसूल की गयी कोई धनराशि उस प्रसर के व्यय स्वरूप वैध रूप से वसूल की गयी समझी जायगी मानों इस अधिनियम के संगत उपबन्ध सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित थे। अपवाद का वैधीकरण

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

२९—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि -व्यवस्था अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) के खण्ड (क) में शब्द तथा अक्षर "भाग क" के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "भाग क के खण्ड (क) से (घ)" रख दिये जायें, और शब्द "नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेन्ट" के स्थान पर शब्द "किसी नोटीफाउड एरिया, किसी ऐसी टाउन एरिया, जो रामपुर में स्थित रामपुर (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथा परिभाषित टाउन एरिया न हो, अथवा किसी कैन्टूनमेन्ट" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९, १९५७ की धारा १ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा २ में— धारा २ का संशोधन

(१) खण्ड (१५) के उपखण्ड (क) में शब्द तथा अक्षर "भाग क" के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "भाग क के खण्ड (क) से (घ)" रख दिये जायें, और शब्द "म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट के" के स्थान पर शब्द "म्युनिसिपैलिटी, किसी नोटिफाइड एरिया, किसी ऐसी टाउन एरिया, जो रामपुर में स्थित रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथा परिभाषित टाउन एरिया न हो, अथवा किसी कैन्टूनमेंट के" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (१७) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात :—

(१८) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१

के संबंध में अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के संबंध में अभिदेश क्रमशः समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम (ऐक्ट) या नियमों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे।"

धारा ६५ का संशोधन

३१—मूल अधिनियम की धारा ६५ में शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होगी" के स्थान पर शब्द तथा अंक " उन क्षेत्रों में, जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति हो, अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित यू० पी० लैंड रैवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और तदधीन समय-समय पर बनाये गये नियम अथवा जारी की गयी आज्ञाओं के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे" रख दिये जायें।

अनुसूची का संशोधन

३२—मूल अधिनियम की अनुसूची के भाग 'क' में शब्द "नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेन्ट" के स्थान पर शब्द "किसी नोटीफाइड एरिया, किसी ऐसी टाउन एरिया, जो रामपुर में स्थित रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथापरिभाषित टाउन एरिया न हों अथवा किसी कैन्टूनमेन्ट" रख दिये जायें।

अध्याय ४

कुमायूं तथा उत्तराखन्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० की धारा १ का संशोधन

३३—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) इसका प्रसार निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों में होगा—

(क) वे क्षेत्र जिनमें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांकों को किन्हीं अपवादों या परिष्कारों के साथ अथवा उनके बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० प्रचलित था,

(ख) नैनीताल जिले के तराई तथा भावर सरकारी आस्थान के गांव,

(ग) नैनीताल जिले के तराई तथा भावर सब-डिवीजन के भावर गांव जो अभी तक मध्यवर्तियों के पास हैं, और

(घ) धारा २ के खंड (घ) में उल्लिखित गांवों को छोड़कर गढ़वाल जिले के गढ़वाल भावर सरकारी आस्थानों में सम्मिलित गांव।"

धारा २ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा २ का खंड (ग) निकाल दिया जाय।

३५—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) खंड (१६) के अन्त में आया हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाय; और

धारा ३ का संशोधन

(२) खंड (१७) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी-कोलन तथा शब्द " और" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(१८) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के संबंध में अभिदेश क्रमशः समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम (ऐक्ट) या नियमों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे, और सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन से संबद्ध अधिनियमितियों के संबंध में अभिदेश, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित उन अधि-नियमितियों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे ।"

३६—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में शब्द 'देय माल-गुजारी' के स्थान पर शब्द " देय मालगुजारी, अबवाब तथा स्थानिक कर" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ।

धारा १९ का संशोधन

३७—मूल अधिनियम की धारा ४८ की उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० द्वारा संशोधित हुये हैं, और तदन्तर्गत निर्मित नियम विनियम या दी गयी आज्ञायें" के स्थान पर शब्द तथा अंक"यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट,१९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे उन क्षेत्रों में जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर संशोधित हों और तदधीन बनाये गये नियम अथवा दी गयी आज्ञायें" रख दिये जायें ।

धारा ४८ का संशोधन

अध्याय ५

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

३८—जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा २ में—

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ११, १९५६ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ढ) के अन्त में आया हुआ शब्द " और" निकाल दिया जाय और उसके ठीक पहले आये हुए कामा के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय ।

(२) खंड (ण) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी-कोलन तथा शब्द " और" रख दिये जायें और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय तथा सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"(त) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधि-नियम, १९५० तथा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के संबंध में अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के संबंध में अभिदेश क्रमशः समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम, ऐक्ट या नियमों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे ।"

अध्याय ६

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ४ का संशोधन

३९—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में, खंड (१६) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नयाखंड बढ़ा दिया जाय :—

"(१७) किसी अधिनियम का कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित उक्त अधिनियमित का अभिदेश और कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की दशा में, उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा १२२ के अधीन समय-समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुये, उक्त कोड का अभिदेश समझा जायगा।"

धारा १४६ का संशोधन

४०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १४६ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और—

(१) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में—

(क) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ज) बाकीदार की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की करके या उसका विक्रय करके," और

(ख) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(झ) बाकीदार की चल या अचल सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके,"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भी प्रसर का व्यय मालगुजारी का बकाया में जोड़ लिया जायगा और वह उक्त बकाया को वसूल करने की रीति से वसूल किया जायगा।"

धारा १६२ का संशोधन

४१—मूल अधिनियम की धारा १६२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) यदि बकाया धारा १४६ की उपधारा (१) के खंड (क) से (छ) तक में उल्लिखित किन्हीं भी प्रसरों द्वारा वसूल नहीं किया जा सकता तो कलेक्टर, बाकीदार की किसी अन्य अचल सम्पत्ति के स्वत्व की कुर्की करके या उसे बेचकर बकाया की वसूली कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसी सम्पत्ति बेची जाय तो धारा १६१ के उपबन्ध ऐसी बिक्री पर लागू न होंगे।"

नयी धारा १८२-क का बढ़ाया जाना

४२—मूल अधिनियम की धारा १८२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"१८२–क—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब रिसीवार की नियुक्ति मालगुजारी की बकाया देय हो तो, कलेक्टर पूर्व निर्दिष्ट किसी भी प्रसर के अतिरिक्त अथवा उसके बजाय आदेश द्वारा—

(क) ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, बाकीदार की किसी चल या अचल सम्पति के लिये रिसीवर नियुक्त कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है,

(ग) उसे (सम्पत्ति को) रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है,

(घ) वादों को संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने तथा सम्पत्ति की वसूली, उसका प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसके किराये और लाभों की वसूली, ऐसे किरायों और लाभों का उपयोग और निस्तारण करने तथा लेख्यों का निष्पादन करने के संबंध में, रिसीवर को ऐसे समस्त अधिकार दे सकता है जो बाकीदार को प्राप्त हो, अथवा उनमें से ऐसे अधिकारों को दे सकता है जो कलेक्टर उचित समझे ।

(२) इस धारा की किसी बात से कलेक्टर को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटाये जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार बाकीदार को नहीं है ।

(३) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियक्ति की अवधि को बढ़ा सकता है ।

(४) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये रिसीवर के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के प्रथम शिड्यूल में दिये गये आर्डर ४० के नियम २ से ४ तक के उपबन्ध उनमें आये हुये कोर्ट के अभिदेश कलेक्टर के अभिदेश से प्रतिस्थापित होकर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त कोड के अधीन नियुक्त रियुसीवर के सम्बन्ध में लागू होते" ।

धारा २३४ का संशोधन

४३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३४ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और—

(१) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (१) में—

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात—

"(१) राज्य सरकार, खण्ड (ए) से (एफ), खण्ड (एम) के उप खंण्ड(१), खण्ड (ओ) से (एस), खण्ड (वी) के उप खण्ड (१), खण्ड (डब्लू०) के उपखण्ड (१), खण्ड (एक्स) के उपखण्ड (१), और खण्ड (वाई) तथा (जेड) के अधीन विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है, और बोर्ड, राज्य

सरकार की पूर्व स्वीकृति से खण्ड (जी) से (एल), खण्ड (एम) के उपखण्ड (२), खण्ड (एन), (टी) और (यू), खण्ड (बी) के उपखण्ड (२), खण्ड (डब्लू०) के उपखण्ड (२) और खण्ड (एक्स) के उपखण्ड (२) के अधीन विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम से संगत नियम बना सकता है",

(ख) खण्ड (वाई) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

" (जेड) राजस्व न्यायालयों में याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना, ऐसे व्यक्तियों के कार्य संचालन तथा उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों के मान-क्रम को विनियमित करना, और शर्तों तथा प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने के लिये ऐसे लाइसेंसों को रद्द करना।"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

अध्याय ७

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ३ का संशोधन

४४—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) खंड (११) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(११) खातेदार का तात्पर्य भूमिधर अथवा सीरदार से है और उसके अन्तर्गत—

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदानग्रहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो जो नियत की जांय", भी हैं, तथा

(२) खंड (१२) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर 'सेमी-कोलन तथा शब्द " और " रख दिये जायें तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१३) बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

" (१३) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के संबंध में अभिदेश, समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम/ऐक्ट के सम्बन्ध में अभिदेश समझे जायेंगे।"

४५—मूल अधिनियम की धारा ५ में— धारा ५ का संशोधन

(१) पार्श्व शीर्षक में शब्द " प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ (२) के अधीन विज्ञप्ति" रख दिये जायें,

(२) प्रारम्भिक पैरा में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक " धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायें, और शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द तथा अंक " धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति" रख दिये जायें,

(३) खण्ड (ख) के उपखण्ड (२) में शब्द "को मान्य होगी" के स्थान पर शब्द "द्वारा मान्य होगी" रख दिये जायें,

(४) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायें।

४६—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (३) में— धारा २३ का संशोधन

(१) खण्ड (१) में शब्द "के लिये" और शब्द "अन्तिम प्रवेशन आज्ञायें समझा जायगा" के बीच में कामा तथा शब्द, " इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए," बढ़ा दिये जायें, और

(२) खण्ड (२) में शब्द "के लिये" और शब्द " अन्तिम प्रवेशन आज्ञायें होंगे" के बीच में कामा तथा शब्द, "इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये" रख दिये जायें।

४७—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें, और सदा से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्— धारा २७ का संशोधन

"(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख की सभी प्रविष्टियां ठीक मानी जायेंगी जब तक कि उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय।

(३) धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् कलेक्टर अपने द्वारा पहले रक्खे जाने वाले नक्शे, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख के स्थान पर, उपधारा (१) के अनुसार तैयार किया गया नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख रक्खेगा, और यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २८ और ३३ के उपबन्ध यथास्थिति ऐसे नक्शे, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख के रखे जाने पर लागू होंगे।"

धारा ४९ का संशोधन

४८—मूल अधिनियम की धारा ४९ में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक " धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायें ।

धारा ५२ का संशोधन

४९—मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा २७ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन" रख दिये जायें ।

धारा ५४ का संशोधन

५०—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (क) में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जांय,

(२) खण्ड (घ) में शब्द "पुनरीक्षण" के ठीक पश्चात् आया हुआ शब्द " से " निकाल दिया जाय ।

अध्याय ८

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने वाली अधिनियमितियों में संक्रमणकालीन उपबन्धों का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८, १९५८ ई० की धारा ४९ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापना

५१—उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रक्खा गया समझा जाय, अर्थात्—

संक्रमणीय उपबन्ध

"४९—जब इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी कटक में चकबन्दी क्रियायें चल रही हों तो—

(१) यदि क्रियायें मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन भू-अभिलेखों की जांच करने की अवस्था में हों, तब सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त धारा में उल्लिखित विवरण-पत्र को पूर्ण रूप से तैयार करेगा, मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो, और तदुपरान्त विवरण-पत्र का इस प्रकार पुनरीक्षण तथा तैयार किया जाना संशोधित अधिनियम की धारा ७ तथा ८ में उल्लिखित विवरण-पत्र का पुनरीक्षण तथा तैयार किया जाना समझा जायगा, और तत्पश्चात् उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, उसकी धारा ९ के अधीन कार्यवाहियों से प्रारम्भ करके, संचालित तथा समाप्त की जायेंगी ;

(२) यदि क्रियायें मूल अधिनियम की धारा ८ के अधीन कार्यवाहियों की अवस्था, या उसके बाद की किसी अवस्था में हों, तब उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां मूल अधिनियम के अनुसार जारी रक्खी जायेंगी तथा समाप्त की जायंगी मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो ;

स्पष्टीकरण—इस धारा में, 'संशोधित अधिनियम' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम से है ।"

५२—उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ की धारा ४७ की उपधारा (१) में:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९६३ की धारा ४७ का संशोधन

(क) प्रारम्भिक पैरा में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायें ;

(ख) खंड (२) में शब्द "प्रस्तावों" के स्थान पर शब्द "सिद्धान्तों" रख दिया जाय; और

(ग) शब्द "मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "मानो, धारा ४३ को छोड़कर, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रचलित ही न हुये हों" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

जमींदारी विनाश, भूमि सुधार, मालगुजारी तथा जोत चकबन्दी से सम्बद्ध विभिन्न विधियों के कार्य संचालन में विधिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां तथा न्यूनतायें प्रकट हुई हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १२७-ख में आयुक्तों के न्यायालयों, राजस्व परिषद् और उच्च न्यायालय में गांव सभा के पैनेल के वकीलों की नियुक्ति के लिये कोई अधिकार नहीं है। धारा २७९ के अधीन जब किसी व्यापारिक संस्था की कुर्की की जाय, तो मालगुजारी तथा अन्य देयों की बकाया, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य हो, की वसूली के निमित्त रिसीवर की नियुक्ति के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम में, सहकारी कृषि समितियों, सरकारी पट्टेदारों तथा अनुदान ग्रहीताओं के जोतों की चकबन्दी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तराई-भावर और गढ़वाल भावर सरकारी आस्थानों में वर्तमान भौमिक अधिकार यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन होने के कारण वे कुमायूं के शेष भागों में प्रचलित भौमिक अधिकारों से भिन्न हैं। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि वहां पर कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० के बजाय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० प्रचलित किया जाय। अतएव, उपर्युक्त और दूसरी कठिनाईयों तथा न्यूनताओं को दूर करने के लिये यह संहत विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

कुंवर मुकुमसिंह विसेन
राजस्व मंत्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है, जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

विधेयक के वे खंड, जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं, उक्त अधिकारों के विस्तार सहित, नीचे उल्लिखित हैं :—

क्रम-संख्या	खंड संख्या	उपखंड संख्या	विधायी उपबन्ध
१	४	..	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ११७ की प्रस्तावित उपधारा (४) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह वर्तमान धारा ११७-क (३) के आधार पर, प्रस्तावित उपधारा (४) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया नियत करें।
२	४	..	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की प्रस्तावित उपधारा (५) में सरकार को यह अधिकार वर्तमान धारा ११७-क (४) के आधार पर दिया गया है कि वह धारा १२६ और धारा १२७ के उपबन्धों में ऐसे स्थानिक अधिकारिकी पर, जिसे धारा ११७ के अधीन भूमि तथा वस्तुओं का प्रबन्ध सौंपा जाय, उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अपवाद तथा परिष्कार करें।
३	४	..	धारा ११७-क की प्रस्तावित उपधारा (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे अपवादों को निर्दिष्ट करे जिनके अधीन रहते हुए, गांव सभायें तथा स्थानिक अधिकारिकी की अपनी सीमाओं के बाहर पड़ने वाले खाता क्षेत्रों के संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, तथा यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करेंगे।
४	५	..	उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा १२७-ख की प्रस्तावित उपधारा (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह वर्तमान धारा १२७-ख (१) के आधार पर, गांव सभा के पैनल के वकीलों की नियुक्ति की शर्तें और रीति नियत करे।
५	९	..	उपर्युक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा २२५—क में सरकार को उन परिस्थितियों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जिनके अधीन स्थानिक अधिकारिकी, गांव सभाओं की तरह लगान, सायर तथा अन्य देयों की वसूली न होने योग्य बकाया को बट्टे खाते में डाल सकें।

क्रम-संख्या	खंड संख्या	उपखंड संख्या	विधायी उपबन्ध
६	११	..	उक्त अधिनियम की धारा २३० की उपधारा (२) के प्रस्तावित खंड (ट) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिनियम के अध्याय ८ के अधीन वादों आदि में, तथा इस अध्याय को लागू करने से संबद्ध सामान्यतया सभी विषयों में न्यायालयों तथा अधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये नियम बनाये।
७	१६	..	१९५० ई० के उक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा २८३ में सरकार को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा मालगुजारी के बकायों की वसूली करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया नियत करने का अधिकार दिया गया है।
८	१७	..	१९५० ई० के उक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा २८४ की उपधारा (२) और (५) में सरकार को पट्टे पर देने की शर्तें तथा कलेक्टर द्वारा कुर्क खातों की बिक्री की रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है।
९	२४	..	१९५० ई० के उक्त अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) के प्रस्तावित खंड (ङङ) में सरकार को उन व्ययों से संबद्ध नियम बनाने का अधिकार दिया गया है जो धारा २७९ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्रसरों के संबंध में वसूल किये जायेंगे।
१०	४२	..	यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २३४ की प्रस्तावित उपधारा (१) में सरकार को एक नया अधिकार दिया गया है जिसके द्वारा वह राजस्व न्यायालयों में याचिका लेखकों को जारी किये जाने वाले लाइसेंसों को विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है।
११	४३	..	उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ३ के प्रस्तावित खंड (११) में सरकार को उन शर्तों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "खातेदार" की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र होने के निमित्त सहकारी कृषि समिति द्वारा पूरी की जायंगी।

प्रस्तावित प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

हुकुमसिंह विसेन
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०' उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८, तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ के ऐसे उपबन्धों का विवरण जिनमें इस विधेयक द्वारा संशोधन किया जाना है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

धारा १—(१) यह अधिनियम (ऐक्ट) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार (extent) उन क्षेत्रों को छोड़ कर जो ७ जुलाई, १९४९ ई० को यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया के या कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेंट के अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा किन्तु उन क्षेत्रों में जो धारा २ की उपधारा (१) के खंड (क) से खंड (च) तक में आते हैं, यह धारा २ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये अपवादों और परिष्कारों को बाधित न करते हुये ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित कर दे । भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न निदेशों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

धारा ३—विषय या प्रसंग (Subject or context) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में—

(१४) "भूमि" (land) का तात्पर्य धारा १४३ और १४४ को छोड़ कर शेष अधिनियम में ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि उद्यानकरण या पशुपालन (animal husbandry) जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (Pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी है से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो ।

(२८) भाग १ में निजी जोत की भूमि के बारे में किसी भी अभिदेश (reference) का तात्पर्य अवधि के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के नाते उसकी निजी जोत के अन्तर्गत भूमि से है, और

(२९) भाग १ में जहां भी 'अधिकार अभिलेख' (record of rights) का प्रसंग आया हो उसके अन्तर्गत यथावश्यक यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ की धारा ३३ के अधीन तैयार किये गये 'ऐनूअल रजिस्टर्स' (वार्षिक रजिस्टर) का भी प्रसग है ।

कुछ भूमि आदि का गांव सभा में निहित होना

धारा ११७-(१) धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)—

(१) तत्समय किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर अन्य सभी भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या न हो,

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

(३) सभी पेड़ (खाते में या खाते की सीमा पर या बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़ कर),

(४) मीनाशय,

(५) ऐसी भूमि पर जिस पर धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक के उपबन्ध लागू होते हों या धारा ९ में अभिदिष्ट भूमि पर लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले और

(६) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट जल प्रणालियां (water channels), रास्ते और आबादी के स्थल (abadi sites) जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुये हों उस मंडल के लिए स्थापित गांव सभा में निहित हो जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह खंड (१) से (६) तक में उल्लिखित सभी या किसी वस्तु के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रख्यापन करे और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद करे अथवा ऐसी शर्तें लगाये जिन्हें वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९५९ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१४, ऐक्ट संख्या २, १९२४

(२) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई भी वस्तुयें, जो गांव के किसी ऐसे भाग के सम्बन्ध में जो ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, किसी नगर, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, या छावनी में सम्मिलित हो गया हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुयी हों, उस गांव सभा में निहित होंगी जो उस गांव के शेष भाग के लिये स्थापित की गयीं हों ।

(३) यदि उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई वस्तु उपधारा (२) के अधीन किसी गांव सभा में निहित कर दी गयी हो तो, यथास्थिति वह गांव सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति गांव के उस भाग के लिए उस वस्तु के सम्बन्ध में तथा गांव के उस भाग में स्थित खातों के क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कि ऐसी वस्तु या क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हों ।

(४) राज्य सरकार, किसी भी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपरोक्त किसी वस्तु के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप में, या किसी गांव सभा के सम्बन्ध में, उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति को संशोधित या रद्द

कर सकती है और ऐसी वस्तु वापस ले सकती है, और जब कभी राज्य सरकार इस प्रकार कोई वस्तु वापस ले तो गांव सभा केवल किसी ऐसे विकास के लिये, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा वस्तु में या उस पर किया गया हो, प्रतिकर पाने की हकदार होगी और उसे प्रतिकर का भुगतान किया जायगा ।

कतिपय भूमि आदि का स्थानिक अधिकारिकी में निहित होना

११७-क-(१) धारा ११७ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय किसी गांव में स्थित उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन या अन्य रूप से राज्य में निहित थे, उक्त पूरे गांव के लिये स्थापित किसी भी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (local authority) में निहित होगी ।

(२) यदि धारा ११७ की उपधारा (१) के खण्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई वस्तु, इस धारा की उपधारा (१) के अधीन या उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १२६ के अधीन किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित कर दी गयी हो तो ऐसा स्थानिक अधिकारिकी उस पूरे गांव के लिए उस वस्तु के सम्बन्ध में तथा उस पर पूरे गांव में स्थित खातों के क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो कि ऐसी वस्तु या क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हों ।

(३) स्थानिक अधिकारिकी इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन, कर्त्तव्यों के पालन और अधिकारों के प्रयोग में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

(४) धारा १२६ और १२७ के उपबन्ध, ऐसे अपवादों और परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, उपधारा (१) में अभिदिष्ट स्थानिक अधिकारिकी पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(५) धारा ११७ की उपधारा (४) के उपबन्धों, उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित वस्तुओं के वापस लेने पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

पैनेल के वकील

धारा १२७-ख--(१) राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाये प्रत्येक जिले में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्बन्ध में गांव सभाओं द्वारा अथवा उनके विरुद्ध वादों तथा अन्य कार्यवाहियों की पैरवी करने के लिये वकीलों का एक पैनल नियुक्त कर सकती है ।

(२) पैनल का वकील जिले की ऐसी गांव सभाओं के सम्बन्ध में जो नियत की जायं, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा अधिकारिकी द्वारा उनके विरुद्ध जारी किये गये प्रसरों को लेने के लिये उनका अभिकर्त्ता होगा और ऐसा अभिज्ञात अभिकर्त्ता समझा जायगा, जिसके द्वारा ऐसी गांव सभाओं की ओर से इस अधिनियम अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा भूमि प्रबन्ध से सम्बद्ध अन्य किसी विधि के अधीन उपस्थित हो सकेगी, कार्य किये जा सकेंगे तथा प्रार्थना-पत्र दिये जा सकेंगे ।

१२८--(१) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनावे ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्न-लिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(कक) ऐसी रीति जिसके अनुसार और ऐसा अधिकारिकी (authority) जिसके द्वारा धारा ११७-क की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन देय प्रतिकर अवधारित किया जायगा और दिया जायगा।

* * *

प्रमाण व दिया जाना

धारा १३७—(१) यदि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर को यह संतोष हो जाय कि प्रार्थी धारा १३४ में उल्लिखित प्रख्यापन का अधिकारी है, तो वह उसे इस बात का प्रमाण-पत्र दे देगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उसके दिनांक से जब धारा १३४ में अभिदिष्ट धनराशि जमाकर दी गई हो, से सीरदार—

(क) उस खाते या खाते के उस अंश का, जिसके सम्बन्ध में उसे उक्त प्रमाण-पत्र मिला हो, भूमिधर हो जायगा और हुआ समझा जायगा, और

(ख) उस खाते या खाते के उस अंश की मालगुजारी के निमित्त ऐसी कम की हुई धनराशि का देनदार होगा जो प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर उसके द्वारा तदर्थ देय मालगुजारी अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी की आधी हो,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा१३४ के स्पष्टीकरण २ में अभिदिष्ट दशाओं में सीरदार उस अवधि के लिये जबकि धारा २४६ या २४७ के अनुसार कम की हुई धनराशि देय हो, समय-समय पर देय धनराशि के आधे का देनदार होगा।

स्पष्टीकरण—यदि उपरोक्त दिनांक पर किसी सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों से लगाई गई धनराशि की दुगुनी धनराशि से अधिक हो तो खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, उसके द्वारा देय मालगुजारी उक्त दुगुनी धनराशि के बराबर समझी जायगी।

(२—क) यदि उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि कृषि वर्ष के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को जमा की जाय तो भूमिधर द्वारा उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन उस कृषि वर्ष के अवशिष्ट भाग के लिए, जिसमें धनराशि जमा की जाय, देय मालगुजारी उस रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।

धारा १३१ खण्ड (ख) अ वा (ग) में उल्लिखित वर्ग क सीरदार का भूमिधरी अधिकार उपार्जित करना

धारा १३९—धारा १३४ तथा धारायें १३५ और १३७ आवश्यक परिवर्तनों के साथ धारा १३१ के खंड (ख) अथवा (ग) में उल्लिखित वर्ग के सीरदार को लागू होंगी :

और यह भी प्रतिबन्ध है कि धारा १३७ में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र मिलने पर देय मालगुजारी उस मात्रा तक कम कर दी जायगी, जो खाते के मिलने पर देय मालगुजारी की धनराशि की आधी हो।

विनिमय

१६१—(१) कोई भूमिधर या सीरदार—

(क) किसी दूसरे भूमिधर या सीरदार से उसके द्वारा अधिकृत भूमि का, अथवा

(ख) किसी (गांव सभा) या स्थानिक अधिकारिकी से उस भूमि का जो धारा ११७ अथवा ११७-क के अधीन तत्समय उसमें निहित हो, विनिमय कर सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध————————

लगान, अबवाब या अन्य देयों की न वसूल होने वाली बकाया को बट्टेखाते में डालने का अधिकार

धारा २२५-क—भूमि प्रबन्धक समिति संकल्प द्वारा तथा ऐसी परिस्थितियों में जो नियत की जाय, धारा ११७ के अधीन (गांव सभा) में निहित किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगान, अबवाब या अन्य देयों की बकाया को अंशतः अथवा पूर्णतः बट्टे खाते में डाल सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध है कि तब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कलेक्टर उसका अनुमोदन न कर दे।

असामी, सीरदार अथवा भूमिधर द्वारा अपने अधिकार के प्रख्यापन का वाद

धारा २२९-ख—(१) कोई भी व्यक्ति, जो अकेला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से आसामी होने का दावेदार हो इस बात के प्रख्यापन के लिये कि—

(क) वह खाते का असामी है, अथवा

(ख) उसका खाते में कोई अंश है, खातेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी वाद में अन्य व्यक्ति को, जो खातेदार के अधीन असामी होने का दावेदार हो, प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये गये वाद पर लागू होंगे जो भूमिधर या सीरदार, जैसी भी दशा हो, होने का दावेदार हो, किन्तु उस दशा में यह संशोधन किया जायगा कि इन उपधाराओं के शब्द "खातेदार' के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार और गांव सभा" रख दिये जायेंगे।

नियम बनाने के अधिकार

धारा २३०—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) धारा १३४ के अधीन दी जाने वाली धनराशि देने की प्रक्रिया,

(ख) धारा १३४ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसके देने की प्रक्रिया,

(ग) धारा १३७ के अधीन प्रमाण-पत्र (certificate) के प्रदान की प्रक्रिया और ऐसे प्रमाण-पत्र का आकार,

(घ) धारा १३८ के अधीन खाते के बटवारे की प्रक्रिया और ढंग,

(ङ) धारा १६१ के अधीन भूमि के विनिमय (exchange) की प्रक्रिया,

(च) धारा १६४ के अधीन संक्रामण के विक्रय रूप में पुष्टीकरण (confirmation) की प्रक्रिया,

(छ) धारा १६७ के अधीन सीरदार और आसामी की बेदखली की प्रक्रिया,

(ज) धारा १८३ और १८४ के अधीन दी जाने वाली नोटिस का आकार और उसकी तामील का ढंग,

(झ) धारा १९४ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि को कब्जे में ले लेने की प्रक्रिया,

(ज) धारा १९५ और १९७ के अधीन भूमि को उठाने की प्रक्रिया,

(ट) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों को निर्णय करने वाले अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन (guidance),

(ठ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हों, और नियत किये जायं।

मालगुजारी की बकाया की वसूली की रीति

धारा २७९—मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल की जा सकेगी—

(क) किसी बाकीदार पर मांग-पत्र (write of demand) या उपस्थिति-पत्र (citation) तामील करके,

(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोधन (Detention) से,

(ग) उसकी चल सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, कुर्की या नीलाम से,

(घ) उस खाते की कुर्की से जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,

(ङ) उस खाते का विक्रय कर के जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,

(च) बाकीदार की दूसरी अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से।

गिरफ्तारी और निरोधन

धारा २८१—कोई भी मालगुजारी का बाकीदार गिरफ्तार किया जाकर ऐसी अवधि के लिये, जो १५ दिन से अधिक न हो, निरोधन में रखा जा सकता है, जब तक वह गिरफ्तारी और निरोधन का व्यय, यदि कोई हो, उक्त अवधि से पहले ही न दे दे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री या अवस्यक की गिरफ्तारी या निरोधन न हो सकेगा, प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी व्यक्ति उस खाते की बकाया के लिए, जिसका वह भूमिधर या सीरदार नहीं है, केवल इसलिये गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं हो सकेगा कि धारा २४३ के अधीन मालगुजारी के भुगतान का उसका संयुक्त दायित्व है।

चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम

धारा २८२—(१) बाकीदार चाहे गिरफ्तार हुआ हो या नहीं, कलेक्टर उसकी चल सम्पत्ति को कुर्क और नीलाम कर सकते हैं।

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक कुर्की और नीलाम, दीवानी न्यायालय की डिगरी के निष्पादन में चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम के विषय में समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार किया जायगा।

ऐक्ट ५, १९०८

(३) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ६० के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद के खंड (ए) से (ओ) तक में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, ऐसी वस्तुएं भी, जो केवल धार्मिक उपासना के लिए अलग कर दी गई हों, इस धारा के अधीन कुर्की और नीलाम से मुक्त रहेंगी।

(४) कुर्की और नीलाम का व्यय मालगुजारी की बकाया में जोड़ दिया जायगा और उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा।

(५) जहां भूमि प्रबन्धक समिति को धारा २८३ की उपधारा (१) के अधीन चल सम्पत्ति की और नीलाम का अधिकार दिया गया हो वहां वह उक्त कुर्की और नीलाम करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो नियत की जाय।

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा धारा २७९ के अधिकारों का प्रयोग

धारा २८३—(१) यदि भूमि प्रबन्धक समिति को धारा २७६ के अधीन मालगुजारी वसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो, राज्य सरकार गजट में तत्संबंधी सामान्य या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके उसे अधिकार दे सकती है कि वह मालगुजारी की वसूली और उगाही में धारा २७९ के खंड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित सब अधिकारों या उनमें से किसी का प्रयोग करें।

(२) जहां भूमि प्रबन्धक समिति उपधारा (१) के अधीन उक्त रूप से अधिकृत की गयी हो वहां उसके सभापति को अधिकार होगा कि उसकी ओर से यथायोग (as the case may be) धारा २८० में अभिदिष्ट मांग-पत्र या उपस्थिति-पत्र जारी करें, धारा २८२ में अभिदिष्ट कुर्की और नीलाम की कार्यवाही करे अथवा धारा २८४ में अभिदिष्ट प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे।

मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिये खाते का नीलाम

धारा २८४—(१) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, यदि किसी खाते की मालगुजारी बाकी हो तो, कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह स्वयं या भूमि प्रबन्धक समिति की प्रार्थना पर खाते को समस्त भारों से मुक्त ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, बेंचकर बिक्री से प्राप्य आय को बकाया के भुगतान में लगा दे और यदि कुछ बचे तो उसे भूमिधर या सीरदार को, जैसी भी दशा हो, लौटा दे।

(२) इस धारा के अधीन हुए विक्रय की प्रसूचना (report) कलेक्टर नियत अधिकारी को देगा।

विक्रय मूल्य का विनियोग

धारा २८५—खाते के धारा २८४ के निदेशों के अधीन बिकने पर उसका बिक्रय मूल्य, पहले नीलाम के व्यय की अदायगी में लगाया जायगा और फिर उसके बाद मालगुजारी की बकाया के भुगतान में और जो बचेगा, वह उस व्यक्ति को देय होगा, जो उसका अधिकारी हो।

बाकीदार के उस स्वत्व के विरुद्ध जो उसे किसी दूसरी अचल सम्पत्ति में प्राप्त हों कार्यवाही करने का अधिकार

धारा २८६—(१) यदि मालगुजारी की कोई बकाया धारा २७९ के खंड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किसी भी प्रसर (process) द्वारा वसूल न हो सके तो कलेक्टर, बाकीदार को किसी दूसरी अचल सम्पत्ति में बाकीदार के स्वत्व से, बकाया वसूल कर सकता है, मानो उक्त बकाया ऐसी दूसरी सम्पत्ति पर निर्धारित मालगुजारी की बकाया हो और उसी के सम्बन्ध में देय हो।

(२) ऐसा रुपया, जो मालगुजारी के रूप में वसूल किया जा सकता हो, पर किसी भूमि विशेष के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन बाकीदार की किसी भी अचल संपत्ति से वसूल किया जा सकता है।

मालगुजारी की बकाया के निमित्त गांव की कुर्की

धारा २८९—(१) कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह मालगुजारी बकाया में पड़ जाने के बाद किसी समय उस गांव को या उसकी किसी भूमि को, जिसके सम्बन्ध में वह बकाया हो, कुर्क कर ले और उसे ऐसे काल के लिये, जो उसे उचित जान पड़े, या तो स्वयं अपने प्रबन्ध में ले ले या किसी ऐसे एजेंट के प्रबन्ध में दे दे जिसे उसने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुर्की के दिनांक के ठीक बाद के किसी वर्ष के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक के लिये कोई गांव या उसमें की कोई भूमि इस प्रकार कुर्क नहीं की जायगी और यदि बकाया इस अवधि के भीतर ही चुका दी जाय तो कुर्की निरस्त (cancel) कर दी जायगी।

(२) कुर्की की अवधि के समाप्त हो जाने पर गांव के सम्बन्ध में देय मालगुजारी की बकाया सम्बन्धी सरकार के समस्त दावों से मुक्त हो कर गांव छोड़ दिया जायगा और उस पर उसकी मालगुजारी की किसी बकाया के लिये सरकार का कोई दावा न रह जायगा ।

अपने प्रबन्ध के अधीन क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर के अधिकार और आभार

धारा २९०—जब तक कोई निर्दिष्ट क्षेत्र इस प्रकार कलेक्टर के पास अपने ही प्रबन्ध में रहे, कलेक्टर ऐसे संकेत (engagement) से, जो बाकीदार और आसामी या अधिवासी के बीच हुआ हो और कुर्की के काल में विद्यमान रहा हो, बाध्य होगा इस प्रकार अपने प्रबन्ध में ली हुई सम्पत्ति का प्रबन्ध करने और उससे उत्पन्न होने वाले लगान और लाभ को पाने का अधिकारी होगा । उक्त सम्पत्ति से इस प्रकार वसूल किया गया लगान, मालगुजारी की ऐसी किस्म को, जो कुर्की के बाद देय हो तथा कुर्की और प्रबन्ध के व्यय की अदायगी में लगाया जायगा और यदि कुछ बचेगा तो वह उस बकाया के भुगतान में जिसके निमित्त कुर्की हुई हो, लगाया जायगा ।

उस खाते को जिसके संबंध में बकाया देय हो लगान पर उठाने के कलेक्टर के अधिकार

धारा २९१—(१) यदि मालगुजारी की बकाया किसी खाते के संबंध में देय हो, तो इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी कलेक्टर उक्त खाते को, बाकीदार से भिन्न किसी व्यक्ति को अगली जुलाई के पहले दिन से लेकर अधिक से अधिक दस वर्ष के काल के लिये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जिन्हें नियत अधिकारी निश्चित करे उठा सकता है ।

(२) इस धारा की किसी बात का ऐसे खातेदारों के दायित्वों पर, जो इस अधिनियम के अधीन मालगुजारी की बकाया के देनदार हों, कोई प्रभाव न पड़ेगा ।

(३) पट्टे की अवधि के बीत जाने पर खाता तत्संबंधी खातेदार के पक्ष में उक्त खाता की बकाया के लिये राज्य सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर, प्रत्यर्पित (restored) हो जायगा ।

कुर्क क्षेत्र के लगान तथा तत्सम्बन्धी अन्य देयों की अदायगी

धारा २९२—धारा २८९ के अधीन किसी क्षेत्र के कुर्क होने या धारा २९१ के अधीन उसके लगान पर उठा दिये जाने पर घोषणा (proclamation) के दिनांक के बाद, असामी, अधिवासी या कब्जा रखने वाले अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस भूमि के लगान या अन्य देयों के निमित्त, कलेक्टर से भिन्न, किसी व्यक्ति को की गई अदायगी से वैध रीति से किसी दायित्व का परिशोध (discharge) न होगा ।

* * *

नियम बनाने का अधिकार

धारा २९४—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा दिये गये अतिरिक्त धन (excess-money) ४४ के अधीन प्रतिपूर्ति (reimbursement) की प्रक्रिया,

(कक) धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन मालगुजारी के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त,

(ख) धारा २६५ के अधीन आपत्ति-पत्र प्रस्तुत करने की रीति,

(ग) धारा २७४ के अधीन मालगुजारी बढ़ाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) मालगुजारी की वसूली के लिये धारा २७५ के अधीन रीति और व्यवस्था (arrangement),

(ङ) धारा २७६ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा मालगुजारी वसूली की प्रक्रिया,

(ङङ) धारा २७९ के अधीन आदेशिकाओं (processes) के सम्बन्ध में अदा किये जाने वाले शुल्क या व्यय,

(च) धारा २७९ के अधीन अचल सम्पत्ति की कुर्की, संक्रामण और विक्रय की प्रक्रिया,

(छ) धारा २८३ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधिकारियों के प्रयोग की रीति,

(ज) इस अध्याय के अधीन कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन,

(झ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायें।

* * *

कुछ अधिनियमों का इस अधिनियम की कार्यवाहियों पर लागू होना

धारा ३४१—यदि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन स्पष्ट रूप से कोई भिन्न व्यवस्था न की गई हो तो इंडियन कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० कोड आफ सिविल प्रोसीजर (ऐक्ट ५, १८०८) और इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट १९०८ के निदेश, उसकी धारा ५ को सम्मिलित करते हुये, इस अधिनियम के अधीन व्यवहारों को लागू होंगे।

* * *

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो—

(क) अनसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य क्षेत्र (territory) की दशा में ३० जून, १९५४ को किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट के वहां प्रवृत्त विधि के अधीन, अन्तर्गत थे, और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में में ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटीज या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४, के अधीन किसी कैन्टूनमेंट के अथवा टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे।

(३) यह तुरन्त प्रवलित होगा किन्तु अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में ऐसे दिनांक पर और ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के साथ प्रवलित होगा जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो, और जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांकों और भिन्न-भिन्न अपवादों अथवा परिष्कारों की व्यवस्था की जा सकती है।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:—

(१५) "नागर क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो—

(क) अनुसूची के भाग में उल्लिखित राज्य क्षेत्रों की दशा में ३० जून, १९५४ को, किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट के, वहां प्रवृत्त विधि के अधीन थे, और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्यूनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेंट के अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे।

(१७) शब्द और पद (words and expressions) परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर", "बोर्ड", "कलेक्टर", "अवयस्क", "मालगुजारी" "अदना मालिक और मातहतदार", के जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में हुआ है वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "Assistant Collector incharge, sub-division""Board of Revenue", "Collector", "Minor", "revenue," "sub-proprietor" तथा "under proprietor" के हैं।

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ ई० का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना

६५—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होगी किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद कर सकती है जो राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

अनुसूची

(धारा १)

क्षेत्र जिसमें आरम्भ में यह अधिनियम लागू न होगा।

भाग—क

क्षेत्र, जो ३० जून, १९५४ को निम्नलिखित में स्थित किसी म्यूनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट में थे:—

(क) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट,

(ख) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर,

(ग) टेहरी गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल,

(घ) प्राविसेंज ऐंड स्टेट्स (ऐब्जार्प्शन आफ एन्क्लेव्स) आर्डर, १९५० में दी हुई परिभाषा के अनुसार "एन्क्लेव" (अन्तर क्षेत्र) जो, उक्त आर्डर के अधीन उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो ।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १९६० का संशोधन

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार नैनीताल जिले के उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू है, समस्त कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों में होगा ।

(३) यह धारा तथा धारा २ तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष धारायें धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां वे उसमें की गयीं व्यवस्था के अनुसार प्रवृत्त होंगी, ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

सरकारी आस्थान इत्यादि पर अधिनियम को लागू करने के संबंध में उसका संशोधन

२—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस सम्पूर्ण अधिनियम को अथवा उसके किसी उपबन्ध को, ऐसे अपवादों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा जिन्हें यह आवश्यक समझे—

× × ×

(ग) नैनीताल जिले के तराई तथा भावर सब-डिवीजन के किसी भावर गांव में जो अभी तक जमींदारों के पास है, और

× × ×

परिभाषायें

३—विषय अथवा संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

× × ×

(१६) "इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली" "अबवाब" (cess), "अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थान (fee simple estate)" गांव संजायत, 'घर पधान" "बाग" ("बाग भूमि" "बागदार" "मालगुजारी" "पधान" "पधानचारी भूमि", "लगान") "सीरतान" थोकदार व "थोकदारी" भूमि के ही अर्थ होंगे जो कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों में लागू भूमि व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं, तथा

(१७) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पद "असिस्टेंट कलेक्टर" "परगने का अवधायक असिस्टेंट कलेक्टर" (Assistant Collector

in-charge of a sub-division)" तथा "महाल" के वही अर्थ होंगे जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में, जैसा कि वह कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों के लिये लागू हैं, उन्हें दिये गये हैं।

हिस्सेदार को देय प्रतिकर

१९—(१) धारा १२ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर उस धनराशि का तीस गुना होगा जो धारा १८ में अभिदिष्ट आय में, हिस्सेदार को खायकारी भूमि के संबंध में उसके देय मालगुजारी को घटाकर निकले।

(२) जब हिस्सेदार का स्वत्व ठेकेदार के कब्जे में हो तो धारा ४ के अधीन हिस्सेदार तथा ठेकेदार के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के संबंध में उन दोनों को देय प्रतिकर की कुल धनराशि हिस्सेदार के प्रतिकर विवरण में उल्लिखित लगानी आय के आधार पर उपधारा (१) में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार आकलित धनराशि के बराबर होगी।

(३) प्रतिकर अधिकारी

४८—(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों क अधीन रहत हुये यू०पी० लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों में लागू है, निश्चित दिनांक से निरस्त हो जायगा।

(२) यू०पी० लैन्ड रेवन्यू, ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा संशोधित हुये हैं, और वर्तमान निर्मित नियम या विनियम या दी गई आज्ञायें आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस क्षेत्र पर लागू होंगी जिससे धारा ४ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति का संबंध है, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे, अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों परं कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे, प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(३) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी।

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६

* * *

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

× × ×

(ड) शब्द और पद "मालगुजारी", "बोर्ड" और "तहसीलदार" का जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "revenue", "board" और "Tahsildar" का है, और

(ण) "जमींदार" का तात्पर्य किसी भूमि के संबंध में उक्त भूमि के या उसके किसी भाग के स्वामी से है।

Definitions

4. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context,—

X X X Xz

(16) "Sub proprietor" in Agra means a person having an inferior but heritable and transferable proprietory interest in land with whom a sub-settlement has been made under the provisions of this Act or of any other law for the time being in force.

X X X X

146. An arrear of revenue may be recovered by one or more of the following processes :

(*a*) by serving a writ of demand or a citation to appear on any of the defaulters;

(*b*) by arrest and detention of his person;

(*c*) by attachment and sale of his movable property;

(*d*) by attachment of the specific area, share patti or mahal in respect of which the arrear is due ;

(*e*) by transfer of such share a or patti to a solvent co-sharer in the mahal;

(*f*) by annulment of the settlement of such patti or of the whole mahal;

(*g*) by sale of such specific area or patti or of the whole mahal.

(*h*) by sale of other immovable property of the defaulter.

X X X X

162. (1) If an arrear cannot be recovered by any of the above processess and the defaulter owns, or is in possession of any other mahal, or any share in any other mahal, or any other immovable property, the Collector may proceed against such mahal, or share or other immovable property as if it were the land on account of which the revenue is due, under the provisions of this Act :

Provided that no interest save those of the defaulter alone shall be affected by such process, and when such property is sold, the provisions of section 161, shall not apply to such sale.

(2) Sums of money recoverable as arrears of revenue, but not due in respect of any specific land, may be recovered by process under this section against any immovable property of the defaulter.

X X X X

234. The State Govsrnment may make rules consistent with this Act in respect of matters under clauses (*a*) to (*f*), (*m*) (*i*), (*o*) to (*s*), (*v*) (*i*), (*w*) (*i*), (*x*) (*i*) and (*y*) and the Board may from time

to time subject to the sanction of the State Government make rules consistent with this Act in respect of matter under clauses (*g*) to (*i*), (*m*) (*ii*), (*n*), (*t*), (*u*) (*ii*), (*w*) (*ii*) and (*x*) (*ii*)—

(*a*) prescribing the duties of tahsildars and Naib-tahsildars and regulating their posting and transfers and their appointment in temporary vacancies;

(*b*) to (*c*) X X X

(*d*) prescribed the form, contents method of preparation, attestato n and maintenance of the record of rights and their records, maps, field books, registers and lists made or kept under this Act and prescribing the kind of land, if any, in respect of which any such record need not be prepared under section 32;

(*e*) regulating the imposition of fines, under section 38, for failure to notify successions and transfers;

(*f*) to (*u*) X X X

(*v*) (*i*) regulating the costs which may be recovered in or in respect of any non-judicial proceeding under this Act;

(*ii*) regulating the costs which may be recovered in or in respect of any judicial proceeding under this Act;

(*w*) (*i*) regulating the procedure to be followed by any officer or other person, who under any provision of this Act required or empowered to take action in any non-judicial matter;

(*ii*) regulating the procedure to be followed by any officer or other person, who under any provision of this Act is required or empowered to take action in any judicial matter;

(*i*) (*x*) generally for the guidance of all persons in all non-judicial proceedings under this Act and for carrying out the provisions of this Act in respect of such proceedings;

(*ii*) generally for the guidance of all provisons in all judicial proceedings under this Act and for carrying out the provisions of this Act in respecct of a such proceedings; and

(*y*) defining the classes of cases, matters business, orders or proceedings which are to be deemed judicial or non-judicial respectively.

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम १९५८

३—विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषाएं

(११) "खातेदार" (Tenure Holder) का तात्पर्य सम्बद्ध भूमि के भूमिधर या सीरदार से है और उसके अन्तर्गत असामी भी है ।

(११-क) "कटक" का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है और यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञापित करे तो, ऐसे दो या अधिक गांव अथवा उनके भागों से है, जिसके या जिनके लिये चकबन्दी की एक ही योजना बनती है ।

(१२) उन शब्दों अथवा पदों के—

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गई ह, किन्तु जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है, अथवा

(ख) जो इस अधिनियम में अथवा यू०पी० लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित नहीं है, किन्तु जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है वही अर्थ होंगे, जो उनके उस ऐक्ट या उस अधिनियम में किये गये हैं जिनमें वे इस प्रकार प्रयुक्त या परिभाषित हैं ।

प्रख्यापन का प्रभाव

५—सरकारी गजट में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा ५२ के अधीन अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन, जैसी भी दशा में हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और अधिकार अभिलख (record of rights) का रख-रखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उप-संचालक चकबन्दी करेगा, जो कि उनका रख-रखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा,

(ख) (१) अभिलेखों के संशोधन की सभी कार्यवाहियां तथा भूमि से अधिकारों तथा स्वत्वों के प्रख्यापन अथवा भूमि के कब्जे या विभाजन के लिये सभी वाद जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, स्थगित हो जायेंगे किन्तु उक्त कार्यवाहियों अथवा वादों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को, इस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष, उठाने के प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(२) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में भूमि में ऐसे अधिकार अथवा स्वत्व के संबंध में चकबन्दी प्राधिकारियों की उपपत्तियां उस प्राधिकारी अथवा न्यायालय को मान्य होंगी जिसके समक्ष कार्यवाही अथवा वाद विचाराधीन था और वह सम्बद्ध पक्षों से उनकी सूचना मिलने पर कार्यवाही अथवा वाद में, जैसी भी दशा हो, आगे कार्यवाही करेगा, तथा

(ग) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार—

(१) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असंबद्ध प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा, और

(२) इन चकबन्दी क्षेत्रों में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग को विक्रय दान अथवा विनिमय द्वारा हस्तांतरित नहीं करेगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये करता रह सकता है जिसके लिये कि धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

प्रारम्भिक चकबंदी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आज्ञाओं का जारी किया जाना

२३—(१) (क) यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयीं हों, या

(ख) यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा २१ की उपधारा (१) से (४) तक के अधीन दी गयी आज्ञाओं को दृष्टि में रखते हुये आवश्यक हों, बन्दोबन्त अधिकारी, चकबन्दी, प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि करेगा।

(२) इस प्रकार पुष्टीकृत प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी तथा, इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अंतिम होगी।

(३) (१) यदि धारा १९—क के अधीन किये गये प्रदर्शनों की धारा २१ के अधीन परिष्कृत न किया जाये और उपधारा (१) के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाये, तो धारा २० के अधीन जारी किये गये नोटिस में दिये गये उद्धरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिये अंतिम प्रदेशन आज्ञायें समझा जायेगा।

(२) खंड (१) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण जिनमें उपधारा (१) के अधीन तथा पुष्टीकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे—

(क) यदि प्रदेशन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा परिष्कृत न किये गये हों, तो चकबन्दी अधिकारी द्वारा; और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो, तो उसके द्वारा;

जारी किये जायंगे, और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिये अंतिम प्रदेशन आज्ञायें होगी।

नये माल अभिलेख

२७—(१) अंतिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र जिला उप-संचालक चकबन्दी धारा ७ के अधीन यथा संशोधित नक्शों खसरा चकबन्दी तथा धारा १० के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप दी गयी तथा जारी की गयी प्रदेशन आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबन्दी क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा। उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायें, अनुसरण किया जायेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये नक्शे, खसरा और अधिकार अभिलेख की सभी प्रविष्टियां अंतिम एवं निश्चायक होंगी।

(३) लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन पहल रख जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख रहेगा ।

दीवानी तथा माल अधिक्षेत्र पर रोक

४९—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि के संबंध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती हो जिसके लिये धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय, अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय, जो चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय, उक्त भूमि में अधिकारों के सबध में अथवा किसी अन्य विषय के सबंध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, किसी वाद अथवा कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा।

चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति

५२—धारा २७ के अधीन नये नक्शों और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि कटक में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गई है और तदुपरान्त उक्त कटक का/के गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन नहीं रहेगा । रहेंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने से इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, भारत का संविधान" के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गयी लेख-याचिकाओं के मामलों में या उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञायें ऐसे प्राधिकारों द्वारा, जो नियत किये जायं, कार्यान्वित की जायेगी और उस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायगा कि वे समाप्त नहीं हुई है ।

नियम

५४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति का आकार ।

+ + ×

(घ) धारा ७ से ११ तक के तथा धारा १२ के अधीन नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण से जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्रख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्यांकन, कुओं, मेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा अभिभाजन भी हैं, से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धांतों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८ १९५८)

संक्रमणीन उपबन्ध

४९—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन हो जाने पर भी वे सब कार्यवाहियां जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के पूर्व आरम्भ हो गई हों और उक्त दिनांक पर रही हों, उनमें—

(१) जो मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन अभिलेखों क संशोधन से संबंधित हो, वे उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार पूरी की जायेंगी और इस प्रकार पूर्ण हो जाने पर इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ७ एवं ८ के अधीन की गई कार्यवाहियां मानी जायेंगी। और उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त की जायेंगी, और

(२) जो मूल अधिनियम की धारा ८ के और उसके बाद की धाराओं के अधीन की गई हों, वे इस अधिनियम की धारा ५० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त की जायेंगी, मानों यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२
(अधिनियम संख्या ८, १९६३)

संक्रमण कालीन उपबन्ध

४७—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के पूर्व, जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञापित कटकों में—

(१) यदि, उक्त दिनांक को या उसके पूर्व मूल अधिनियम की धारा २० के अधीन प्रस्तावों का विवरण प्रकाशित किया जा चुका हो, तो उक्त प्रकाशन की अवस्था के आगे के ; और

(२) यदि, उक्त दिनांक को या उसके पूर्व मूल अधिनियम की धारा ९ के अधीन नोटिस जारी किये जा चुके हैं तो मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन प्रस्तावों के विवरण के पुष्टीकरण की अवस्था तक के तथा उस अवस्था के भी ;

चकबन्दी क्रियाओं के विषय में या उनसे सम्बद्ध कार्य मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार संचालित तथा समाप्त किये जायेंगे, मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन द्वितीय अपीलों और पुनरीक्षणों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व यथास्थित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जा सकते थे किन्तु जो उक्त दिनांक के पूर्व संस्थित नहीं किये गये थे इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम लागू होगा और उसी प्रकार सदैव से लागू हुआ समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था।

(२) अन्य समस्त कार्य, जिन पर उपधारा (१) के उपबन्ध लागू नहीं होते, इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण—जिन कटकों में मूल अधिनियम की धारा ९ के अधीन नोटिस उक्त दिनांक को या उसके पूर्व जारी नहीं किये गये थे वहां किया गया प्रत्येक कार्य, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, सदैव इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया समझा जायगा ।

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के खंड (१) के उपबन्ध उक्त खंड के अन्तर्गत आने वाली कार्यवाहियों पर लागू होते रहेंगे ।

(४) सन्देहों के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है यदि उपधारा (१) या उपबन्धों (३) के उपबन्धों के अनुसार कोई काम मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जाना या समाप्त किया जाना है तो राज्य सरकार के लिये उन समस्त या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करना वैध होगा तथा सदैव वैध रहा समझा जायगा जो उसे (राज्य सरकार) को, मूल अधिनियम के, जैसा कि वह, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व, उपबन्धों के अधीन प्राप्त थे ।

आज्ञा से,

परमात्मा शरण पचौरी

सचिव ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिय पीछे पृष्ठ २६१ पर)

समाज कल्याण मंत्री के वक्तव्य का अवशिष्ट अंश

६—इनके पुनर्वासन के लिय भारत सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि इनको २,००० रु० तक का व्यावसायिक ऋण दिया जाय। आवश्यक धनराशि का ८० प्रतिशत भारत सरकार ने देने को कहा है किन्तु शष २० प्रतिशत राज्य सरकार को लगाना होगा। न वसूल होने वाल ऋण पर भी केंद्रीय तथा प्रदेशीय सरकार दोनों को बराबर अनुपात में हानि वहन करनी होगी। इसके विपरीत पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वासन के लिये भारत सरकार ने न केवल, पूरा ऋण दिया है बल्कि शत-प्रतिशत हानि भी वहन कर रही है। अतएव इस संबंध में, और ऋण की शर्तों पर, भारत सरकार से पत्र-व्यवहार और बातचीत की जा रही है। ऋण की शर्तों के तय होने पर उचित कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। अब तक बर्मा से लौटे हुये केवल १७ भारतीय नागरिकों से व्यावहारिक ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं। इस संबंध में जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपनी सिफारिश भेजे।

७—जिलाधीश फैजाबाद से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि उनके जिले में बर्मा से वापस आये हुये परिवारों की संख्या निश्चित रूप से नहीं मालूम हो पाई है। स्थानीय बर्मा शरणार्थी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश फैजाबाद से मिला था और उनका यह कहना था कि बर्मा से आये हुये २०० परिवार जिले में रह रहे हैं। जिलाधीश के उनसे प्रार्थना करने पर भी उन लोगों ने इन परिवारों का पूरा विवरण और ठौर जिलाधीश को अभी तक नहीं बताया है। जिलाधीश ने इनको यह भी सुझाया कि वे अपने को रोजगार दफ्तर में रजिस्टर करा लें जिससे उन्हें नौकरी दिलाई जा सके और उनसे तिथि व समय तय करने के बाद श्यामसुन्दर धर्मशाला में जहां कुछ परिवार ठहरे हुये हैं, एक अधिकारी को भी भेजा परन्तु बहुत प्रयत्न करने पर कुल १४ व्यक्तियों ने ही नौकरी के लिये रजिस्टर कराया। जिलाधीश ने २ परिवारों को पोषण-भत्ता देने की सिफारिश की थी जिनमें से एक परिवार को पोषण-भत्ता देने की स्वीकृति भेजी जा चुकी है और दूसरे परिवार के बारे में जांच की जा रही है।

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३ एल० ए०—१९६५—८६२।